लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४०, १९६०/१८८१ (शक)

[७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ४० में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला खंड ४०—अंक २१ से ३०—७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)

अंक २१—सोमवार, ७ मार्च १९६०/१७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ से ६४७, ६४९, ६५०, ६५२ से ६५७ और ६५९ . २१२९—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . २१५४–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४८, ६५१, ६५८ और ६६० से ६८० . . २१५५—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ८१९ . . . . २१६६—८५

स्थगन प्रस्ताव—

स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल . . . . २१८५—८९

तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर की शुद्धि . . . २१८९

कार्य मन्त्रणा समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१८९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरःस्थापित . . . २१९०

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित २१९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . २१९१—२२२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २२२६—३०

अंक २२—मंगलवार, ८ मार्च, १९६०/१८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६८५, ६८७ से ६९४ और ७०० . . २२३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६, ६९६ से ६९९ और ७०१ से ७०८ . . २२५६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८८४ . . . . २२६५—९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२९१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २२९१—९४

कलकत्ता पत्तन में नदी सर्वेयरों और हाइड्रोग्राफरों द्वारा हड़ताल

पृष्ठ

सभा का कार्य—

सामान्य आयव्ययक के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा का क्रम . २२९३

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६०—पारित २२९४

सामान्य आयव्ययकक—सामान्य—चर्चा . . . २२९४—२३३१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३३२—३६

अंक २३—बुधवार ९ मार्च १९६०/१९ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०९, ७११ से ७१४, ७१७ से ७२१ और ७२३ से ७२७ . . . . . २३३७—५९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २३५९—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१६, ७२२ और ७२८ से ७४६ . . २३६१—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९३४ २३६९—९१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) चीनियों द्वारा लद्दाख के चन्थान नमक खान क्षेत्र पर कथित कब्जा . २३९१—९३

(२) ७ मार्च को शाहदरा में बिजली और पानी का बन्द हो जाना . २३९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३९४–९५

विधेयक पर राय २३९५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन २३९५

लोक लेखा समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन

कारखाना अधिनियम १९४८ के बारे में याचिका . . . २३९५

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २३९६—२४४१

दैनिक संक्षेपिका २४४२—४७

अंक २४—गुरुवार, १० मार्च १९६०/२० फाल्गुन, १८८१(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८, ७४९, ७५१, ७५२, ७५४, ७५५, ७५७, ७६१, ७६३, ७६५, ७६७ से ७७५, ७७८, ७८० और ७८१ . . २४४९—७५

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २४७५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४७, ७५०, ७५३, ७५६, ७५८ से ७६०, ७६२, ७६४ ७६६, ७७६, ७७७ और ७७९ . . . . २४७७—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९९ . . . . २४८३—२५१२

स्थगन प्रस्ताव—

मिकिर पहाड़ियों में कुछ विस्थापित व्यक्तियों पर गोली चलाया जाना . २५१२—१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५१५

राज्य सभा से सन्देश २५१६

पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६०—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . . २५१६

लोक लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन २५१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली प्रशासन द्वारा बस्तियों का अधिग्रहण . . . २५१६—१९

शाहदरा में पानी और बिजली के सम्भरण के बारे में वक्तव्य . . २५१९–२०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २५२०—५४

लेखानुदान की मांगें . . . . . २५५४—५९

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित तथा पारित . २५५९–६०

विदेशी पर्यटकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २५६०—६६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५६७—७२

अंक २५—शुक्रवार, ११ मार्च १९६०/२१ फाल्गुन १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ७९३, ७९५ से ७९८, ८०० और ७९४ . २५७३—२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ और ८०१ से ८१७ . . . २६००—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १००० से १०५४ . . . २६०८—३२

स्थगन प्रस्ताव—

जोरहाट में विमान दुर्घटना २६३२–३३

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६३३—३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रेलवे को कोयले का अपर्याप्त सम्भरण	२६३६—३७
स्टेट बैंक के विवाद के बारे में वक्तव्य	२६३७—३९
सभा का कार्य	२६३९—५८
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव .	२६३९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठ्ठावनवां प्रतिवेदन	२६५८
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम का मल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२६५९—७९
अंदमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प .	२६७९—८१
निर्वाचन याचिका के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२६८१—८६
दैनिक संक्षेपिका	२६८७—९३

अंक २६—सोमवार १४ मार्च, १९६०/ २४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८१८, ८२० से ८२२, ८२५, ८२९, ८३०, ८३४ ८३५, ८३७ से ८३९।	२६९५—२७१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२३, ८२४, ८२६ से ८२८, ८३१ से ८३३, ८३६ और ८४० से ८४४	२७१७—२३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०५५ से ११०५ . . .	२७२३—४९
स्थगन प्रस्ताव—	
१. कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . .	२७४९—५५
२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय	२७५५
१० मार्च, १९६० को प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा कही गई कुछ बातों का वापस लिया जाना	२७५६—५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७५७—५८
राज्य सभा से सन्देश	२७५८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	२७५८

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दिल्ली के एक विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म हत्या . . . २७५९

अनुदानों की मांगें--

विधि मन्त्रालय २७६०--९२

दैनिक संक्षेपिका २७९३--९७

अंक २७--मंगलवार १५ मार्च, १९६०/२५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५, ८४७ से ८५१ और ८५३ से ८६३ . . २७९९--२८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५२ और ८६४ से ८७४ . . . २८२५--३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से ११४४ . . . . २८३१--४९

स्थगन प्रस्ताव--

कोचीन में शिपयार्ड २८४९--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २८५२-५३

राज्य सभा से सन्देश २८५३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

विश्व बैंक की विज्ञप्ति में सिंधु विकास निधि में भारत के अंशदान का उल्लेख न होना २८५३-५४

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के बारे में वक्तव्य . . २८५४--५८

अनुदानों की मांगें--

शिक्षा मन्त्रालय २८५८--२९२०

दैनिक संक्षेपिका २९२१--२४

अंक २८--बुधवार, १६ मार्च, १९६०/२६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ . . . . २९२५--४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२ . . . . २९४७--५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४५ से ११८७ . . . . २९५६--७४

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . . २९७४–७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९७६–७७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रूसी विदेशी व्यापार एजेन्सी और हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच समझौता . . . . . २९७७—७९

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा मन्त्रालय . . . . . २९७९—९२

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . २९९२—३०२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३०२६—२९

अंक २९—गुरुवार, १७ मार्च, १९६०/२७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ से ९०७, ९०९ से ९१२, ९१४ से ९१६, ९१८ और ९१९ . . . . . ३०३१—५४

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०८, ९१३, ९१७, ९२० से ९२९ और ७१५ . ३०५४—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से १२१५ . . . ३०६०—७३

सभा पटल पर कुछ पत्रों को रखने के बारे में . . . ३०७३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७३–७४

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में . . . ३०७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०७४

प्राक्कलन समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन ३०७५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिराडोलोमाइट खानों में विस्फोट . . . ३०७५

अनुदानों की मांगें—

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . ३०७५—३१००

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३१०१—४०

कलकत्ता गोदी के मजदूरों सम्बन्धी योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३१४१—४९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१५०—५३

अंक ३०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०/२८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

•प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३० से ९३२, ९३५, ९३७, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४८, ९५०, ९५२, ९५४, ९५७, ९५८ और ९३३ . . ३१५५—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . ३१८१—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४, ९३६, ९३८, ९३९, ९४२, ९४९, ९५१, ९५३ और ९५६ . . . . . ३१८२—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२६० . . . ३१८६—३२०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३२०७—०८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

किशनगंज स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर . . . ३२०८—०९

तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर की शुद्धि . . . ३२०९

वायु क्षेत्र के उल्लंघन के बारे में वक्तव्य . . . . ३२०९—१२

कोचीन में जहाज बनाने के कारखाने के बारे में वक्तव्य . . . ३२१२—१३

टेलीफोन की दरों में परिवर्तन के बारे में वक्तव्य . . . ३२१३—१४

सभा का कार्य ३२१४

अनुदानों की मांगें—

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३२१५—३१

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय . . . . . ३२३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . . . . . ३२५२—५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . ३२५३

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . . ३२५३

(३) प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक (धारा ३, २२ और ३२) का संशोधन)—श्री लै० अचौ० सिंह का. . . ३२५४

पृष्ठ

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक---श्री पु० र० पटेल का विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२५४-५५

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ३२५६---७०

खण्ड १ से ३१ . . . . ३२७०

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२७०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--(धारा ७३ का संशोधन)---श्री हेम राज का---

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . ३२७१

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२७२---७७

नोट:-मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, १७ मार्च, १९६०
२७ फाल्गुन, १८८१. (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में घरेलू नौकरों का कल्याण

+

*९०३. श्री भक्त दर्शन:
श्री सुबोध हंसदा:
श्री रा० चं० माझी:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अरविन्द घोषाल:
श्री मानवेन्द्र शाह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २४ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू नौकरों की सहायता के लिये शाहजहां रोड, नई दिल्ली में जो कार्यालय खोला गया था उस ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र): यह दफ्तर घरेलू नौकरियां ढूंढने वालों की आवश्यकताओं को उसी प्रकार पूरा कर रहा है जिस प्रकार कि दूसरे काम दिलाऊ दफ्तर अन्य नौकरी ढूंढने वालों के लिये करते हैं ।

436(Ai) LSD—1.

यह दफ्तर गुरद्वारा रोड हटमेंट्स में चला गया है ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, सरकार की ओर से यह नहीं बताया गया कि इस दफ्तर के द्वारा कितने घरेलू कर्मचारियों को नौकरियां दिलवाई गईं या रोजगार दिलाया गया या कितनों को सहूलियतें पहुंचाई गईं ?

श्री ल० ना० मिश्र : अभी हाल में ही यह दफ्तर खुला है। उस में २६६ आदमियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उन में १७ आदमियों को हम लोगों ने काम दिलवाया है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जिस समय इस रोजगार दफ्तर को स्थापित करने की घोषणा की गई थी तो उस समय यह भी कहा गया था कि एक ऐडवाइज़री कमेटी उस के लिये बनाई जायेगी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कमेटी बन चुकी है ; और अगर बन चुकी है तो उस के कौन-कौन सदस्य है ?

श्री ल० ना० मिश्र : जी अभी तक बनी नहीं है लेकिन हम लोग उस ऐडवाइजरी कमेटी को बनाना चाहते हैं और शीघ्र ही वह बन जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह दफ्तर किस नमूने का है ? यह अन्य काम दिलाऊ दफ्तरों की तरह का है या उन से भिन्न प्रकार का ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह प्राय: अन्य काम दिलाऊ दफ्तरों की तरह का ही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जिन लोगों ने काम दिलाऊ दफ्तर में अपने नाम दर्ज कराये हैं क्या उन्हें इस दफ्तर की मार्फत नौकरी दिलाई जा रही है और यदि हां, तो क्या उन के लिये नौकरी सम्बन्धी उपयुक्त शर्तें निर्धारित कर दी गयी हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जी नहीं । नौकरी चाहने वाले लोग इस काम दिलाऊ दफ्तर के कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करा लेते है और यह दफ्तर मांगों के अनुसार उन्हें कहीं लगाने की कोशिश करता है । जहां तक नौकरी सम्बन्धी शर्तों का सम्बन्ध है, एक कल्याण-पदाधिकारी शर्तों आदि का सर्वेक्षण कर रहा है, परन्तु हम ने अभी तक नौकरी संबंधी कोई शर्तें तो निर्धारित नहीं की हैं ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या सुविधाओं, काम के घंटों, पारिश्रमिक आदि से सम्बन्धी आंकड़े एकत्र कर लिये गये हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: सर्वेक्षण कर लिया गया है और संकलित जानकारी के अनुसार नाम दर्ज कराने वाले २०३ उम्मीदवारों में से ७६ को पिछली नौकरी में ५० रुपये महीने मिलते थे, ३४ को खाना भी मिलता था, ४२ को नहीं । ९० आवेदनकर्ताओं को सप्ताह में एक दिन छुट्टी रहती थी और १३६ को दिन में १२ घंटे से अधिक काम करना पड़ता था । ४१ को वर्ष में ३० दिन की सवेतन छुट्टी मिलती थी । केवल ४ आवेदन कर्ताओं ने तनखा मिलने में देरी की शिकायत की । शेष १९९ उम्मीदवारों को प्रत्येक मास की सात तारीख तक तनखा मिल जाती थी । नाम लिखाने वालों में से केवल १७ को हटाने के समय पूरा भुगतान नहीं किया गया था ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पिछली बार एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि इस कामदिलाऊ दफ्तर के साथ एक मंत्रणा समिति संलग्न कर दी जायगी । क्या तब से इस समिति की स्थापना की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ल० ना० मिश्र : मैं बता चुका हूं कि समिति की स्थापना शीघ्र ही की जाने वाली है।

श्री पद्म देवः : क्या यह दुरुस्त नहीं है कि जब से घरेलू कर्मचारियों की ओर से यह विवाद चला है तब से उन की भरती कम हो गई है क्योंकि लोग इस बात से डरते हैं कि रोज कौन यह झगड़े-बाज़ी करे कि कितने घंटे घरेलू कर्मचारी ने काम किया और कितना नहीं ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारे पास तो ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस सर्वेक्षण की अवधि में उस अधिकारी को यह प्रगट हुआ कि कुछ घरेलू नौकरों को उन की बकाया तनखा तक का भुगतान नहीं किया गया था ? क्या इस प्रकार के मामले सरकार की निगाह में लाये गये हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : मैं ने अभी बताया है कि शिकायतों के आधार पर एक सर्वेक्षण किया गया था और मैं सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी बता चुका हूं।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

+

†*९०४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरुआः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिण अफ्रीका से अपनी यह अपील पुनः दोहरायी है कि वह दक्षिण अफ्रीका के मूल भारतीयों से व्यवहार के बारे में भारत और पाकिस्तान से वार्ता करे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण अफ्रीका से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त हुआ है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां। पिछले वर्ष हुए अपने चौदहवें अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस विषय पर एक संकल्प स्वीकार कर दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार से अपनी अपील फिर दोहरायी थी।

(ख) जी नहीं, हमें अब तक दक्षिण अफ्रीका से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दक्षिण अफ्रीका से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, क्या यह तथ्य संयुक्त राष्ट्र संघ की निगाह में लाया गया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे यह तो पता नहीं कि इसे विशिष्ट रूप से उनकी निगाह में लाया गया है अथवा नहीं, लेकिन इसमें मुझे शक नहीं कि यह बात काफी सर्व-विदित है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : दक्षिण अफ्रीका सरकार का मौजूदा रुख देखते हुए क्या इस विषय पर कोई समझौता होने की संभावना है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे पता नहीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यक्तित्व को कुचल देने की क्रिया इतनी उग्रता से चल रही है कि भारतीयों को प्रायः बन्दियों को यातना देने के शिविरों जैसा जीवन बिताना पड़ रहा है और बस उन्हें गैस देकर मार डालने की कसर रह गई है, और यदि हां, तो समस्या की अविलम्बनीयता का ध्यान रखते हुए क्या लन्दन में राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्री सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह नहीं कह सकता कि इस सम्मेलन में किन मसलों पर चर्चा की जायेगी और किन पर नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान अखबारों में छपी इस खबर की ओर दिलाया गया है कि एक भारतीय को नैरोबी में छुरा मार दिया गया ? शुक्रवार से यह चौथी घटना है, अर्थात् एक सप्ताह में चार भारतीयों को छुरे भोंके गये हैं । यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पता नहीं यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है । दक्षिण अफ्रीका और पूर्व अफ्रीका हजारों मील दूर हैं । लेकिन यदि वे चाहते हैं तो तथ्य यह हैं । जो जानकारी आयी थी वह इस घटना के बारे में नहीं थी, वरन एक भारतीय को छुरा भोंके जाने की पिछली घटना के बारे में थी, लेकिन वह पूर्णतः डकैती व हत्या का मामला था, उसका राजनैतिक महत्व कुछ नहीं था ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : प्रधान मंत्री ने अभी कहा है कि उन्हें पता नहीं है कि लन्दन में राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की जायगी । क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों राष्ट्र मंडल के सदस्य हैं, क्या प्रधान मंत्री दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति व्यवहार की समस्या के सम्बन्ध में वहां चर्चा आरम्भ करने और राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन द्वारा उसका हल निकलवाने की कृपा करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बता चुका हूं कि हम इन मसलों पर चर्चा नहीं कर सकते । लेकिन मैं यह बता दूं कि हमारी या किसी भी सदस्य राष्ट्र की यह नीति नहीं रही है कि राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में अपनी पारस्परिक समस्याओं की चर्चा की जाय । वे आपस में या संयुक्त राष्ट्र संघ में उन पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या प्रधान मंत्री लन्दन के राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन से इस विषय को चर्चा के लिये लेने का अनुरोध करने वाले हैं या कर चुके हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बता चुका हूं कि हमारी नीति इस प्रकार के अनुरोध करने के बिल्कुल विपरीत है । हम ऐसा नहीं करते । हम इस प्रकार के अनुरोध करना ठीक नहीं समझते । यदि इस प्रकार के अनुरोध किये जायें, तो राष्ट्र मंडल में और भी तो देश हैं जिनके अपने झगड़े और समस्यायें हैं, वह भी उन्हें उठा सकते हैं । हम राष्ट्र मंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन को ऐसा अधि-राष्ट्र नहीं मानते जो स्वतंत्र राज्यों की समस्याओं पर चर्चा कर सके ।

†**श्री हेम बरुआ** : यदि ऐसा है तो हम राष्ट्र मंडल में रहें ही क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके कारण दूसरे हो सकते हैं वह चाहे न हों जो माननीय सदस्य को निगाह में हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में अलुमिनियम रोलिंग मिल

+

†*६०५. श्री सुबोध हंसदा:
श्री रा० च० माझी:
श्री स० च० सामन्त:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के मेसर्स हिंदुस्तान इलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड को अलुमिनियम की रोलिंग मिल लगाने का लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या इसमें कुछ विदेशी मुद्रायें लगेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रायें लगेंगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी हां । उपकरणों के आयात के लिये ६७,००० रुपये की । कच्चे माल के सम्बन्ध में और कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रायें नहीं लगेंगी, अब तक कच्चे माल के रूप में जिन छड़ों का आयात किया जाता था उनके स्थान पर यह फर्म कतरनों का आयात करेगी जिनकी कीमत कम होती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस कम्पनी में सरकार का कुछ हिस्सा है या इसे रोलिंग मिल लगाने के लिये सरकार ने कुछ वित्तीय सहायता दी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जो फर्म १½ करोड़ रुपयों के माल का व्यवसाय करती है उसे ६७,००० रुपयों के लिये वित्तीय सहायता देने की सरकार को कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ३,६०० टन प्रति वर्ष ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या किसी फर्म ने सरकार से लाइसेंस देने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो क्या यह मंजूर किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि कोई व्यक्ति हमें ऐसा प्रस्ताव दे जिसमें नाम मात्र की पूंजी लगा कर विदेशी मुद्रायें बचाई जा सकें तो निश्चय ही उस पर विचार किया जायेगा ।

रेयन ग्रेड पल्प फैक्टरी

+

†*६०६. श्री स० चं० सामन्त:
श्री सुबोध हंसदा:
श्री रा० चं० माझी:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांस पर आधारित रेयन ग्रेड पल्प फैक्टरी की स्थापना के लिये जापानी विशेषज्ञों से परियोजना प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है और उस पर विचार कर लिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). यह प्रतिवेदन अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है और विचाराधीन है। लेकिन इस परियोजना को गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा क्रियान्वित किये जाने के लिये छोड़ देने का निश्चय किया गया है क्योंकि विभिन्न फर्मों से बड़ी संख्या में योजनायें प्राप्त हो रही हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या कोई फर्म यह मिल खोलने का प्रस्ताव लेकर सरकार के पास आयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, लगभग चार प्रस्ताव विचाराधीन हैं। केरल के लिये एक का अनुमोदन किया जा चुका है और वह परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है।

†**श्री सं० चं० सामन्त** : जापानी परामर्शदाता संस्था की जो रिपोर्ट पहले दी गयी थी क्या वह वशेषज्ञों द्वारा दी गयी रिपोर्ट से मेल खाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जापानी विशेषज्ञों की रिपोर्ट काफी अनुकूल है। उन्होंने कहा है कि आसाम का बांस और मैसूर तथा अन्य इलाकों का बांस रेयन ग्रेड को लुगदो बनाने के लिये बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। इसलिये, हम देश को रेयन ग्रेड को लुगदी के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिये शीघ्र काफी भी और भी आवेदनों पर विचार करने वाले हैं।

आयात की हुई घड़ियों की कीमत

+

†*१०७. { श्री स० मो० बनर्जी:
श्री अ० क० गोपालन:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात की हुई जो घड़ियां बाजारों में उपलब्ध हैं उन की कीमत बढ़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५७ के अन्त में भावों में वृद्धि की रुझान दिखाई पड़ी थी लेकिन सितम्बर, १९५९ के बाद से भाव में कमी होनी आरम्भ हो गयी है।

(ख) बाजारों में सम्पूर्ण घड़ियों की, जिन के आयात पर जुलाई, १९५७ से प्रतिबन्ध है, कमी को दूर करने के लिये लाइसेन्स देने की चालू अवधि में अब सीमित आधार पर उनके के आयात की अनुमति दे दी गयी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने कहा है कि कमी को दूर करने के लिये सीमित आधार पर उन के आयात की अनुमति दे दी गयी है। सीमित आधार पर आयात के क्या माने हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र: जिस समय घड़ियों का आयात किया जाता था उस के लगभग २½ प्रतिशत के बराबर घड़ियों के आयात की अब अनुमति दे दी गयी है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस आयात के फलस्वरूप कीमतों में कुछ गिरावट आयी है और क्या इन घड़ियों की, विशेष रूप से कलाई घड़ियों की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण है ?

†श्री सतीश चन्द्र : घड़ियों की कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है । लेकिन घड़ियों की कीमतों में वृद्धि रुक गई है और अब गिरावट के लक्षण प्रगट होने लगे हैं। वास्तव में मूल्यों में कभी भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई थी ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक घड़ियों का मामला है, वहां तक अभी मंत्री जी ने कहा कि कुछ घड़ियों का आयात आरम्भ हो गया है, लेकिन क्या मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जो घड़ियां हमारे यहां पर आयी हुई हैं उन के अतिरिक्त पुरजे नहीं मिलते हैं और क्या इन अतिरिक्त पुरजों को मंगाने के बारे में भी कोई बात सोची जा रही है ।

श्री सतीश चन्द्र: पुरजों के मंगाने की तो कभी रोक नहीं हुई । शुरू में ढाई पर सेंट कीमत के पुरजों की इजाजत दी गयी थी जिस को बढ़ा कर ४ पर सेन्ट किया गया, फिर पांच पर सेन्ट किया गया और अब बेसिक इअर के कोटे के साढ़े सात पर सेंट के पुरजे मंगाने की इजाजत दे दी गयी है, और अब कोई खास दिक्कत नहीं रह गयी है ।

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

+

†*१०९. { श्री दी० चं० शर्मा:
श्री पांगरकर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ में चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में काफी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है;

(ख) यदि हां, तो १९५८ की तुलना में १९५९ में कुल कितनी आय हुई है ; और

(ग) विदेशों में बाजारों की खोज करने और निर्यात बढ़ाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ।

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां ।

(ख) १९५९ में २८·६२ करोड़ रुपये की चमड़े की वस्तुओं का, जिन में कमाये हुए चमड़े और खालों के साथ साथ चमड़े का तैयार सामान भी शामिल था, निर्यात किया गया जब कि १९५८ में १८·३६ करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया था ।

(ग) निर्यात संवर्द्धन परिषद् विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण, विदेशों में होने वाले व्यापारिक मेलों में योग और ऐच्छिक क्वालिटी कंट्रोल योजना की क्रियान्विति आदि निर्यात संवर्द्धन की कार्यवाही जारी रखे है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दी० चं० शर्मा :** किन-किन देशों में नये बाजारों की संभावनाओं का सर्वेक्षण किया गया है और उन में कितनी संभावना प्रगट हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** हाल ही में नारवे, स्वीडन और फिनलैंड में सर्वेक्षण किये गये हैं। अन्य देशों में स्थित हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से भी बाजारों की खबरें हमारे पास आती हैं

†**श्री दी० चं० शर्मा :** किस देश को सब से ज्यादा निर्यात होता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** ब्रिटेन को ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि एक तरफ तो हम कुछ विदेशी मुद्रायें कमा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार के निर्यात से हमारे बम्बई में, कलकत्ते में और मद्रास में बड़े बड़े कसाईखानों में अच्छे से अच्छे जानवरों का बध बढ़ाया जा रहा है : और उस के सबब से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ?

श्री सतीश चन्द्र: मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य की यह धारणा सही नहीं है। पिछले साल हमारे पास निर्यात के लिये काफी स्किन्स और हाइड्स नहीं थीं इसलिये हम कच्चा माल बाहर से मंगाते हैं। और फिर उस को यहां टैन कर के बाहर भेजते हैं । इस से निर्यात बहुत बढ़ा है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि बाहर से जो कच्चा माल आता है उस के सिवा जो यहां से बाहर चमड़े और चमड़े की चीजें जाती हैं वह अधिकांश यहीं के मारे हुए पशुओं की होती हैं, और वह सब अच्छे से अच्छे पशु होते हैं। जिनको बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के कसाईखानों में मारा जा रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** यह तो बड़ा प्रश्न है। जो मारे जाते हैं वह तो माननीय सस्दय को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। यहां बहुत से लोग नान वैजीटेरियन हैं और इसलिये इन पशुओं का बध होता है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस का आयात और निर्यात से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्रीमती मंजुला देवी :** क्या शेर और चीतों की खाल का भी निर्यात किया जाता है ? क्या विदेशों में इन खालों की मांग है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** कीमती खालों अथवा कमाये हुए चमड़े का कुछ निर्यात होता है परन्तु इन की मिकदार काफी कम है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि ब्रिटेन की दिलचस्पी हमारे कच्चे चमड़े के निर्यात में है। तैयार चमड़े की वस्तुओं में नहीं ? यदि हां, तो इस बात की व्यवस्था के लिये कि वे हमारा तैयार माल भी स्वीकार करें, केवल कच्चा चमड़ा ही नहीं, क्या कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री सतीश चन्द्र:** बकरी के चमड़े को छोड़ कर शेष कच्चे चमड़े और खालों के निर्यात पर पाबन्दी है। मैंने जो आंकड़े दिये हैं वे कमाये हुए चमड़े और खालों के बारे में हैं। इस के

---

†मूल अंग्रेजी में

अलावा हम ने बकरों के कच्चे चमड़े का भी कुछ निर्यात किया है। लेकिन, मैं बता चुका हूं कि हमारे निर्यात का बड़ा अंश कमाये हुए चमड़े और खालों का है।

हिन्द महासागर का सर्वेक्षण

+

†*९१०. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** २७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत पोत 'विनियाज' द्वारा हिन्द महासागर के सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सोवियत पोत पर भारत सरकार का कोई पर्यवेक्षक है ; और

(ग) इस पर्यवेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) से (ग). इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिये भारत सरकार ने तीन भारतीय वैज्ञानिकों को तैनात किया है। ये वैज्ञानिक जनवरी, १९६० में कोचीन पत्तन पर, जहां यह पोत विशेष रूप से उन्हें लेने के लिये आया था, सोवियत पोत विनियाज पर सवार हुए। परिणामों का पता वैज्ञानिकों के इस अभियान से वापस लौटने पर ही लगेगा और ये अप्रैल से पहले नहीं लौटेंगे ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या इस संबंध में भारत सरकार को भी कुछ व्यय करना होगा ?

†**श्री सादत अली खां :** उन के लिये निःशुल्क निवास व भोजन तथा अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** क्या दक्षिण पूर्व एशिया के किसी अन्य देश के वैज्ञानिक भी इस अभियान में शामिल हुए हैं ?

†**श्री सादत अली खां:** मेरा ख्याल है कि उन्हों ने अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया है ।

†**श्री अ० चं० गुह :** क्या हमारी प्रतिरक्षा संबंधी युद्ध नीति के लिये इस सर्वेक्षण का कोई विशेष महत्व होगा ? यदि ऐसी बात है तो स्वयं अपने पोत द्वारा न करा कर यह कार्य एक विदेशी पोत को क्यों सौंपा गया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवहरलाल नेहरू)** यह कार्य किसी ने उन्हें सौंपा नहीं है। न हमने उन्हें यह काम सौंपा है और न इस का किसी राजनीतिक कार्य अथवा युद्ध-नीति से कोई संबंध है। यह जांच समुद्र के पानी के गठन, स्वरूप, मूल-स्रोत, वलयन, रासायनिक और जैविल फेर-बदल मौसम एवं वायु विज्ञान संबंधी सूचनाओं के संकलन, समुद्र तल निक्षेपों के उद्भुत और भूतत्वीय गठन और जल-निलम्बन के संबंध में हैं। यह उच्च स्तरीय वैज्ञानिक

---

†मूल अंग्रेजी में

मसले हैं। जिन की जांच कोई भी देश आरम्भ कर सकता है। उन्हों ने यह कार्य आरम्भ किया है और यह उन की कृपा है कि उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों के साथ साथ इंडोनेशिया, श्रीलंका तथा कुछ अन्य देशों के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया है। हमने सहर्ष इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है ।

तिब्बत से भारतीय काश्मीरी व्यापारियों का निष्क्रमण

\+

†*९११. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दलजीत सिंह:
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सै० अं० मेहदी:
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया:
श्री रघुनाथ सिंह:
श्री प्र० गं० देव:

क्या प्रधान मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तिब्बत से भारतीय काश्मीरी व्यापारियों के निष्क्रमण के बारे में चीनी सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) यह उत्तर श्वेत पत्र संख्या ३ के पृष्ठ १२३ पर देखा जा सकता है जो कि १० मार्च, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार भारतीय उद्भव के वे व्यक्ति, जो भारतीय और चीनी दोनों प्रकार की राष्ट्रीयता ग्रहण करने के योग्य हैं, जो भी राष्ट्रयिता चाहें, ग्रहण कर सकते हैं। क्या चीनी सरकार द्वारा यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** चीनी सरकार ने कहा है कि वह यह मान कर चल रही है कि वे चीनी राष्ट्रजन हैं और इसलिये उन्हें चीनी राष्ट्रीयता छोड़ कर फिर से नई राष्ट्रीयता के लिये प्रार्थना-पत्र देना चाहिये। हमारे विचार में यह सही स्थिति नहीं है क्योंकि हम यह स्वीकार नहीं करते कि वे चीनी राष्ट्रजन हैं ।

श्री अ० चं० गुह : उस जायदाद का क्या हुआ जो इन भारतीय व्यापारियों द्वारा वहां छोड़ दी गई है अथवा प्राप्त कर ली गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस प्रश्न में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है वे वहां उपस्थित हैं। यह प्रश्न उन के वहां से आने का है जिस में बाधा पहुंचाई जा रही है। अतः सम्पत्ति के छोड़े जाने का प्रश्न तभी उठेगा जब वे वहां से आ जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी** : यह देखते हुए कि चीनी सरकार ने इस संबंध में हमारे दावे को ठुकरा दिया है, सरकार और क्या कार्यवाही करना चाहती है। क्या इस प्रश्न पर दोनों प्रधान मंत्रियों की आगामी भेंट के अवसर पर चर्चा की जायगी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसे मामलों में राजनयिक स्तर पर ही चर्चा जारी रखी जाती है। और वह की जा रही है। इस के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि जब कि चीन के प्रधान मंत्री यहां आयेंगे तो बातचीत के दौरान में इस विशिष्ट विषय पर चर्चा हो सकेगी अथवा नहीं और स्थिति क्या होगी ?

†**श्री पाणिग्रही** : क्या सरकार को ज्ञात है कि तिब्बत में इनमें से अधिकांश व्यापारियों ने तिब्बती स्त्रियों से विवाह कर लिये हैं ? यदि हां, तो क्या वे अपनी पत्नियों सहित आना चाहते हैं अथवा अकेले ही ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: हमें ज्ञात है कि तिब्बत में बहुत से लोगों ने विवाह कर लिये हैं। जब कि पतियों का भविष्य ही निश्चित नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि उन की पत्नियों का भविष्य क्या होगा ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि तिब्बत में इन में से कुछ लद्दाखी व्यापारियों के पास भारतीय पारपत्र भी हैं और चीनी दृष्टांक भी ? यदि हां, तो उन के निष्कासन के रास्ते में कौन सी बाधा आ रही है ? विशिष्ट कारण क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उन के पास भारतीय पारपत्र हैं तो उन के निष्कासन में क्या कठिनाई है ?

†**श्री हेम बरुआ** : चीनी दृष्टांक भी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में नहीं कहता अपितु सामान्यतः उन्हों ने भारतीय पारपत्र नहीं लिये क्योंकि उन दिनों में भारतीय पारपत्र लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहां काफी समय से रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास भारतीय पारपत्र होगा।

†**श्री हेम बरुआ** : एक पूर्व अवसर पर इसी विषय पर एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट रूप से यह बताया गया था कि तिब्बत में कुछ लद्दाखी लोग हैं जिन के पास भारतीय पारपत्र और चीनी दृष्टांक हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: उन का मामला भिन्न है। किन्तु हम इस प्रश्न में काश्मीरी मुसलमानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे वहां पर एक या दो युगों से रह रहे हैं। और बिना पारपत्रों के वहां काम चला रहे हैं। अब वे पारपत्र चाहते हैं। और हम उन्हें देने को तैयार हैं। अतः यह परेशानी पैदा हुई है।

†**श्री प्र० गं० देव** : इन काश्मीरी व्यापारियों की सख्या क्या है ?

†**श्री सादत अली खां** : वहां १२४ परिवार रह रहे हैं। जिन में १६२ पुरुष हैं, १८४ स्त्रियां हैं तथा २३७ अल्पवयस्क बच्चे हैं। प्रत्येक परिवार को भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिये ल्हासा में स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत के पास प्रार्थनापत्र भेजना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राम सुभग सिंह : क्या ल्हासा तथा अन्य स्थानों में व्यापार अभिकर्ता हैं जो तिब्बत में भारतीय व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों की सुविधाओं तथा उन के कल्याण का ध्यान रख सकें ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उन की सुविधाओं का ध्यान रखने के बारे में उत्तर देना मेरे लिये कठिन है । हम हमेशा उन की सहायता करने का प्रयत्न करते हैं, कभी हम सफल होते हैं और कभी असफल ।

†श्री हेम बरुआ : क्या वाणिज्य दूतावास पर लगाये गये सुरक्षिगण के लोग अब हटा दिये गये हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ही दूसरा प्रश्न है ।

†श्री हेम बरुआ : जब सुरक्षिगण के लोग तैनात कर दिये जाते हैं तो महावाणिज्यदूत लोगों के हितों का ध्यान नहीं रख सकता क्योंकि उन्हें वाणिज्यदूतावास से सम्पर्क रखने की अनुमति नहीं दी जाती । यदि सुरक्षिगण हटा लिये जाते हैं तो वे वाणिज्यदूतावास से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और कुछ हद तक अपनी समस्यायें हल कर सकते हैं । इसीलिये मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जो उत्तर मैं दे सकता हूं, वह स्पष्ट नहीं हो सकता । कभी कभी वे उस से सम्पर्क स्थापित कर लेते हैं किन्तु ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता ।

लाहौल और स्पिति में रेडियो लाइसेंस शुल्क

*९१२. { +श्री हेम राज :
श्री पद्म देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त : }

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लाहौल और स्पिति के आदिमजाति क्षेत्रों को रेडियो लाइसेंस शुल्क से मुक्त करने का प्रश्न कहां तक पहुंचा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : रेडियो पर से लाइसेंस फीस हटा देने से लाहौल और स्पिति के गरीब निवासियों को रेडियो सुनने की सुविधायें शायद ही मिल सकेंगी क्योंकि वह लोग अपने रेडियो मोल नहीं ले सकते । पजाब सरकार को यह सलाह दी गई है कि लाहौल और स्पिति क्षेत्रों के गरीबों को सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत रेडियो दिलवाये जायें जैसा कि वह आदिम जाति और पिछड़े क्षेत्रों पर लागू होती है । (उस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया) ।

†श्री हेम राज : इस बात को देखते हुए कि वर्ष में ८ या ९ महीने तक उन क्षेत्रों में जाना असंभव हो जाता है और वहां डाक की सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं क्या सरकार पंजाब सरकार को मुफ्त और लाइसेंस फीस से मुक्त सामुदायिक रेडियो सेट देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : यदि सामुदायिक रेडियो सेट दिये जायेंगे तो लाइसेंस फीस की छूट देने का प्रश्न नहीं उठेगा । माननीय सदस्य को ज्ञात है कि सामुदायिक रेडियो सेटों पर घरेलू सेटों के मुकाबले में कहीं कम फीस है और जो कुछ फीस है उस को सरकार स्वयं वहन करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज** : यह बात देखते हुए कि उस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है—६००० वर्ग मील के क्षेत्र में केवल ४००० की जनसंख्या है—क्या सरकार पंजाब सरकार को कुछ रेडियो सेट मुफ्त देने के बारे में विचार करेगी ताकि प्रत्येक गांव को एक-एक सेट दिया जा सके ?

†**डा० केसकर** : मेरे उत्तर के आखिरी भाग का वस्तुतः यही तात्पर्य था । आदिमजाति क्षेत्र के लिये की गई व्यवस्था के अन्तर्गत जो भी सेट दिया जायेगा उस का अर्थ यह है कि लोगों को उस के लिये कुछ भी नहीं देना पड़ेगा । उस का मूल्य पंजाब सरकार और भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा और पंजाब सरकार ही उस को वहां लगायेगी तथा उस की देखभाल करेगी ।

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री को यह मालूम है कि आज-कल के विशेष समय में उस इलाके में विशेष प्रकार की अफ़वाहें उड़ाई जाती हैं । प्रश्न यह पूछा गया था कि जो लोग रेडियो सेट्स खरीद सकते हैं, वे फ़ीस से एग्ज़ेम्प्ट किये जा सकते हैं या नहीं । इस में यह नहीं था कि चूंकि वहां के लोग गरीब हैं, इसलिये उन को एग्ज़ेम्प्ट किया जाये । प्रश्न यह है कि जो गरीब भी खरीद सकते हैं, आया उन के ऊपर से फ़ीस माफ़ होगी या नहीं ।

डा० केसकर : वह तो उत्तर में बताया गया है कि फ़ीस माफ़ नहीं हो सकती । उस का कारण मुख्यतया यह है कि अगर उस क्षेत्र में कुछ लोगों को हम एग्ज़ेम्प्शन दे दें, तो यह सवाल मुल्क में और दस जगह उठाया जायगा और पी० एंड टी० डिपार्टमेंट के लिये यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो जायगा* ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या सरकार यही सुविधायें अन्य राज्यों को भी देगी जहां आदिमजाति के लोगों की काफ़ी संख्या है ? मेरा तात्पर्य मुफ्त सामुदायिक रेडियो सेट देने से है ?

†**डा० केसकर** : मुफ्त सामुदायिक रेडियो सेट देने की योजना आजकल आदिमजाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में ही चलाई जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सम्पूर्ण देश में ?

†**डा० केसकर** : जी हां ।

चाय बागानों में कुप्रबन्ध

†*६१४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन चाय बागानों को अपने हाथ में लेने के लिये, जिन का प्रबन्ध ठीक नहीं है, विधेयक प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या आसाम के उद्योग मंत्री ने उपरोक्त मामले पर केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). कुछ समय पूर्व आसाम सरकार ने भारत सरकार का ध्यान आसाम में वित्तीय कठिनाइयों, लापरवाही अथवा कुप्रबन्ध के कारण छोटे चाय बागानों के बन्द होने के कुछ मामलों की ओर अथवा कुछ ऐसे मामलों की ओर दिलाया था जिन में उन के बन्द होने की धमकी दी गई थी तथा उस ने यह सुझाव दिया था कि

---

†मूल अंग्रजी में

केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न पर विचार करे कि इन मामलों को तय करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) एक्ट, १९५१ में उपबन्धित अधिकारों के सदृश अधिकार प्राप्त करना कहां तक वांछनीय है । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : किन-किन बागानों का प्रबन्ध खराब है, यह देखने के लिये क्या कसौटी रखी गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हमारे दिमाग में पहले से कोई भी कसौटी नहीं थी । आसाम सरकार ने हम को बताया कि कुछ बागान बन्द हो गये हैं और कुछ बन्द होने वाले हैं । अतः हम ने चाय बोर्ड से सलाह ली और चाय बोर्ड ने चाय विकास निदेशक को प्रत्येक बाग का निरीक्षण करने के काम पर लगाया और उस ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । विभिन्न बागानों की विभिन्न समस्यायें हैं । कुछ में प्रबन्ध उचित नहीं है और कुछ में काम करने की प्रणाली पुरानी है । उस ने कुछ सिफारिशें की हैं और चाय बोर्ड प्रत्येक चाय बागान के मालिक से बातचीत करेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस समय देश में कितने चाय बागान हैं तथा कितने बन्द हो गये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : चाय विकास निदेशक ने १८ बागानों का निरीक्षण किया था । किन्तु सभी बन्द नहीं हो गये हैं और स्थिति हमेशा ही अस्थिर रहती है । कुछ चाय बागान बन्द हो जाते हैं और दो या तीन महीने बाद फिर खुल जाते हैं । अतः यह बताना कठिन है कि अभी कितने बन्द हो गये हैं । किन्तु उस ने अठारह बागानों का निरीक्षण किया है ।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : कुप्रबन्ध के कारण देश को जो हानि हो रही है उस को देखते हुए, क्या कुछ शीघ्र कार्यवाही करना ठीक नहीं होगा?

†**श्री सतीश चन्द्र** : समस्या वस्तुतः छोटी है । जिन १८ बागानों का मैं ने उल्लेख किया वे हमेशा बन्द नहीं रहते और देश में ७००० चाय बागान हैं । इन की संख्या इतनी कम है कि इस समस्या को सामान्य रूप से हल करने की आवश्यकता नहीं है और प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जायेगा ।

†**श्री हेम राज** : इन १८ बागानों के अन्तर्गत कितना क्षेत्रफल आता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । मेरे पास इन बागों की सूची तथा प्रत्येक बाग का क्षेत्रफल है । प्रश्न-काल समाप्त होने पर मैं उन को उसे दे दूंगा और वे उस का योग लगा सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उद्देश्य यह जानने का है कि कुल बागानों के क्षेत्रफल के मुकाबले में इन का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस का प्रतिशत बहुत कम है किन्तु उस का हिसाब लगाना होगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या चाय सम्बन्धी कार्यकारी दल ने ऐसी कोई सिफारिश की है कि इस सम्बन्ध में कोई विधान होना चाहिये ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : विधान बनाने का प्रश्न विचाराधीन है और सरकार अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है । अतः यह प्रश्न निराधार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुग्रा** : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व संघ सरकार ने ग्रासाम सरकार विधान बनाने का सुझाव दिया था ताकि सरकार उन बागानों को अपने अधिकार में ले सके जिन से आर्थिक लाभ नहीं हो रहा और यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह बात एक दम विपरीत है। वस्तुतः ग्रासाम सरकार ने सुझाव दिया है कि या तो राज्य सरकार या फिर केन्द्रीय सरकार कुछ विधान बनाये। हम ने ग्रासाम के मुख्य मंत्री तथा सम्बन्धित मंत्री से बात की थी और वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि कोई विधान बनाना हो तो केन्द्रीय सरकार को उस का उत्तरदायित्व लेना चाहिये। हम ने अन्य सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी परामर्श किया है। इस का सम्बन्ध केवल ग्रासाम सरकार से ही नहीं है अपितु अन्य राज्यों से भी है और यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अन्य राज्य सरकारों ने इस में रुचि नहीं ली है। कुछ राज्य सरकारों से तो हमें उत्तर भी नहीं मिले हैं। इन परिस्थितियों में, मामला ग्रब भी पड़ा हुआ है। किन्तु एक स ताह पूर्व ही मैं ने ग्रासाम सरकार के उद्योग मंत्री को लिखा है कि क्योंकि वे राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के सम्बन्ध में आ रहे हैं, मैं उन से इस सम्बन्ध में आगे चर्चा करना चाहूंगा।

†**श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या कुप्रबन्ध के कारण ग्रासाम में कुछ बागान बन्द हुए हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वहां कुछ ऐसे बागान हैं जो या तो कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो गये हैं अथवा संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। उदाहरणतः, चाय विकास निदेशक ने एक चाय बागान का निरीक्षण किया था और उस ने यह सिफारिश की कि उन्हें बागानों का अनुभव प्राप्त एक प्रबन्धक नियुक्त करना चाहिये ; उन्हें कहीं से भी एक अनभिज्ञ को नियुक्त नहीं कर लेना चाहिये। स्पष्टतः चाय बागान का प्रबन्धक मालिक का मित्र अथवा रिश्तेदार होता है जो चाय के बारे में अधिक नहीं जानता।

बेरोजगारी

+

†*९१५. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री हेम बरुग्रा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजीबद्ध बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या हाल ही में १४ लाख हो गई है ;

(ख) क्या यह संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के समय से सब से बड़ी है ;

(ग) यदि हां, तो इतनी ग्रसाधारण वृद्धि का क्या कारण है ;

(घ) स्थिति को संभालने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद ग्रली)**: (क) जी हां।

(ख) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या बढ़ जाने, रोजगार ढूंढने वालों द्वारा पहले से उन की सहायता लेने, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर लोगों के प्रव्रजन तथा जनसंख्या बढ़ जाने के कारण यह संख्या बढ़ी है ।

(घ) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं । परियोजनाओं के पूरे होने से जितने कर्मचारियों की अस्थायी रूप से आवश्यकता नहीं रह गई है उस से उत्पन्न स्थिति को संभालने के लिये नई परियोजनाओं में उन्हें लगाने के हेतु विशेष कार्य प्रणाली स्थापित की गई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : द्वितीय योजना में ८० लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और बाद को उसे ६५ लाख कर दिया गया था । वह लक्ष्य कहां तक पूरा हुआ है अथवा उस के पूरे होने की संभावना है ।

†**श्री आबिद अली** : ४५ लाख ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या १६ मार्च, १९६० के **स्टेट्समैन** में प्रकाशित इस समाचार की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाया गया है कि तृतीय योजना के अन्त तक भारत में कम से कम ५० प्रतिशत व्यक्ति और बेरोज़गार रहेंगे ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या द्वितीय योजना के अन्त तक ७० या ८० लाख व्यक्ति बिना रोजगार के रहेंगे और अन्ततोगत्वा तृतीय योजना के अन्त में लगभग १२०–१३० लाख व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकेगा ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना काल के आरम्भ में हम अधिकांश बेरोजगार व्यक्तियों को खपा नहीं सके अथवा रोजगार नहीं दे सके किन्तु साथ ही यह भी स्मरण रहे कि जितने लोगों को हम प्रथम योजना में रोजगार दे सके उससे कहीं बड़ी संख्या में लोगों को हम द्वितीय योजना काल में रोजगार देंगे । रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं किन्तु जन संख्या वृद्धि आदि के कारण रोजगार दिलाने के लिये लोगों की जितनी संख्या बढ़ती जा रही है, उन सब को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : इस बात को देखते हुये कि पंजीबद्ध बहुत से व्यक्तियों की साक्षात् परीक्षा की जाती है तब वे रोजगार के लिये उपयुक्त नहीं पाये जाते, क्या सरकार किसी ऐसी कार्य प्रणाली के बारे में विचार कर रही है जिससे उन लोगों को भी प्रशिक्षण सुविधायें दी जा सकें और उनका लाभ उठाया जा सके ।

†**श्री आबिद अली** : जहां तक प्रविधिक कर्मचारियों का संबंध है, हमारे पास प्रशिक्षण संस्थायें हैं और लगभग ३०,००० व्यक्तियों को वहां प्रशिक्षित करने का विचार है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : उत्पादन केन्द्रों तथा सहकारी संस्थाओं के कई प्रकार के काम हैं और उनमें से कुछ लोग उपयुक्त नहीं पाये जाते । क्या सरकार ऐसी कार्य प्रणाली स्थापित करना चाहती है जिसके जरिये काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके ?

†**श्री आबिद अली** : कभी कभी, इनमें से कुछ लोग किन्हीं विशिष्ट पदों के उपयुक्त नहीं पाये जाते । हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है तथा तदनुसार हम अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम बदलते रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** भारत के ग्रामों में कितने अप्रवीण व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने तथा उनको पंजीबद्ध करने के लिये क्या कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : रोजगार के लिये ?

†**श्री त्यागी**: जो लोग बेरोजगार हैं ।

†**श्री नन्दा :** जी हां । इस समय अधिकांश जिलों में काम दिलाऊ दफ्तर यह काम कर रहे हैं । अब हमने देहातों में भी यह देखने के लिये कुछ काम दिलाऊ दफ्तर स्थापित करने का निश्चय किया है कि उनसे कितना लाभ होगा तथा उनसे कितनी सहायता मिल सकती है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : दूसरी पंच वर्षीय योजना में प्रति वर्ष कितनी बेकारी बढ़ी है ?

†**श्री आबिद अली** : रोजगार दफ्तरों में पंजीयन के आधार पर १९५९ में ११.८३ लाख की और १९५९ में १४.२१ लाख ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : हमारे देश को अधिकाधिक कुशल और अर्ध कुशल कर्मकारों की आवश्यकता है । प्रधान मंत्री भी अक्सर कहते हैं कि देश को प्रविधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है । परन्तु रोजगार दफ्तरों के आधुनिक आंकड़े यह बताते हैं कि लगभग ५००० कुशल, अतिकुशल और अर्धकुशल लोग बेकार हैं । इन सब अतिकुशल और अर्धकुशल लोगों को विभिन्न फैक्टिरियों में खपाने की योजनायें क्यों नहीं बनाई जाती, क्योंकि हमारे देश को अधिकाधिक प्रविधिक लोगों की जरूरत है ?

†**श्री आबिद अली :** जहां कहीं मांग होती है और रोज़गार चाहने वाले उपलब्ध होते हैं उन्हें लगाने का प्रयत्न किया जाता है । हो सकता है उन में से कुछ के लिये उपयुक्त नौकरी उपलब्ध न हो ।

†**श्री वेंकटा सुब्बय्या** : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि देहाती क्षेत्रों में रोजगार दफ्तर खुलने वाले हैं । क्या वे ब्लाक (खण्ड) स्तर पर खोले जाएंगे ।

†**श्री नन्दा** : व्यौरा तैयार किया जा रहा है ?

†**श्री साधन गुप्त** : रोजगार के अवसर, रोजगार चाहने वालों से अधिक कब तक उपलब्ध होंगे ?

†**श्री नन्दा :** यह अपेक्षित उद्देश्य कब तक पूरा हो जाएगा इस की तिथि बताना बहुत कठिन है । यह बात कितने ही अनजाने तत्वों पर निर्भर है, उदाहरणार्थ, जन संख्या की वृद्धि दर । हमने पहली पंचवर्षीय योजना में १.२५ से आरम्भ की थी ; अब यह २ के समीप है । मैं ठीक से नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है । मुझे विश्वास है जैसे जैसे हम पूंजी अधिक लगा रहे हैं—यदि हम दूसरी योजना में अधिक पूंजी लगा सकें तो हम शायद सब को खपा लें मुझे आशा है कि हम बाद में ऐसा करने में समर्थ होंगे ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : बेकारी किसी सभ्यता पर कलंक होती है । मेरी योजना है कि प्रत्येक गांव और नगर का भाग संयुक्त परिवार घोषित कर दिया जाए । प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिलाना उनका काम हो क्या सरकार इसे स्वीकार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या सरकार ने योजना बनाने वालों को तीसरी योजना इस प्रकार बनाने के लिये कहा है कि बेकारी की समस्या का संतोषजनक हल हो जाए ?

†**श्री नन्दा :** योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जाएं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** आप दूसरी ओर जा रहे हैं ।

विश्व कृषि-प्रदर्शनी

†*९१६. **श्री प्र० गं० देब :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कृषक समाज ने विश्व कृषि प्रदर्शनी के मैदान के ३० लाख रुपये के किराये की रकम छोड़ देने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) तथा (ख). विश्व कृषि प्रदर्शनी जिस भूमि पर की गई थी उसका किराया और वहां बनाई गई इमारतों आदि का किराया छोड़ने के बारे में भारत कृषक समाज ने प्रार्थना की थी, किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

†**श्री प्र० गं० देव :** भारत कृषक समाज ने विश्व कृषि प्रदर्शनी से कितना लाभ उठाया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या यह सच है कि उस ने बहुत लाभ उठाया है और विदेशी स्टालों से उन्हें लाखों रुपये के उपहार प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हमारे पास इस की विस्तृत जानकारी नहीं है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारत कृषक समाज को सब प्रकार राजस्वों से ८० लाख रुपये के लगभग आय हुई और फिर वह इस किराये के छोड़े जाने की मांग कर रहा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हमारे पास विस्तृत जानकारी नहीं है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** आपके पास अवश्य होनी चाहिये ।

†**श्री साधन गुप्त :** भारत कृषक समाज ने इस छूट की मांग करने के लिये क्या कारण बताये थे और क्या जांच करने के कारण सही पाये गये हैं या गलत ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** समाज ने कहा कि उन्होंने इमारतों आदि का नवीकरण किया था ; सड़कों की मरम्मत की थीं, बिजली और नल के नये कनेक्शन लगाये थे ; लाखों रुपये की इमारतें, दरवाजे आदि बढ़ाये थे; बहुत से विदेशी सम्मानित व्यक्ति भारत आये थे, और उससे बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी; इस अवधि में हजारों लोगों को रोजगार दिया गया, रेलवे, विमानों, डाक और तार तथा टेलीफोन आदि को बड़ी आय हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी:** क्या भारत कृषक समाज, भारत साधु समाज और भारत सेवक समाज की तरह राज्य द्वारा पोषित निकाय है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं नहीं समझता कि यह राज्य-पोषित निकाय है ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह बिल्कुल गैर सरकारी संस्था है या राज्य अथवा किसी मंत्री द्वारा पोषित निकाय ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह गैर-सरकारी संस्था है ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत कृषक समाज पिछले पांच छ : वर्षों से काम कर रहा है । यह कृषकों की गोष्ठियां और सम्मेलन आदि आयोजित करता रहा है । माननीय सदस्यों को विदित होगा कि कृषि मंत्री डा० पं० श० देशमुख इस के प्रधान हैं । इस बार इस ने समस्त विश्व में अपनी प्रभार की पहली विश्व कृषि प्रदर्शनी आयोजित की है । मुझे बताया गया है कि जब उन्होंने प्रदर्शनी आयोजित करने का कदम उठाया, तो खाद्य तथा कृषि मंडल से प्रार्थना की । मंत्रालय ने उन्हें हर तरह से प्रोत्साहन दिया और मैं समझता हूं प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये ५ लाख रुपये का अनुदान भी दिया ।

प्रदर्शनी सफल रही । अमेरिका के राष्ट्रपति, रूस के प्रधान मंत्री और कई दूसरे विदेशी महानुभाव पधारे और उन्होंने प्रदर्शनी देखी, और यह बड़ी सफल प्रदर्शनी रही ।

भारत कृषक समाज पूर्णतया गैर-सरकारी संस्था है । जैसा कि मैंने कहा, कृषि मंत्री इसके प्रधान हैं । जब समाज के प्रधान ने सरकार को यह प्रदर्शनी करने के लिये प्रदर्शनी मैदान के उपयोग की प्रार्थना की तो यह कहा कि समय बहुत कम है आदि । हमने कुछ अस्थायी करार किये कि भूमि पैविलियन आदि उनको दिये जा सकते हैं और यह तय किया गया था कि उन्हें वही किराया देना होगा जो पहले हुई भारतीय उद्योग प्रदर्शनी से लिया गया था । इस आधार पर उन्हें भूमि का कब्जा दिया गया । समय बहुत कम था, अतः उन्होंने काम आरंभ कर दिया, प्रदर्शनी आयोजित की और अब हमने क्रिराये का हिसाब लगाया तो यह लगभग ३० लाख या ३५ लाख रुपये था । तब, मेरे साथी द्वारा बताये गये कारणों से, उन्होंने किराया की छूट की मांग की । हम सहमत नहीं हुए और हम उन्हें किराया देने के लिये कह रहे हैं ।

हमने समाचार पत्रों में प्रतिवेदन देखे हैं कि प्रदर्शनी वित्तीय दृष्टिकोण से सफल रही, पैविलियनों के किराया और टिकटों आदि से ३० लाख से ५० लाख रुपये तक समाज को आय हुई । अभी हिसाब पूरे नहीं हुए हैं और सरकार को यह विदित नहीं है कि इस प्रदर्शनी से संगठन को वास्तव में कितनी आय हुई और कितना खर्च हुआ । इस में कुछ समय लगेगा । हमने अपने दावे का परित्याग नहीं किया किन्तु वे छूट के लिये कह रहे हैं । हम इस पर विचार कर रहे हैं । अन्तिम निर्णय करने से पूर्व हम वित्त मंत्रालय से भी परामर्श करेंगे ।

†**श्रम, रोजगार और योजना मंत्री (श्री नन्दा):** मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय सदस्य श्री त्यागी ने यह अनुपूरक प्रश्न पूछते समय कि क्या यह रकम-पोषित संगठन है दो अन्य नामों का उल्लेख किया था और गलत धारणा की थी वे राज्य पोषित हैं । वे राज्य-पोषित निकाय नहीं हैं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** माननीय मंत्री ने बताया था कि भारत कृषक समाज को सरकार ने ५ लाख रुपये पेशगी दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं ने जो कुछ कहा था, वह यह था कि मुझे बताया गया था कि उन्हें खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से ५ लाख रुपये का अनुदान मिला था--मुझे इसके बारे में बिल्कुल ठीक मालूम नहीं है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : यदि माननीय मंत्री को यह बताया गया था, तो हम यह निश्चित ही समझ सकते हैं कि सरकार ने भारत कृषक समाज की ५ लाख रुपये से सहायता की थी । अभी सरकार ने कहा है कि उन्होंने हिसाब नहीं देखे । उन्हें इतना भी मालूम नहीं कि भारत कृषक समाज को प्रदर्शनी से कितनी आय हुई और उस ने किस प्रकार काम किया । यह बड़ी विचित्र बात है । जब सरकार रुपया देती है, तो ऐसे मामलों के प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं रखती ।

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस में कोई विचित्र बात नहीं । सरकार बहुत सी संस्थाओं को अनुदान देती है । ऐसा नहीं होता कि सरकार अनुदान देकर आय, व्यय और किस ढंग से राशि खर्च की गई आदि के बारे में हस्तक्षेप करेगी । कई बार वे बिल्कुल अनुदान होते हैं । सरकार ने भारत कृषक समाज से इस का ब्यौरा मांगा है कि उनकी आय कितनी थी और व्यय कितना, आदि ।

†**श्री त्यागी** : मैं सिद्धान्त की एक बात पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । एक सदस्य ने औचित्य प्रश्न पूछा । यह इसलिए कि इस का वित्त से सम्बन्ध है । सीधा प्रश्न यह है कि आया हिसाब पूरा करने के लिए कहा गया है या कोई प्रयत्न किया गया है । इस मामले पर अधिक प्रश्नों को रोकने के लिए, माननीय सदस्यों का माननीय मंत्री से यह पूछना युक्तिसंगत है कि उन्होंने वास्तव में क्या किया है । सम्भव है कि यदि कोई हानि हुई हो तो उसकी पूर्ति की जाये क्योंकि यह सब उपयोगी काम है । परन्तु इस प्रश्न के बावजूद कि लाभ हुआ था या नहीं, बात यह है कि क्या मामले की जांच किये बिना उन्होंने ३० लाख रुपये देने का प्रस्ताव किया । स्वभावतः प्रत्येक सदस्य को यह पूछने का हक है कि वे ३० लाख रुपये का अनुदान क्यों दे रहे हैं । अतः इस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । उपमंत्री से तीन बार यह पूछा गया है कि क्या उन्हें उनकी आय के बारे में पता है । वह जानना चाहते हैं कि क्या घाटा हुआ था और उन्होंने कहा 'नहीं' । उन्होंने यह भी नहीं कहा कि आया वे जांच कर रहे हैं । वास्तव में, इस प्रकार राशि का इतनी सरलता से व्यय नहीं किया जाना चाहिए । अनुदान दिये जा सकते हैं, किन्तु वह जानना चाहते हैं वास्तव में घाटा कितना है । सरकारी कोष से दूसरी संस्था को इस प्रकार राशि नहीं मिलनी चाहिए । इसलिए माननीय मंत्री इस की जांच करेंगे और देखेंगे कि उन्हें कितनी राशि वसूल हुई है । यदि कुछ क्षतिपूर्ति करनी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई सदस्य वैसा न करने के लिए कहेगा । सदस्य तो यह जानना चाहते हैं कि जब पहले से ५ लाख रुपये दिये जा चुके हैं तो कितनी राशि वास्तव में वसूल की गई है ।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री के उत्तर आरम्भ करने से पूर्व मैं एक निश्चित प्रश्न पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कितने मंत्री, उपमंत्री और अधिकारी, भारत कृषक समाज की उस कार्यकारिणी के सदस्य थे, जिसने प्रदर्शनी आयोजित की थी, और क्या सरकार ने उन्हें साधारण ढंग से परे जाकर ५ लाख रुपये की सहायता करने और २० लाख या ३० लाख रुपये कमाने देने को उचित समझा है ? क्या यह इस कारण हुआ है कि कृषि मंत्री इस समाज के प्रधान हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता । (**अन्तर्बाधा**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्रीस० का० पाटिल)** : क्योंकि इस का मेरे मंत्रालय से भी सम्बन्ध है, मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं । ५ लाख रुपये के अनुदान के बारे में प्रश्न और उत्तर थे । मुझे मालूम नहीं कि कितनी राशि थी । यद्यपि यह गैरसरकारी संगठन है । श्री त्यागी का यह कहना सही है कि एक मंत्री इस का प्रधान है और मैं समझता हूं कि उपमंत्री का भी इस से सम्बन्ध है । परन्तु अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रदर्शनी को बन्द हुए केवल दो सप्ताह ही हुए हैं । जहां तक हिसाब का सम्बन्ध है, मुझे बताया गया है कि लेखा की निगरानी के लिए उस बोर्ड में मंत्रालय के अधिकारी भी हैं और मैं यह ध्यान रखूंगा कि हिसाब किया जाये और उसकी प्रति सभा पटल पर रख दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री अ० च० गुह** : श्री क० च० रेड्डी के वक्तव्य से एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है । यह प्रदर्शनी के बारे में है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम प्रश्नों के घंटे में विस्तृत प्रश्न पूछेंगे ? मैं इस की अनुमति नहीं देता । माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं विस्तृत मामले सभा के सामने कैसे लाये जाने चाहिए । सिद्धान्त के तौर पर प्रश्नों के घंटे में विस्तृत मामले नहीं उठाये जाते । अगला प्रश्न ।

बरेली में कृत्रिम रबड़ का कारखाना

+

†*९१८. **श्री भक्त दर्शन:**
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा:
श्री रा० च० माझी:
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जगदीश अवस्थी:
श्री पद्म देव:
श्री श्रीनारयण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के तारांकित **प्रश्न संख्या** ७६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैसर्स किलाचन्द देवचन्द एण्ड कं० (प्राइवेट) लि० ने कारखाने के स्थान का आरम्भिक सर्वे कर लिया है और संयंत्र एवं मशीनों के लिए पूछताछ शुरू कर दी है । उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को बरेली के पास जमीन दिलाने के लिए भी लिखा है ।

श्री भक्त दर्शन: : श्रीमन्, इस समय जो जांच पड़ताल चल रही है तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : यह जांच पड़ताल तकरीबन हर एक केस में पूरी हो गई है । जमीन भी थोड़ी देर में ऐक्वायर करेंगे और हमारा खयाल है कि सन् १९६२ तक यह फैक्टरी चालू हो जायगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह फैक्टरी जहां तक मुझे मालूम है एक प्राइवेट उद्योगपति के द्वारा कायम की गई है तो केन्द्रीय सरकार का उस में क्या भाग होगा और राज्य सरकार उस में क्या सहायता देगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह बिलकुल खानगी क्षेत्र की फैक्टरी है । उस में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई हिस्सा नहीं होगा ।

†**श्री बसुमतारी :** इस फैक्टरी से यह कितनी मात्रा में तैयार होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग २०००० टन सिन्थैटिक रबड़, १२००० टन बुटेडीन, और ८००० टन स्टाइरन और बाद में ३०,००० टन तक कृत्रिम रबड़ ।

†**श्री च० द० पांडे :** पावर अल्कोहल के उत्पादन के लिए राब देने का क्या आधार होगा ? क्या मूल्य में उत्पादन शुल्क भी शामिल होगा या यह फैक्टरी के उत्पादन के आधार पर होगा ? यदि यह दिये गये उत्पादन शुल्क के आधार पर किया जायेगा, तो ठीक होगा, परन्तु यदि यह नहीं लगाया जाता, तो लगभग २ करोड़ रुपये का नुकसान होगा ।

†**श्री मनुभाई शाह :** सामान्यतया, हमारी नीति यह है कि जहां कहीं औद्योगिक कच्चे माल का शोधन किया जाता है, वहां कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाता । संसाधन बढ़ाने के और बहुत से दूसरे तरीके हैं किन्तु उत्पादन को ऐसे कच्चे माल से सस्ता बनाने के लिए, सारे देश में सब उद्योगों के लिए सामान्य नीति रही है कि औद्योगिक कच्चे माल पर इतना भारी शुल्क न लिया जाये । कच्चा माल, अर्थात् पावर अल्कोहल उत्तर प्रदेश और बिहार से लिया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या देश के अन्य राज्यों में कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किये जायेंगे; और यदि हां, तो कब तक ?

†**श्री मनुभाई शाह :** पहले संयंत्र को उत्पादन आरम्भ करने दीजिये । इस समय दूसरे संयंत्र का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । एक बार अपनी आवश्यकता पूरी कर लेने पर यदि हमें अधिक आवश्यकता होगी तो हमें दूसरा संयंत्र लगाने से कौन रोक लेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि इस संयंत्र की क्षमता लगभग ३०००० टन होगी । यदि हां, तो क्या आयात बन्द कर देने के लिए, यह मात्रा हमारे लिए पर्याप्त होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां, संयंत्र के उत्पादन आरम्भ करने पर यह हमारे लिए स्वावलम्बी बनने से भी अधिक होगा । शायद हम इसका निर्यात भी कर सकें ।

श्री भक्त दर्शन : यह जो कारखाना शुरू किया जा रहा है तो इस में जो प्राइवेट उद्योगपति हैं वह कोई विदेशों से भी सहायता ले रहे हैं या इसको अपने ही सहारे पर चलाना चाहते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इस में कुल राशि जो लगेगी वह २० से २५ करोड़ की होगी । इक्वैटी कैप्टिल कोई साढ़े ४ करोड़ होगा । एक करोड़ १२ लाख किलाचन्द देवचन्द का होगा और बाकी का ढाई करोड़ पबलिक से सब्स्क्रेप्शन लेकर उठायेंगे ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्योंकि संयंत्र के लिये १८० लाख गैलन पावर अल्कोहल की आवश्यकता है, क्या इस से अल्कोहल का मूल्य नहीं बढ़ जायेगा और क्या इस का उत्तर प्रदेश और बिहार के दूसरे उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में यह पावर अल्कोहल उद्योग के लिए वरदान होगा । जैसा कि सभा को भली भांति याद है, इस की इतनी बहुलता थी और हम यह नहीं सोच पाये थे कि पावर अल्कोहल का क्या किया जाये जो देश की बहुत सी चीनी फैक्टरियों से निकल रही थी । अतः यह एक ओर तो अल्कोहल के मूल्य को संधारित रखेगी और राब का अधिकतम उपयोग होगा जो चीनी उद्योग के लिए सहायक होगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यद्यपि केन्द्रीय सरकार इस कारखाने में अपना रुपया नहीं लगा रही तो भी उस को क्या क्या सहायता दी जा रही है जिससे कि यह काम जल्दी हो सके ?

श्री मनुभाई शाह : जो जो सहायता इस खानगी क्षेत्र वाली फर्म ने मांगी है वह सब सरकार ने उन को दी है और बड़े रेकार्ड टाईम में सब लाइसेंसेज मिल गये हैं और इम्पोर्टेशन आफ प्लांट के लिए तय कर लिया है और कामकाज उनके हाथ में है ।

नेफा में प्लाइवुड की फैक्टरी

+

†*११६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रधान मंत्री** १० दिसम्बर, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के क्षेत्र में प्लाईवुड की एक फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में ब्रिटिश फर्म से हो रही बातचीत पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी हां ।

(ख) उस फर्म ने एक 'रुपया कम्पनी' स्थापित करने के लिये अन्तर्नियमों व प्रतिष्ठान ज्ञापन पत्र का प्रारूप भेजा है । उन पर विचार किया जा रहा है । 'रुपया कम्पनी' के पंजीबद्ध हो जाने के बाद पट्टा करार किया जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इसके लिये उस ब्रिटिश फर्म से प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : १९५५ में नेफा प्रशासन ने लगभग ३०,३७२ एकड़ जंगल भूमि के लिये १५ वर्ष के लिए एक पट्टे के लिये आवेदन पत्र मांगे थे । उसके लिये १५ आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे । उन में से इसी फर्म को सब से अधिक उपयुक्त समझा गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी :** क्या इसके लिये किसी भारतीय फर्म से भी कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** मेरा अनुमान है कि इनमें भारतीय फर्मों के आवेदन पत्र भी थे।

†**श्री हेम बरुआ:** क्या उस फर्म की शर्तों और निबन्धनों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से फैसला कर लिया गया है, और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** आसाम और नेफा के जंगलों के पट्टों के सम्बन्ध में निर्धारित सामान्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसमें कुछ एक और शर्तें भी सम्मिलित कर दी गयी हैं। जंगलों को काटने के कार्य के लिये एक समिति दायित्व वाली कम्पनी स्थापित की जायेगी जिसमें आदिम जातीय लोगों की ओर से नेफा प्रशान स्वयं भी भाग ले सकता है। ५१ प्रतिशत पूंजी मंत्रालय की ओर से लगायी जायेगी। जहां तक हो सका, स्थानीय लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें दी जायेंगी। पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद वह फैक्टरी नेफा प्रशासन द्वारा ली जा सकेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जम्मू तथा काश्मीर में भारी उद्योग

†*९०८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने १९६० में राज्य की खानों तथा खनिज उत्पादों के विदोहन[1] के प्रयोजानर्थ भारी उद्योगों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना भेजी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र):** जी, हां। जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने दिसम्बर, १९५९ में राज्य में खनिज उत्पादों—विशेषतया लिगनाइट, कोयला, जिप्सम और चूने का पत्थर—का विदोहन करने और उनका एक उर्वरक कारखाने और एक तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिये उद्योग करने के लिये एक निगम—"खनन और खनिज उत्पाद निगम"—स्थापित करने के लिये प्रस्थापना भेजी थी

ओखला की औद्योगिक बस्ती

†*९१३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ओखला की औद्योगिक बस्ती के लिये किसानों से कुल कितनी ज़मीन खरीदी गई थी और किस दर पर ;

(ख) फैक्टरियों के मालिको से उस भूमि की कीमत किस दर पर ली गयी थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Exploitation.

(ग) क्या किसानों को प्रतिकर अदा कर दिया गया है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) लगभग १७५.०७ एकड़ मिभू—औसतन ६,४८० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से,

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वह भूमि नहीं बेची गयी है।

(ग) अभी नहीं।

उर्वरक फैक्टरी

†*६१७. **श्री श्रीनारयण दास :**
श्री राधा रमण :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सै० अ० मेहंदी:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत स्थित जापानी राजदूत, डा० शिरेशी नासू द्वारा मुदरै में दिये गये उस भाषण की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें—जैसा कि टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली संस्करण, दिनांक २३ फरवरी, १९६० में प्रकाशित हुआ है—उन्होंने यह कहा था कि यद्यपि मध्य भारत में एक उर्वरक फैक्टरी की स्थापना के लिये जापान ने अनुकूल 'कोटेशन' भेजा था, तथापि वह कार्य अमरीकन फर्म को दे दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया था?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). इस बात का विनिश्चय कर लिया गया है कि राजदूत ने जो बात कही है उसका सम्बन्ध आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने उर्वरक कारखाने के लिये सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को परामर्श दाता के रूप में नियुक्त किये जाने से है।

वर्मा में भारतीय

†*६२०. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय उदभव के जिन लोगों ने बर्मा की नागरिकता के लिये प्रार्थना की थी, उनमें से कितने व्यक्तियों के लिए आवेदन पत्र अभी तक अनिर्णित अवस्था में हैं?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: उपलब्ध जानकारी के अनुसार २४,००० आवेदन पत्र अभी तक अनिर्णित हैं।

जस्ते की कीमत

†*६२१. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जस्ते की कीमतें हाल में बढ़ गयी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि बम्बई का एसोसिएशन जस्ते का एकमात्र आयातक है ;

(ग) क्या सरकार को जस्ते के वास्तव में प्रयोजनाओं से यह प्रार्थना प्राप्त हुई है कि उन्हें जस्ते तथा अन्य अलौह वस्तुओं के आयात के लिये अनुमति दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां ; जनवरी, १९६० में सट्टा व्यापार और कुछ सीमा तक कुछ एक उपभोक्ताओं द्वारा आगामी महीनों के लिये जस्ते की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये अधिक जस्ता खरीदने के कारण स्थानीय बाजारों में जस्ते की कीमतों में कुछ वृद्धि हो गयी थी ।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). जी हां। लघु उद्योग की ओर से यह प्रार्थना की गयी है कि उन्हें अलौह धातुओं से यह सीधे आयात के लिये लाइसेन्स दिये जायें, परन्तु ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रत्येक लघु उद्योग एकक द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले जस्ते की मात्रा बहुत कम है और ऐसे एककों की संख्या बहुत अधिक है। परन्तु फिर भी, जहां तक हो सकता है, हम राज्य व्यापार निगम के द्वारा इन लघु एककों की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

आसाम में विस्थापित व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†*९२१. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया**: क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में विस्थापित व्यक्तियों के प्रशिक्षण केन्द्र बन्द कर देने के सम्बन्ध में कोई हिदायतें जारी कर दी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) और (ख). क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में पुनर्वास कार्य अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसलिये प्रत्येक राज्य में पुनर्वास सम्बन्धी कार्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। आसाम के कुल ३० प्रतिशत केन्द्रों में से १५ को बन्द कर देने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

निर्यातक सन्था[1]

†*९२३. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौवहन कम्पनियों से सम्बन्ध रखने के लिये द्विदलीय आधार पर निर्यातकर्ता सन्था (एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन) बनाने का प्रयत्न कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्था किस प्रकार की होगी और उसके क्या क्या कार्य होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Exporters' Association.

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और ख). जी, नहीं। किन्तु व्यापारी वर्ग नौवहन सम्बन्धी कठिनाइयों और किराये भाड़े सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं का एक संगठन बनाने की संभावना पर विचार कर रहा है।

इण्डोनेशिया को कपड़े का निर्यात

†*९२४. **श्री प्र० गं० देव:**
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया के राज्य व्यापार निगम से वस्त्र सम्बन्धी व्यापार के बारे में बातचीत करने के लिये भारतीय राज्य व्यापार निगम का एक दल वहां गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम ने व्यापार के एक ऐसे नये रूप का अध्ययन करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल वहां भेजा , है जिसके अधीन उस देश में आठ सरकारी संगठनों द्वारा व्यापार चलाया जा रहा है।

नैनीताल में विस्थापित व्यक्ति

†*९२५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले कुछ विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिये उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की कितनी संख्या है ;

(ग) क्या उन व्यक्तियों को क्वार्टर और कृषि भूमि एलाट कर दी गई है ; और

(घ) उन्हें और क्या क्या सुविधा दी गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (घ). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गयी है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रेफाइट का कारखाना

†*९२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १० दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रिएक्टर ग्रेड तथा वाणिज्यिक ग्रेड ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए एक कारखाना स्थापित करने की योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : रिएक्टर तथा वाणिज्यिक ग्रेड ग्रेफाइट के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने की योजना अभी तक विचाराधीन है । निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के अधीन किस प्रकार के और किस आकार के रिएक्टर इस्तेमाल किये जाते हैं ।

गोआ को नौवहन सेवा

†*९२७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सम्पत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय गोदी श्रमिकों ने गोआ को जाने वाले जलयानों का बहिष्कार समाप्त कर दिया है ; और

(ख) क्या भारतीय जहाजों ने भी भारत में स्थित पुर्तगाली बस्तियों को सामान लाने तथा ले जाने का काम प्रारम्भ कर दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) प्रेस में ऐसी रिपोर्ट छपी है कि अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी श्रमिक संस्था ने पुर्तगाली बस्तियों को जाने वाले जहाजों का बहिष्कार समाप्त कर देने का विचार है ।

(ख) जी, नहीं ।

स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों का अखिल भारतीय स्मारक

*९२८. **श्री भक्त दर्शन:**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा:
श्री हेम बरुआ:
श्री श्री नारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों का दिल्ली में एक अखिल भारतीय स्मारक बनाने के बारे में भारत सरकार और वास्तुकला विशारद के बीच होने वाले निर्माण सम्बन्धी करार की शर्तें तय हो गई हैं ; और

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है । मूर्तिकार अभी मद्रास में भारत सरकार के एक अन्य कार्य में लगा हुआ है और ज्यों ही वह कार्य समाप्त हुआ तथा उसने दिल्ली में एक चित्रशाला स्थापित की, त्यों ही वह स्मारक पर कार्य आरम्भ कर देगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकन टेलीविजन विशेषज्ञ

†*९२९. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राघा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अमरीकन शिक्षात्मक टेलीविज़न विशेषज्ञों का एक दल भारत आया था ;

(ख) यदि हां तो क्या उस दल ने अपनी रिपोर्ट में कोई सिफ़ारिशें की हैं ;

(ग) सिफ़ारिशों का संक्षेप में ब्योरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या फैसला किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). आकाशवाणी का प्रयोगात्मक टेलीविज़न यूनिट माध्यमिक स्कूलों के लिये शिक्षात्मक टेलीविज़न कार्यक्रम तैयार कर रहा है। इस प्रकार के शिक्षात्मक प्रयोगों में रुचि लेने वाले फ़ोर्ड फाउंडेशन के शिक्षा-विशषज्ञों का एक दल हाल ही में दिल्ली आया है और वह इस के कार्य के सम्बन्ध में अध्ययन कर रहा है। वे यहां पर इस सम्बन्ध में हमारी सहायता करने और हमें प्रोत्साहित करने के लिये आये हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने आकाशवाणी के प्राधिकारियों से चर्चा भी की है।

(ग) और (घ). यह दल विशेष रूप से हमारे द्वारा नहीं बुलाया गया था और न ही यह दल हमें कोई रिपोर्ट पेश करेगा। दल के आगमन का विशेष उद्देश्य यही है कि वह फोर्ड फाइंडेशन को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट भेजे कि हमारा शिक्षात्मक टेलीविज़न यूनिट कैसा चल रहा है और इस सम्बन्ध में वे हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। संभवत: वे फोर्ड फाउंडेशन को एक रिपोर्ट अवश्य पेश करेंगे।

महात्मा गांधी सम्बन्धी फिल्म

†*७१५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी सम्बन्धी पूरी फिल्म बनाने के सम्बन्ध में अभी तक कुल कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : उपलब्ध सामग्री का परीक्षण कर लिया गया है और गांधी जी के जीवन के सम्बन्ध में रूपक प्रलेखीय चलचित्र (फ़ीचर डाक्युमेंटरी) का प्रथम भाग तैयार करने के लिये उक्त सामग्री का तिथ्यनुसार ३५ रीलों में विन्यास कर लिया गया है। इन रीलों में सन् १८६९ से सन् १९३० तक के गांधी जी के जीवन की घटनाएं आ जाती है। पहला भाग पूरा हो जाने के बाद दूसरा भाग प्रारम्भ किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में श्रमिक कल्याण

†११८८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में उड़ीसा राज्य में श्रमिक कल्याण सम्बन्धी उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) वे विभिन्न उपबन्ध क्या हैं जिनको कार्यान्वित करने के लिये यह राशि आवंटित की गयी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) ४७.५ लाख रुपये ?

(ख) इन उपबन्धों में श्रमिक कल्याण केन्द्र शिल्पकारों का प्रशिक्षण तथा जनशक्ति तथा रोज़गार सेवाएं सम्मिलित हैं ।

अनुशासन संहिता का उल्लंघन

†११८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६० के बाद सरकार को अनुशासन संहिता के उल्लंघन के अपराध के सम्बन्ध में मालिकों द्वारा मजदूरों के विरुद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई हैं ? और

(ख) उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जनवरी, १९६० से १४ मार्च, १९६० तक १७ शिकायतें ।

(ख) **की गयी कार्यवाही**	**मामलों की संख्या**
(१) जांच पूरी हो गयी है और अपराधी व्यक्तियों को इस बारे में बता दिया गया है	४
(२) (क) केन्द्रीय मूल्यांकन तथा कार्यान्वित विभाग	१
तथा (ख). राज्य सरकारों द्वारा जांच की जा रही है	५

(३) जिनकी शिकायतें सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास भेजी गयी है और मंत्रालय के पास केवल जानकारी के लिये भेजी गयी हैं । इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के मूल्यांकन तथा कार्यान्विति विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

सरकारी प्रयोजनों के लिये तार (केबल) की आवश्यकता

†११९०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में सरकारी प्रयोजनों के लिये तार की लगभग कुल कितनी आवश्यकता होगी ; और

(ख) इसमें से कितना तार सरकारी उपक्रमों द्वारा तैयार किया जा सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) प्राक्कलन के अनुसार १९६०-६१ में सरकारी प्रयोजनों के लिये लगभग ६०० लाख रुपयों के तार की आवश्यकता होगी ।

(ख) १९८ लाख रुपये ।

तांबे और जस्ते का आवंटन

†११९१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७, १९५८ और १९५९ में बम्बई राज्य को कितना तांबा और जस्ता दिया गया; और

(ख) विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ और बम्बई नगर जैसे विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न कारखानों के लिये उद्योग निदेशक ने कितना आवंटन किया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जुलाई, १९५७ तक तांबा और जस्ता का आयात साधारण लाइसेंस से होता था । बाद की अवधि के लिये उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]**

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय पटल पर रखी जायेगी ।

पाकिस्तान के लिए पासपोर्ट

†११९२. { **श्री अ० क० गोपालन:**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी नागरिक संबंधियों से मिलने पाकिस्तान जाने के लिये १९५९ में कितने भारतीय नागरिकों ने पासपोर्ट के लिये प्रार्थना की;

(ख) कितनी प्रार्थनायें स्वीकार हुईं ;

(ग) कितनी प्रार्थनायें अब भी विचाराधीन हैं; और

(घ) कितनी प्रार्थनायें अस्वीकृत की गयीं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दी बोलियों में आकाशवाणी के कार्यक्रम

११९३. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से आकाशवाणी के दिल्ली और लखनऊ केन्द्रों से हिन्दी की विभिन्न बोलियों में लोक-गीत, वार्तायें और संवाद प्रसारित किये जा रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्ष में इस सम्बन्ध में किये गये कार्य का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) इन कार्यक्रमों को अधिक लोकप्रिय बनाने और इन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज़ पर रखा जा रहा है।

विवरण

दिल्ली स्टेशन

(क) **लोक-गीत**

हर साल में प्रसारित किये गये लोक-गीत की कुल संख्या :—

	१९५७	१९५८	१९५९
ब्रज	८०५	८२७	८६३
हरियाना	१०५५	९८३	९९७
गढवाली	१२०	११५	१२५
राजस्थानी		..	१३
बुन्देलखंडी			४
छत्तीसगढ़ी			३

(ख) **स्पोकन वर्ड आइटम**

हर साल में प्रसारित किये गये वार्ताओं, वार्तालापों और फीचर प्रोग्रामों की कुल संख्या : —

	१९५७	१९५८	१९५९
ब्रज	६१	६२	५२
हरियाना	१८	५१	४६

लखनऊ स्टेशन

(क) **लोक-गीत**

हर साल में प्रसारित किये गये लोक-गीतों की कुल संख्या :—

	१९५७	१९५८	१९५९
अवधी	३२१	४०४	४३५
भोजपुरी	२६५	३४२	३६६
ब्रज	१७२	१८५	१९६
बुन्देलखंडी	१४०	१४६	१५१
कुमाउनी	१०७	११२	१२४

(ख) स्पोकन-वर्ड आइटम

हर साल में प्रसारित किये गये वार्ताओं, वार्तालापों और फीचर प्रोग्रामों की कुल संख्या :—

	१९५७	१९५८	१९५९
अवधी	१३१	१३४	१३८
भोजपुरी	६०	७२	६९
ब्रज	१४	८	१६
बुन्देलखण्डी	८	६	९
कुमाऊनी	३	४	८

(ग) कार्यक्रमों को बेहतर बनाने का काम हर समय जारी रहता है । रिकार्ड करने वाली डलियां बाहर भेजी जाती हैं, और बाहरी प्रसारणों का भी प्रबन्ध किया जाता है । नये कलाकार प्राप्त करने का प्रयत्न सदा ही जारी रहता है ।

दिल्ली रेस कोर्स क्लब

†११९४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'दिल्ली रेस कोर्स क्लब' की भूमि का प्रयोग किसी अन्य सार्वजनिक कार्य में करने का प्रस्ताव तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** :(क) हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हस्तशिल्प का विकास

†११९५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त:**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा:
श्री रा० च० माझी:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दिनों में जो जापानी हस्तशिल्प विशेषज्ञ भारत आये थे क्या सरकार को उन से कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उस में हस्तशिल्प के विकास के लिये क्या सिफारिशें की गई हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में टेक्निकल ट्रेनिंग केन्द्र

†११९६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बेरोजगारी समाप्त करने के लिये दिल्ली में चार टैक्निकल ट्रेनिंग केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना के शेष काल में दिल्ली में कोई नया केन्द्र खोलने का विचार नहीं है । ऐसे सात केन्द्र यहां पहिले से ही चल रहे हैं ।

'पाईरोमेट्रिक कोन'[1]

†११९७. **श्री प्र० के० देव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में अब तक कितने 'पाईरोमेट्रिक कोन' भारत में आयात किये गये तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ;

(ख) देश में उन का क्या प्रयोग होता है ;

(ग) क्या प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसन्धान के परिणाम-स्वरूप वाणिज्यिक आधार पर 'पाईरोमेट्रिक कोन' का निर्माण आरम्भ किया जा सकता है ;

(घ) उन के निर्माण के लिये उद्योग स्थापित करने के लिये कितने वित्त की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में उन के निर्माण के लिये लाइसेन्स के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है । या सरकार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं के आयात के आंकड़े व्यापार वर्गीकरण में पृथक नहीं रखे जाते ।

(ख) भट्टियों और भट्टों का तापमान निश्चित करने के लिये मिट्टी बर्तन (पौटरी) तथा रिफ्रेक्टरी उद्योगों में प्रयोग होता है ।

(ग) तथा (घ). अभी पूर्ण अनुसन्धान नहीं हुआ है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 'कोन, का निर्माण वाणिज्यिक आधार पर हो सकता है या नहीं और न ही यह बताया जा सकता है कि एक कारखाना बनाने के लिये कितने वित्त की आवश्यकता होगी ।

(ङ) अभी तक कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है और सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने का सरकार का भी विचार नहीं है ।

हाइड पाउडर[2]

†११९८. **श्री प्र० के० देव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में अब तक कितना 'हाइड पाउडर' भारत में आयात हुआ है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है;

(ख) देश में इस का क्या प्रयोग होता है;

(ग) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्था, मद्रास में किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक आधार पर 'हाइड पाउडर' का देश में निर्माण आरम्भ किया जा सकता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

१ Pyrometric cones.

२Hide powder.

(घ) इस के उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित करने के लिये कितने वित्त की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इस के उत्पादन के लिये कोई लाईसेन्स के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, या सरकार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयात व्यापार के वर्गीकरण में 'हाइड पाउडर' का विशेष रूप से उल्लेख नहीं होता ।

(ख) चमड़ा कमाने में प्रयोग होने वाली विभिन्न वस्तुओं की विशेषता निश्चित करने के लिये प्रयोगशाला के प्रयोगों में इस का प्रयोग होता है । प्रयोगशाला के कुछ प्रयोगों में वास्तविक कच्चे चमड़े और खालों के स्थान पर भी इस का प्रयोग होता है ।

(ग) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था ने जो तरीक ढूंढा है वह अभी पेटेन्ट नहीं हुआ है । अतः वाणिज्यिक प्रयोग के लिये इसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के पास भेजने की संभावना नहीं है । यदि कोई पार्टी मांगपूर्ति के लिये यह प्रक्रिया लेना चाहे, तो संस्था उस पार्टी को टेक्निकल जानकारी बता देगी ।

(घ) प्रतिवर्ष ३०० पौंड उत्पादन पर २५,००० रु० व्यय होंगे ।

(ङ) देश में 'हाइड पाउडर' के उत्पादन के लिये अभी तक कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।। सरकार इस का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में भी करना नहीं चाहती ।

"फैट लिकर" [१]

†**११९९. श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में कितना "फैट लिकर" आयात किया गया है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था, मद्रास में किये गये अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप "फैट लिकर" का स्वदेशीय उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर आरम्भ किया जा सकता है ;

(ग) उन के उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित करने के लिये कितने वित्त की आवश्यकता होगी ; और

(घ) क्या देश में उन के उत्पादन के लिये लाइसेन्स के लिये कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ है या सरकार सरकारी क्षेत्र में उन का उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस मद के आंकड़े पृथक नहीं रखे जाते ।

(ख) हां, श्रीमान् । संस्था द्वारा ढूंढा गया तरीका आन्ध्र, मद्रास और केरल राज्यों के दक्षिण खण्ड के लिये एक भारतीय फर्म को स्वामित्व के भुगतान पर १४ वर्ष के लिये बता दिया गया है ।

(ग) ३०० टन के वार्षिक उत्पादन वाले कारखाने के लिये १,३६,००० रु० के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होगी ।

(घ) देश में "फैट लिकर" के उत्पादन के लिये अभी तक कोई प्रार्थनापत्र नहीं मिला है । सरकार भी सरकारी क्षेत्र में इस का उत्पादन करना नहीं चाहती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Fat Liquor.

"सिन्टन"[१]

†१२००. श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक "सिन्टन" की कितनी मात्रा का भारत में आयात हुआ है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है ;

(ख) देश में उन का क्या प्रयोग होता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था, मद्रास में किये गये अनुसंधान के परिणाम-स्वरूप वाणिज्यिक आधार पर "सिन्टन" का देश में उत्पादन आरम्भ किया जा सकता है ;

(घ) उन के उत्पादन के लिये उद्योग स्थापित करने के लिये कितने वित्त की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में उन के उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई प्रार्थनापत्र मिला है, या सरकार सरकारी क्षेत्र में इस का उत्पादन करना चाहती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आयात व्यापार वर्गीकरण में यह मद पृथक नहीं रखा जाता ।

(ख) इस देश में "सिन्टन" का प्रयोग निम्न कार्यों के लिये होता है :

(१) छाल द्वारा कमाये गये चमड़े को फिर कमाने में ।

(२) छाल से कमाये गये तले के चमड़े को पुनः कमाने में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के साथ मिलाकर प्रयोग करने में ।

(३) छाल से चमड़ा कमाने के स्थान पर ।

(४) तले का चमड़ा कमाने में, कच्ची खालों और खालों को कमाने में और सफेद चमड़ा बनाने में साफ करने वाले पदार्थ के रूप में ।

(५) क्रोम चमड़ा कमाने के तरीके में 'मारडेंट्स' के रूप में ।

(ग) और (घ). आज कल संस्था अग्रिम संयंत्र के पैमाने पर कार्य कर रही है । इस कार्य की पूर्ति होने पर ही वाणिज्यक प्रयोग तथा उद्योग स्थापित करने के लिये अपेक्षित वित्त की संभावनाओं का अनुमान किया जा सकता है ।

(ङ) देश में 'सिन्टन' के उत्पादन के लिये कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ है । सरकार भी सरकारी क्षेत्र में इस का उत्पादन नहीं करना चाहती ।

फ्रैंकफर्ट में भारतीय व्यापार केन्द्र

†१२०१. { श्री स. च. सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा. च. माझी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २४ नवम्बर १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दस्तकारी विकास निगम लि० का एक अधिकारी केवल दस्तकारी उत्पाद के लिये पश्चिमी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्थित भारतीय व्यापार केन्द्र में नियुक्त किया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

[१]Syntans.

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) उस के कृत्य क्या हैं ;

(घ) क्या उस की नियुक्ति के बाद भारतीय दस्तकारी-उत्पादों का विक्रय बढ़ गया है ; और

(ङ) उसे जो काम दिया गया है वह उस की नियुक्ति से पहिले कौन करते थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). फ्रैंकफर्ट में भारतीय दस्तकारी विकास निगम लि० का एक अधिकारी रखने का निश्चय किया गया है परन्तु अभी उसकी नियुक्ति नहीं की गई है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) भारतीय पण्य वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि में दस्तकारी-उत्पाद भी सम्मिलित है और यह कार्य फ्रैंकफर्ट में भारतीय व्यापार केन्द्र कर रहा है ।

संघ राज्यक्षेत्रों में योजना का व्यय

१२०२. **श्री पद्म देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चतुर्थ वर्ष के लिये प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का पुनरीक्षित प्राक्कलन क्या है ; और

(ख) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में पांचवें वर्ष के लिये अनुमानतः कितनी-कितनी राशि बच जायेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण पत्र सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

संघ राज्य क्षेत्र	पुनरीक्षित प्राक्कलन १९५९–६०*	शेष १९६०–६१ के लिए
१	२	३
दिल्ली	४३२.४२@	५६२.२८@
हिमाचल प्रदेश	४३२.७२	२७९.६९
मनीपुर	१८९.८३	२४१.८३
त्रिपुरा	२१९.८६	१८७.८७

†मूल अंग्रेजी में

@दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई संस्थान के संरक्षित धन से प्राक्कलित अंशदान को छोड़ कर

*वार्षिक योजना १९६०-६१ की चर्चा के समय बताये गये ।

भारत आने वाले पाकिस्तानी तीर्थयात्री

†१२०३. **श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में कितने पाकिस्तानी तीर्थयात्री भारत में मस्जिदों और हिन्दुओं के तीर्थ स्थान देखने आये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : १९५९ में पाकिस्तान से मस्जिदें तथा मुस्लिम तीर्थ स्थान देखने के लिये ५२४८ तीर्थयात्री आये । हिन्दू तीर्थस्थानों को देखने के लिये पाकिस्तान से जो तीर्थयात्री आये हों, उन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

बम्बई राज्य में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

†१२०४. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या १९५९ में बढ़ गई है ; और

(ख) शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी कम करने के लिये सरकार ने जो योजना आरम्भ की है उस का क्या परिणाम रहा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में संख्या बढ़ गई है ।

(ख) रोजगार के अधिक अवसर पैदा किये गये हैं ।

बम्बई राज्य में बेरोजगारी

†१२०५. **श्री पांगरकर:** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में काम दिलाऊ दफ्तरों में अद्यतन कितने व्यक्तियों ने नाम लिखाये हैं ;

(ख) १९५९ में उन से कितने व्यक्तियों को भारत सरकार के उपक्रमों में काम मिला है ; और

(ग) गैर-सरकारी उद्योगों तथा ठेकेदारों की सेवाओं में कितने व्यक्ति लगे हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ३१ जनवरी १९६० को यह संख्या २,१४,९५८ थी ।

(ख) और (ग). विभिन्न प्रकार के उपक्रमों में काम में लगे व्यक्तियों की संख्या निम्न है :

वर्ग	१९५९ में रखे गये व्यक्ति
१. केन्द्रीय सरकार	८,६३०
२. राज्य सरकार	२३,६७७
३. अर्ध-सरकारी तथा स्थानीय निकाय . .	१,३७४
४. गैर-सरकारी उपक्रम . .	९६०
योग . .	३४,६४१

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी मकानों का बिना बारी दिया जाना

†१२०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्वार्टरों के बिना बारी अलाटमेंट की प्रतिशतता १० से बढ़कर ५० हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि १० से १२ वर्ष तक की सेवा पूरी करने वाले व्यक्तियों को भी अभी तक क्वार्टर नहीं मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो बिना बारी अलाट किये जाने वाले मकानों की संख्या कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या की जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को सरकारी आवास का अलाटमेंट समय-समय पर बने अलाटमेंट नियमों के अनुसार तत्संबंधी श्रेणियों में प्राथमिकता तारीख के अनुसार किया जाता है। फिर भी, उचित मामलों में विशेष शर्तों की पूर्ति होने पर बिना बारी अलाटमेंट किया जाता है। बिना बारी अलाटमेंट के लिए प्रार्थनापत्रों पर संयुक्त सचिव या विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षरों के बिना विचार नहीं किया जाता। ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के लिए दो विशेष समितियां बनाई गई हैं।

यद्यपि बिना बारी अलाटमेंट की स्वीकृति बहुत कम दी जाती है, फिर भी, क्वार्टरों के अभाव के कारण स्वीकृत मामलों में शीघ्र अलाटमेंट नहीं किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप वेटिंग लिस्ट में, विशेषकर 'जी', 'एस एफ' और 'एस ई' श्रेणियों में संख्या बढ़ गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि मकान उचित समय पर न मिले तो बिना बारी अलाटमेंट करने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है, हाल में ही मोती बाग, ईस्ट और वैस्ट विनय नगर और नेताजी नगर में वेटिंग-लिस्ट के व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास देने का निश्चय किया गया है। तत्संबंधी वेटिंग-लिस्टों में संख्या के कम होने पर यह व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

यह सच है कि आवास के अभाव और अधिकृत श्रेणी में परिवर्तन के कारण १० से १२ वर्ष तक की सेवा कर्मचारियों को अपने नम्बर पर नियतन नहीं मिला है। उपरोक्त श्रेणियों में ऐसे कर्मचारियों की निश्चित संख्या अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि डाइरेक्टोरेट आफ ऐस्टेट्स के रजिस्टर केवल अधिकृत श्रेणी या एक नीचे की श्रेणी में प्राथमिकता के अनुसार बनते हैं। वे दिल्ली में कुल सेवा अवधि के आधार पर नहीं बनते।

बिना नम्बर नियतनों की संख्या न्यूनतम रखने के लिए पहिले से संभव कार्रवाई की जा रही है। अत: उनकी संख्या कम करने के लिए और कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

पंजाब में औद्योगिक बस्तियां

†१२०७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की विभिन्न औद्योगिक बस्तियों में अब तक क्या प्रगति हुई है और उनका विकास किस स्थिति में है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनके कारण छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र में उपभोक्ता-वस्तुओं के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) पंजाब में विभिन्न औद्योगिक बस्तियों में अब तक हुई प्रगति निम्न है :

लुधियाना : ५२ शेड पूरे हो गये हैं और उन्हें व्यक्तियों ने ले लिया है । इनमें से ४३ शेडों में उत्पादन आरम्भ हो गया है। १०८ शेड और बन रहे हैं और उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में ही पूरा होना है। शेष ६४ शेड १९६०-६१ में पूरे होने हैं।

बटाला, मलेरकोटला, सोनीपत और नीलोखेड़ी : विस्तृत नक्शे और प्राक्कलन स्वीकृत हो गये हैं। निर्माण-कार्य के लिये टेन्डर मांगे गये हैं और आशा है कि इन ऐस्टेटों में कार्य चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहिले ही आरम्भ हो जायेगा। आशा है कि ये एस्टेट्स १९६०-६१ में पूरी हो जायेंगी।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगपतियों के लिए कारखाने : उपरोक्त योजना के लिए २०.१० लाख रु० के उपबन्ध में से १५.२४५ लाख रु० के ऋण १४७ व्यक्तियों को दिये गये हैं।

(ख) छोटे पैमाने के उद्योगों में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में हुई वृद्धि का अभी पना नहीं लगाया जा सकता ।

भारत-भूटान सड़क

†१२०८. **श्री गोरे** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान में भारत-भूटान और अन्य सड़कों के विकास के लिए भारत सरकार ने गंगटाक में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की सेवायें भूटान सरकार को ऋण दी हैं ; और

(ख) उक्त इंजीनियर के पथप्रर्दशन में कितनी सड़कें बनेंगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) हां, परन्तु केवल भूटान में सड़कें बनाने के लिए ।

(ख) पांच ।

निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग आवास ऋण

†१२०९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अब तक राज्यों को निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग आवास ऋण के लिए राज्यों को कितना धन नियत किया गया है और उन्होंने उस में से कितने धन का प्रयोग किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चन्दा):** द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अब तक निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के लिए राज्यों को नियत की गई धन राशियां और उनके द्वारा ली गई धन राशियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ७७]**

कारखाना-इमारत का 'ले आउट'

†१२१०. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्निकल सहकार मिशन के अन्तर्गत कारखाना-इमारत का 'ले आउट' (विन्यास) और निर्माण की प्रविधि का अध्ययन करने के लिए भेजी गई टीम से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनपर क्या निश्चय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) अभी तक टीम ने राष्ट्रीय उत्पादित परिषद् को रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पंजाब में शिक्षित बे रोजगार व्यक्ति

†१२११. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : १९५९–६० में पंजाब में पंजीबद्ध बेकार स्नातकों, इन्टरमिडियेटों और मैट्रीकुलेटों में से कितने व्यक्तियों को काम मिला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** अप्रैल–दिसम्बर, १९५९ में काम पर रखे गये व्यक्तियों की संख्या निम्न है :

स्नातक	९५७
इन्टरमिडियेट	५३२
मैट्रीकुलेट	५३३०
योग	६,८१९

जनवरी–मार्च १९६० की तिमाही के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

डी० सी० एम० सिल्क मिल्स, दिल्ली

†१२१२. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० सी० एम० सिल्क मिल्स, दिल्ली में तीसरी पारी समाप्त होने से कुछ मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कुछ मज़दूर १६–२–६० से काम से हटा दिये गये हैं।

(ख) स्वदेशीय कृत्रिम सिल्क सूत का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना।

मद्रास में हथकरघा उद्योग

†**१२१३. श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५०७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए १९५९–६० में हथकरघा उपकर निधि से कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई तथा दी गई है ; और

(ख) विकास योजना के लिए उपशुल्क निधि में से १९५३–५४ से १९५८–५९ तक मद्रास सरकार को दी गई तथा उसके द्वारा व्यय की गई राशियां क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) १९५९–६० में अधिकतम केन्द्रीय सहायता ७२ लाख रु० अनुदान के रूप में और २० लाख रु० ऋण के रूप में दी गई। मद्रास राज्य से ३०,५४,००३.१७ रु० की योजनाएं प्राप्त हुई हैं। और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने २२,७३,१४८.७१ रु० की टेक्निकल स्वीकृति दे दी है।

(ख)

वर्ष	स्वीकृत राशि	मद्रास राज्य द्वारा किया गया व्यय
	रु०	रु०
१९५३–५४ .	७९,८१,४०९	१४,८९,६५३.६३
१९५४–५५ .	९०,६७,४३३.०६	९९,३२,९६३.५५
१९५५–५६ .	१,२२,०२,९९२.९१	१,६५,७४,७६३.४३
१९५६–५७ .	२,२५,३७,३२४.२५	२,२१,५३,९५७.१०
१९५७–५८ . .	१,२५,५०,२९६.७२	१,३५,१९,७७८.६१
१९५८–५९ . .	१,२६,३९,०००.००	१,३३,७१,७२७.२८

केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग का औद्यानिकी विभाग[१]

†**१२१४. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्यानिकी विभाग में काम करने वाले सेक्शन आफिसर असिस्टैंट डाइरेक्टर बन सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित योग्यता क्या है ; और

(घ) १९५९ में कितने सेक्शन आफिसर असिस्टैंट डाइरेक्टर बने ?

†मूल अंग्रेज़ी में

१ Horticulture Division.

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) हां।

(ख) सेक्शन आफिसर सन्तोषजनक रिकार्ड और वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित पदोन्नति कोटे में उद्यान के असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ हार्टिकल्चर बन सकते हैं। भर्ती नियमों में कोई पृथक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है?

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) तीन।

पुनर्वास मंत्रालय में कर्मचारियों की छंटनी

†१२१५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास मंत्रालय के धीरे धीरे बन्द होने के कारण अब तक कितने कर्मचारी सेवा से हटाये गये हैं?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री यू० शे० नास्कर)**: २४१६ पद समाप्त कर दिये गये हैं।

सभा पटल पर कुछ पत्रों को रखने के बारे में

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, गत सोमवार को आपने सभा में बताया था कि महालेखापरीक्षक द्वारा आपको भेजा गया पत्र इसलिए पटल पर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उस पर 'गोपनीय' लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद भी आपको उनका कोई पत्र मिला है कि उस पत्र को सभा में रख दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी प्रश्न यहां पर उठाने से पहले माननीय सदस्य को उसकी पूर्व-सूचना मुझे देनी चाहिए। खैर, मैं आज इस पर आग्रह नहीं करता। महा-लेखापरीक्षक ने 'गोपनीय' लिखा हुआ एक पत्र मुझे भेजा था। महालेखापरीक्षक इस सभा के पदाधिकारी नहीं हैं। वह राष्ट्रपति के अधीन एक पदाधिकारी हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संविधान के अधीन वह अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को ही देते हैं और राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उसको सभा पटल पर रखवाते हैं। महालेखापरीक्षक सीधे मुझे कोई पत्र आदि, नहीं भेजते हैं। परन्तु उन्होंने यह पत्र मुझे भेजा अब मामला समाप्त हो जाने के बाद यदि कुछ विचार करने के बाद वह मुझे उसे सभा पटल पर रखने को कहें भी तो मैं उसे सभा पटल पर रखने को तैयार नहीं। यदि मैं इस तरह पत्र सभा पटल पर रखने लगूं तो मुझे दिन प्रति दिन कितने ही पत्र मिलते हैं वह सभी सभा पटल पर रखने पड़ेंगे। यह प्रथा ठीक नहीं होगी।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ निवेदन कर सकता हूं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्य को कई बार बता चुका हूं कि यदि वह मेरे उत्तर से संतुष्ट न हों तो वह मुझे उस बारे में आकर बता सकते हैं । मैं समय की पाबन्दी हटा सकता हूं लेकिन पहले वह इस विषय की अविलम्बनीयता के बारे में मुझे आकर बतायें ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं सभा में ही आपको अपनी बात बताना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसकी अनुमति नहीं देता हूं । माननीय सदस्य कृपया कार्यवाही में बाधा न डालें; आप मुझ से आकर मिल सकते हैं ।

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में

†**श्री राजेन्द्र सिंहः** (छपरा) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है; जब एक निर्धारित नीति में परिवर्तन किया जाये तो पहले सभा में उसे बताया जाना चाहिए । प्रधान मंत्री ने संवाद-दाता सम्मेलन में एक वक्तव्य दिया जो निर्धारित नीति के अनुकूल नहीं था । इस प्रकार सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्य का कहना है कि सभा के विशेषाधिकार को भंग किया गया है । विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बारे में प्रक्रिया नियमों में बताया गया है । सबसे पहले एक प्रस्ताव के द्वारा मुझे सूचित किया जाना चाहिए । यदि मैं उससे सहमत हूंगा तो उसे सभा में प्रस्तुत करूंगा । आप मुझे लिख सकते हैं; इस में जल्दी क्या है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८-५९ के लिए नेशनल न्यूज़प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी–१९९८/६०]

खान नियमों में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं खान अधिनियम, १९५२, की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत खान नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी–१९९९/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

छियत्तरवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय--वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के बारे में प्राक्कलन समिति का छियत्तरवां प्रतिवेदन--भाग १ उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हिर्री डोलोमाइट खानों में विस्फोट

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :--

"२ मार्च, १९६० को मध्य प्रदेश की हिर्री डोलोमाइट खानों में विस्फोट"

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, हिर्री डोलोमाइट खान में २ मार्च, १९६० को ११.३० बजे प्रातः यह दुखद विस्फोट हुआ ।

जांच से यह पता लगता है कि जब दो मज़दूर एक छेद कर रहे थे उस समय अचानक ही लोहे की बार संभवतया बिना फटे हुए डायनामाइट से जो उस छेद की तली में बच गया होगा, टकरा गई और उससे विस्फोट हो गया । फलस्वरूप छेद करने वाले दोनों मज़दूर तुरंत मर गये तथा अन्य दो व्यक्तियों के मामूली चोटें आईं । इन दोनों व्यक्तियों की बिलासपुर सरकारी अस्पताल में मरहम-पट्टी की गई और छुट्टी दे दी गई ।

खान में लगभग १००० व्यक्ति काम करते हैं तथा दुर्घटना के कारण कोई व्यक्ति बेकार नहीं हुआ है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर दिया गया है ?

†**श्री आबिद अली** : मुझे मालूम नहीं; कामगार प्रतिकर अधिनियम के अधीन जो उन्हें मिल सकता होगा वह दे दिया गया होगा ।

अनुदानों की मांगें

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी । श्री थानू पिल्ले अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री थानू पिल्ले** (तिरुनेलवेली) : श्रीमान्, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के पदाधिकारी जिस सफलता से अपने मंत्रालय का काम करते हैं उस के लिए वह बधाई के पात्र हैं । हमारे पदाधिकारी अपने देश की प्रथाओं के अनुरूप ही इस काम में दक्ष नहीं हैं कि मनोभावों को छिपा कर कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री थानू पिल्ले]

बात करें । अपनी इसी निर्बलता के कारण वह सभी को अपना मित्र समझते हैं और जब कोई मित्र ही ऐसा कोई काम कर देता है जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो यह निश्चित है कि समस्त राष्ट्र के लिए वह उसका कार्य चिन्ता का विषय बन जाता है ।

संसद में विभिन्न राजनीतिक दल हैं जिनके विभिन्न आदर्श हैं । साम्यवादी दल, स्वतन्त्र दल प्रजा समाजवादी, गणतंत्र परिषद्, इन सभी दलों की विचारधारा समझ कर ही हम अपनी वैदेशिक नीति के बारे में उनकी विचारधारा समझ सकते हैं । साम्यवादी दल सर्वदा एंग्लो-अमरीकी ब्लाक की भर्त्सना करता रहता है । स्वतंत्र दल सर्वथा रूस तथा साम्यवादियों को बुरा बताता है । परन्तु हमें तो तटस्थ नीति को ही आगे बढ़ाना है । हमारे लिए रूस तथा अमरीका दोनों ही मित्र हैं और इसी आधार पर हमें अपनी समस्याओं को हल करना है ।

चीन के प्रधान मंत्री को आमंत्रित करने पर आपत्तियां उठाई गईं । श्री महन्ती तथा श्री इमाम ने कहा कि इन को बुला कर हम ने अपनी नीति बदल दी है । किन्तु मैं ने ऐसा तो कोई पत्र अपने प्रधान मंत्री का देखा नहीं है जिससे पता लगता हो कि हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री से मिलना नहीं चाहा हो । उन्होंने केवल यही कहा था कि मिलने से पहले कुछ कार्य किये जाने चाहिए । इसका यह तो मतलब नहीं कि वह मिलना नहीं चाहते थे ।

प्रजा समाजवादी दल के माननीय सदस्य श्री द्विवेदी ने कहा कि चीन के प्रधान मंत्री को भारत सरकार ने आमंत्रित किया है, भारत की जनता ने उनको आमंत्रित नहीं किया है । बड़ी अजीब बात है कि हम यह कहें कि वह राज्य के अतिथि हो सकते हैं राष्ट्र के नहीं क्योंकि हमारी परंपरा के अनुकूल ऐसी बात नहीं कही जा सकती है । श्री द्विवेदी के दल के अन्य सदस्य महात्मा गांधी के सर्वदा उद्धरण देते रहे हैं परन्तु यदि इस के बारे में वह महात्मा गांधी के विचारों को देखें तो उनको पता लगेगा कि उनके अनुसार शत्रु भी अपना मित्र ही है । मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री को भारत बुला कर ठीक काम ही किया है ।

चीन के साथ शान्ति से समझौता होने की समस्या के हल हो जाने के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की है । परन्तु उन्होंने हमारी तटस्थ नीति को बदल देने के लिए नहीं कहा । इसके अतिरिक्त वह यही बताते रहे कि अब हमें दूसरे पक्ष की सहायता लेनी चाहिए । यह भी बड़ी अजीब बात है क्योंकि श्री इमाम के दल के अन्य सदस्य एक ओर तो हमारे द्वारा ली जाने वाली धन की सहायता को बुरा बताते हैं और वह हमें सहायता लेने की सम्मति देते हैं । उन्हें एक बात ही कहनी चाहिए ।

हम अन्य देशों से सदा कहते रहे हैं कि विवादों को शांति से सुलझाये परन्तु यदि हम ही इसके विरुद्ध काम करते हैं तो यह ठीक नहीं होगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आप को याद होगा कि पाकिस्तान के बारे में लोग कहा करते थे कि भारत सरकार उदारता से काम कर रही है । परन्तु हमारी यही उदारता रंग लाई । चीन के बारे में भी मेरा यही विचार है । यद्यपि साम्यवादी दल का इस के बारे में भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण है और वह भारत सरकार के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जिससे समस्या हल न हो पाये ।

मेरे मित्र श्री ही० ना० मुकर्जी ने कल कहा कि अमरीका में हमारे राजदूत ने, अमरीका सरकार के यह कहने पर कि भारत को सहायता 'साम्यवादी खतरे' को दूर करने के लिए दी जा रही है, इस कथन का विरोध किया है। उन्होंने ठीक ही किया। यदि रूस 'पूंजीवादी खतरे' आदि के बारे में कुछ कहता तो हम उसका भी विरोध करते।

हमें तो अपनी तटस्थ नीति को ही आगे बढ़ाना है और मैं आशा करता हूं कि समस्त देश प्रधान मंत्री का इसके बारे में साथ देगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री, चीन के प्रधान मंत्री से मिलकर इस समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सब से पहले मैं इस मुल्क के वज़ीरेआज़म को उस सही कदम पर जो उन्हों ने चीन और हिन्दुस्तान के मामले में उठाया है, मुबारिकबाद देता हूं। मैं समझता हूं कि चीन के वज़ीरेआज़म को इस मुल्क में आने की दावत दे कर उन्हों ने दुनिया को एक खतरे से बचाया है और यह हम सब की मुतफिका राय है कि यही एक तरीका इस मसले को निभाने का था। हमारे बहुत से दोस्त इस कोशिश में हैं कि यह मुलाकात न होने पाये और अगर होने भी पाये--जोकि यकीनन हो कर रहेगी--तो वे चाहते हैं कि यह मसला हल न होने पाये। मैं समझता हूं कि इस मसले को तय करने की इंतिहाई जरूरत है। लोगों की यह कोशिश है कि इस मुल्क के वज़ीरेआज़म के हाथों को, उन के नेक मकासिद को नाकाम बनाया जाय। लेकिन जहां तक हिन्दुस्तान के रहने वालों का ताल्लुक है वे यह जानते हैं और वे यह समझते हैं कि इस के पीछे क्या हाथ है।

कल इस ऐवान (सभा) के एक मुअज्ज़िज़ (माननीय) मेम्बर ने काश्मीर का तज़करा भी किया। जनाबेवाला, जहां तक काश्मीर के मसले का ताल्लुक है, वह अब कोई मसला नहीं है। काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा था, वह हिन्दुस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान के वज़ीरे खारिजा (विदेश मंत्री) ने अभी पिछले दिनों यह कहा था कि काश्मीर का जो हमारे पास एक सुझाव है, उस के अलावा भी कोई सुझाव हिन्दुस्तान पेश कर सकता है। हिन्दुस्तान अगर इस मसले का कोई हल और कोई पुरअमन हल पेश कर सकता है तो वह यही हल है कि पाकिस्तान अगर चाहता है कि दुनिया में अमन रहे, पाकिस्तान अगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की खुशहाली चाहता है तो उसे चाहिये कि काश्मीर को खाली कर दे। यही एक हल है काश्मीर के मसले का।

एक और मेम्बर साहब ने इस ऐवान में पख्तूनिस्तान का ज़िक्र छेड़ा था। हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के अन्दरूनी मामलात में दखल दें। लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि दुनिया के लोगों को जिस हद तक मदद हम पहुंचा सकें, चाहे वह इखलाकी मदद हो उस को देने से हम गुरेज़ करें। अगर पख्तून यह चाहते हैं कि उन को भी उसी तरह से रिकगनाइज़ किया जाये पाकिस्तान के नक्शे पर जिस तरह से सिंधियों को किया जाता है, पंजाबियों को किया जाता है और दूसरी कौमों को किया जाता है, तो इस में कोई बुराई नहीं है। पख्तूनिस्तान के लीडर बादशाह खान हैं जिन्हों ने हिन्दुस्तान की तहरीके आज़ादी की भी क़यादत की है और निहायत शान से की है। हिन्दुस्तान की तारीख लिखने वाले उन को कभी नहीं भूल सकते हैं। हम यह जानते हैं कि पख्तूनिस्तान की मांग असल में वहां के लोगों की मांग है, उन की आवाज़ है और वे चाहते हैं कि उन्हें नज़रअंदाज़ न किया जाय। लेकिन पाकिस्तान की एक पालिसी है, वह जबर की पालिसी है, तशद्दद की पालिसी। है और उस का मुज़ाहिरा पाकिस्तान ने काश्मीर में किया और फिर अपने लोगों पर किया है। पाकिस्तान में जिस तरीके से जमहूरियत का जनाज़ा निकाला गया है और दुनिया के लोगों ने उस को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० मु० तारिक]

किस तरह से महसूस किया है, इस को तमाम लोग बेहतर जानते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां के लोग और मुअज्जिज़ मैम्बर साहिबान इस मसले को समझें कि पख्तूनिस्तान का मसला कोई अलहदा मसला नहीं है। वहां के लोगों की, पठानों की, मुजाहिदों की सिर्फ यही ख्वाहिश है कि यह रिकगनाइज़ किया जाय कि वे भी पाकिस्तान में बतौर बाइज्ज़त कौम के रहते हैं।

यहां पर पब्लिसिटी डिवीज़न का भी ज़िक्र आया है। इस में कोई शक नहीं है कि वज़ारते खारिजन में यह एक डिवीज़न है और इस को सिर्फ इसलिये बनाया गया था कि इस के ज़रिये दुनिया के और मुल्कों को हिन्दुस्तान के अन्दरूनी हालात से, हिन्दुस्तान की तरक्की से, हिन्दुस्तान के सियासी मसलों से वाकिफ किया जाय। लेकिन जनाबेवाला मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह इस काम में ना-काम हुआ है। कल नायब वज़ीर खारिजन ने जो इस की जवाज़ियत दी वह और भी अफसोसनाक थी। उन्हों ने यह कहा कि ९३ लाख रुपये का बजट इस पब्लिसिटी डिविज़न के लिये मंज़ूर किया गया है और इस में से ७१ लाख रुपये सिर्फ तनख्वाहों पर खर्च किये जाते हैं। यह जवाज़ियत बज़ाते खुद अफसोसनाक है। एक रकम सिर्फ इसलिये रखी जाती है कि बाहर के मुल्कों को हिन्दुस्तान की सियासियात से, हिन्दुस्तान के प्लानिंग से, हिन्दुस्तान के हालात से वाकिफ किया जाय लेकिन उस की एक बेशतर रकम सिर्फ तनख्वाहों पर खर्च करने से जो मसला है वह हल नहीं आप कर सकते हैं। २२ लाख रुपये उस में से हैडक्वार्टर पर खर्च हो रहे हैं।

जिस वक्त हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं मैं सिर्फ काश्मीर का मसला लेता हूं--जब वहां की इन्फ़ार्मेशन को देखते हैं, तो डिप्टी स्पीकर साहब मैं यकीन दिलाता हूं कि खुद बहुत से सुलझे हुए लोगों को, हिन्दुस्तान में रहने वाले लोगों को अजीब सा तजावज़ होता है उस पर जिस तरह की पब्लिकेशन्स बनाई जाती हैं। मैं ने पाकिस्तान की पब्लिकेशन्स को देखा है, अरबी में, फारसी में और दुनिया की तमाम ज़बानों में। यह कहना कि हमारे लिये इस कद्र रकम खर्च करना मुश्किल है ठीक नहीं है। जब हम ९३ लाख रुपये में से ७१ लाख रुपये सिर्फ तनख्वाहों पर खर्च कर सकते हैं तो फिर यकीनन एक ही सूरत हमारे सामने आती है और वह यह है कि हम पब्लिसिटी पर, हम इत्तिलात पर कोई यकीन नहीं रखते और इस की जवाज़ियत आनरेबल डिप्टी मिनिस्टर साहबा ने कल खुद दी। उन्हों ने कहा कि पब्लिसिटी का कितने लोगों पर असर हुआ? अमरीका के या रूस के कितने लोगों की रायें बदलीं? अगर रायें नहीं बदलीं हैं तो यह लोग हमारे सामने कौन बैठे हैं? आखिर यह उस प्रोपेगेंडे का, उस तरबियत, उस चीज़ का नतीजा है कि इस मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी भी है और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जमातें भी हैं। पब्लिसिटी का असर यकीनन हुआ है। अगर पब्लिसिटी का असर नहीं था तो क्या जरूरत थी, इस मुल्क के वज़ीर आज़म को कि इस डिवीज़न को कायम करते, अलाहदा करते आई ऐंड बी से और इस डिवीजन को अपने हाथ में रखते। इस डिवीज़न को सिर्फ इस गरज़ से बनाया गया कि हिन्दुस्तान के बारे में, जो नया वजूद में आया है आजादी के बाद, बाहर के मुल्कों को रूशिनास किया जाय। बाहर के मुल्कों में पब्लिसिटी के लिये, चाहे वह अमरीका हो, चाहे वह रूस हो, चाहे चीन हो, एक खास रकम दी जाती है। पब्लिसिटी डिवीज़न को शायद यह भी मालूम नहीं है कि हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान में किस कदर खतरनाक किताबें शाया होती हैं। पिछले महीने तीन किताबें शाया हुई हैं, एक 'काश्मीर या बज़ंजीर" दूसरी "पंडित नेहरू" और तीसरी "सीज़ फायर"। अगर पब्लिसिटी डिवीज़न में पब्लिसिटी को समझने वाला, पब्लिसिटी को जानने वाला, कोई होता तो यकीनन हुकूमत हिन्दुस्तान की नोटिस में वह इस चीज को लाता। मुझे इन्तहाई अफसोस है उस राय से भी जो वजीर खारजा ने इस ऐवान

में दी कि यह जरूरी नहीं है कि डाइरेक्टर पब्लिसिटी डिवीजन एक जर्नलिस्ट हो। अगर जर्नलिस्ट न हो तो क्या कोई धोबी हो ? उस के जर्नलिज्म को समझने की जरूरत है, पब्लिसिटी को समझने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या दो ही कटेगरी हैं जो बाकी रह गई हैं और जिन में से एक को चुनना जरूरी होगा ?

श्री अ० मु० तारिक : मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर कहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उस में भी और कई कटेगरीज़ हैं।

श्री अ० मु० तारिक : मेरी जबान पर एक यही आई थी, माफ कीजिये। इसलिये इन्तहाई जरूरी है कि निहायत शिद्दत के साथ हम इस डिवीजन को बनायें।

मैं कुछ तवज्जह प्रोटोकॉल की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों जश्ने जम्हूरिया पर प्रोटोकोल ने एक मेहमान की हैसियत से इस्तकबाल किया हूंजा और नगर के जागीरदार का। मैं एक काश्मीरी की हैसियत से इसे तौहीन समझता हूं। मैं जानता हूं कि हूंजा और नगर के जागीरदार ने किस तरह पाकिस्तानियों की हिमायत की और पाकिस्तानी फौजों की कयादत की, और किस तरह गिलगित, चितराल और दूसरे इलाकों के हिन्दुस्तानियों को गोली का निशाना बनाया गया। ऐसे लोगों को जश्ने जम्हूरियत के मौके पर इस्तकबाल करना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिये।

इस के अलावा मैं मौजूदा अफ्रीका की तरफ भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं वजीर की। हम अफ्रीका के हामी हैं, हम चाहते हैं कि अफ्रीका की तरक्की हो, हम चाहते हैं कि अफ्रीका और जो मुल्क आजाद हो रहे हों वह तरक्की करें हम उन की दोस्ती को कायम रखें और उनका हाथ बटायें। लेकिन हमें यह भी देखना है कि इस नये अफ्रीका में हिन्दुस्तानी शहरियों का मुस्तकबिल भी रोशन हो, उन की जिन्दगी आजाद हो, उन्हें वहां कोई खतरा न हो। कुछ लोग, जिन को आज उस मुल्क से निकाला जा रहा है, अफ्रीका और हिन्दुस्तानियों के दर्म्यान नफ़रत पैदा करने में कामयाब न हों। जरूरत है कि हमारे वजीर खारजा इस चीज में उन मुल्कों के अन्दर दोस्ताना ताल्लुकात पैदा करें, न सिर्फ हुकूमतों के ताल्लुकात, बल्कि हिन्दुस्तान के शहरियों में, जो वहां रहते हैं, और वहां के लोगों में इस किस्म के ताल्लुकात पैदा करें।

इस के अलावा मैं पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। इस में कोई शक नहीं कि पासपोर्ट हमारे मुल्क में एक रैकेट के नाम से मशहूर है। जिन लोगों के पासपोर्ट चाहिए, उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलता, और कुछ लोगों को जो सिर्फ पासपोर्ट की तिजारत करते हैं, उन्हें पासपोर्ट मिल जाता है। हमारे वजीर आजम को इस तरफ भी तवज्जह करनी चाहिए। पासपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ लोगों की जो राय है उसे मैं सिर्फ इस शेर में पेश कर सकता हूं :

"पहुंचना दाद को मजलूम का मुश्किल ही होता है,
कभी काजी नहीं मिलता, कभी कातिल नहीं मिलता।"

मैं वजीर आजम की तवज्जह इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि दलाई लामा साहब इस मुल्क में आये हैं। हम ने उन्हें खुशआमदीद कहा और बहुत अच्छाई की, लेकिन जिस तरह से उन के खजाने की चर्चा होती है हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के बाहर, उस को भी देखा जाय।

[श्री अ० मु० तारिक]

अभी कल अखबारों के अन्दर एक ऐडवाइजर, मि० सेन का जिक्र आया था। यह मि० सेन कौन हैं, वजारत खारजा को मालूम होना चाहिए। उन्होंने इजहार किया है कि उन के जवाहरात बर्तानिया के शाही खानदान के जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं। उन्होंने एक खास रकम बतलाई है कि वह रकम हिन्दुस्तान में उन जवाहरात को बेच कर हिन्दुस्तान से बाहर ले जाई गई है। यह रकम किस तरह हासिल की गई, किस तरह से हिन्दुस्तान से बाहर ले जाई गई वजारत खारजा का फर्ज है कि वह उसे इस ऐवान को बतायें।

मि० द्विवेदी ने इस ऐवान में तजकिरा फरमाया था चीन के वजीर आजम के इस्तकबाल के सिलसिले में। उन्होंने कहा था कि चीन के वजीर आजम का जो इस्तकबाल होगा वह हिन्दुस्तान की हुकूमत का होगा, हिन्दुस्तान के लोगों का नहीं होगा। मुझे अफसोस है, द्विवेदी साहब मेरे दोस्त हैं, वह किस तरह से हिन्दुस्तान के लोगों को हिन्दुस्तान की हुकूमत से अलग कर सकते हैं? हिन्दुस्तान की हुकूमत हिन्दुस्तान के लोगों की हुकूमत है। जो हुकूमत और लोगों में फर्क करता है, मैं उसे हिन्दुस्तान का शहरी समझने में माजूर हूं। मेरी समझ में नहीं आ सकता है कि हिन्दुस्तान का शहरी होते हुए कोई शख्स कैसे हिन्दुस्तान की हुकूमत को लोगों से अलग समझ सकता है।

अब मसला आता है हिन्दुस्तान के हाजियों का जो हिन्दुस्तान से सिर्फ हज के लए अरब जाते हैं। हिन्दुस्तान से हजारों, लाखों मुसलमान जयारत के लिये ईरान और अरब को जाते हैं। इस सिलसिले में वहां उन को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तकालीफ वहां की हुकूमत की तरफ से नहीं, बल्कि अपनी तरफ से होती है। अपने अम्बैसेडर की तरफ से होती हैं और अपनी जहाज कम्पनियों की तरफ से होती हैं। पिछले साल काफी मुसलमान वहां मर गये बबा (महामारी) से, गर्मी से और दूसरी बीमारियों से। इस की तरफ भी वजारत खारजा को थोड़ी सी तवज्जह देनी चाहिये। जब भी हिन्दुस्तान के लोग किसी जगह तीर्थ यात्रा के लिये जायें, चाहे वह अरब हो या और जगह हो, उन के लिये बेहतर सहूलियत का इन्तजाम हो।

आखीर में एक बात जो मैं वजीर आजम से दर्ख्वास्त करूंगा कि वह बतलायें वह यह है कि जो हमारे इन्स्पेक्टर जाते हैं फारेन एम्बैसीस को देखने के लिये, उन की क्या कारकर्दगी है और वजारत खारजा को किस कदर फायदा है?

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं वजीर खारजा के मतालबा जर की ताईद करता हूं।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज समाचारपत्रों में यह खबर निकली है कि मिसामारी कैम्प से जो तिब्बती रिफ्यूजी धर्मशाला भेजे जा रहे थे उन में से कुछ गाड़ी में मर गये, जिन की संख्या ५ बताई जाती है। और इसी खबर के अनुसार ३० तिब्बती रिफ्यूजीज का पता नहीं है, शायद वे रास्ते में कहीं गायब हो गये होंगे। खबर में यह भी लिखा है कि सरकार ने कोई उनके डाक्टरी इलाज का इन्तजाम नहीं किया। उनके साथ रास्ते में कोई दूभाषिये भी नहीं थे जो उन की कठिनाइयों को समझते और उन के निराकरण का प्रयत्न कर सकते। मैं समझता हूं किजब निर्वासितों को धर्मशाला में बसाने का फैसला किया गया है और शासन उस के लिये हम से धनराशि की मांग भी कर रही है, तो बीच में उन को ले जाने का ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये था जिस में किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता।

तिब्बती रिफ्यूजी दुर्भाग्य के मारे हमारे देश में आये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उन के बसाने मात्र से हम अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझ सकते। इस विवाद में दिल्ली में होने वाले तिब्बती कंवेंशन की बहुत चर्चा होती है। मुझे यह देख कर दुःख होता है कि हमारी सरकर ने विशेषकर हमारे प्रधान मंत्री ने उस कंवेंशन के सम्बन्ध में अपनी नाराजगी जाहिर की है। यह बात सही है कि वह कंवेंशन जनता की ओर से हो रहा है। भले ही सरकार न समझे तिब्बत

के प्रति अपने कर्तव्य को, मगर देश की जनता समझती है कि तिब्बत के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है। विदेशी गुलामी से निकला हुआ भारत उन देशों के प्रति अपनी सहानुभूति के प्रकटीकरण करने से नहीं रुक सकता जो नये नये गुलामी के फंदे में जकड़े जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी शायद भूल गये हैं, मैं उन्हें स्मरण दिला दूं कि ७ दिसम्बर, १९५० में उन्होंने इसी सदन में खड़े हो कर यह कहा था :

"किसी भी देश को अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व अथवा आधिपत्य की बात नहीं करनी चाहिये। चीन तिब्बत के संबंध में चाहे प्रभुत्व का दावा करे अथवा आधिपत्य का परन्तु उस के सम्बन्ध में अंतिम फैसला तिब्बत की जनता ही कर सकती है अन्य कोई नहीं।"

यह शब्द भुलाये नहीं जा सकते मगर इन शब्दों के अनुसार अगर हम भारत सरकार के तिब्बत के सम्बन्ध में आज के आचरण को देखें तो बड़ी विसंगति दिखाई देती है। हमारे प्रधान मंत्री जीवन भर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। हो सकता है कि आज प्रधान मंत्री के आसन पर बैठ कर उन के सामने कुछ ऐसी कठिनाइयां आती हों कि वह अपने हृदय के भावों को ठीक तरीके से प्रकट न कर सकते हों। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर कहीं मानवता पर कुठाराघात होता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है जिस प्रकार कि तिब्बत में तिब्बत के व्यक्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो उन के दिल में तिलमिलाहट नहीं होगी। अगर वे बोल नहीं सकते, तिब्बत की जनता की मांगों का समर्थन नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि अगर भारत की जनता एक सम्मेलन का आयोजन करे और एशियाई अफ्रीकी देशों की सहानुभूति तिब्बत के सम्बन्ध में प्रकट करना चाहती है, तो उन्हें कम से कम उन के सम्बन्ध में अपनी नाराजगी तो नहीं प्रकट करनी चाहिये। कम्युनिस्ट पार्टी की नीति हम समझ सकते हैं क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी आत्म निर्णय के अधिकार का नारा लगाती है और जिस नारे के आधार पर उन्हों ने पाकिस्तान की साम्प्रदायिक मांग का समर्थन किया, वही कम्युनिस्ट पार्टी आत्म निर्णय के अधिकार के सिद्धान्त को तिब्बत पर लागू करने के लिये तैयार नहीं है। कामरेड ख्रुश्चेव आत्म निर्णय के अधिकार को पख्तुनिस्तान के ऊपर लागू कर सकते हैं मगर तिब्बत के बारे में यहां की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बोलेगी। वे न बोलें लेकिन वह हमें भी बोलने नहीं देना चाहते और हमारे प्रधान मंत्री जी की इसलिये प्रशंसा करते हैं कि परिस्थिति की कठिनाइयों के कारण वे तिब्बत की जनता के प्रति ,अपना समर्थन खुले रूप से प्रकट नहीं कर सकते। अब जहां तक भावना का सवाल है मैं कभी यह मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी की भावनायें तिब्बत की जनता के साथ नहीं हैं। चीन ने तिब्बत को आश्वासन दिया कि वह तिब्बत की स्वायत्तता का समादर करेगा और इसी आश्वासन के आधार पर तिब्बत ने अपनी सौवरैन्टी का थोड़ा सा हिस्सा चीन को सौंप दिया लेकिन जब चीन ने इस समझौते का उल्लंघन कर दिया तो फिर जो तिब्बत ने अपनी सौवरेन्टी का हिस्सा चीन को सौंपा था वह उस को वापिस मिल जाता है और इसलिये यह कहना कि तिब्बत अपनी स्वायत्तता की मांग नहीं कर सकता, मैं समझता हूं कि कानूनी दृष्टि से भी ठीक नहीं है। अगर ऐसी कठिनाइयां हैं सरकार के मार्ग में कि वह कुछ नहीं कर सकती तो जनता जो प्रकट करना चाहती है सहानुभूति उस के सम्बन्ध में, तो ऐसे शब्द का प्रकटीकरन नहीं होना चाहिये जो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हों। मैं समझता हूं कि तिब्बत की स्वायत्तता के साथ भारत की सुरक्षा जुड़ी हुई है। अगर हम अलजीरिया की स्वतन्त्रता का समर्थन कर सकते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी उस में आगे बढ़ कर हिस्सा ले सकती है तो फिर तिब्बत की स्वायत्तता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की मांग के विरोध में आवाज नहीं उठाना चाहिये। लेकिन चीन दावा करता है कि तिब्बत चीन का अंग है जैसे कि पुर्तगाल दावा करता है कि गोआ पुर्तगाल का अंग है मगर हम पुर्तगाल के इस दावे को नहीं मान सकते और चीन का यह दावा भी नहीं माना जा सकता। चीन ने तिब्बत को संसार के धरातल से उठा दिया। मुझे यह देख कर दुःख हुआ कि भारत सरकार ने भी जो नये नक्शे छापे हैं उन में तिब्बत नहीं है। तिब्बत नक्शे से मिट गया। तिब्बत का नाम उन नक्शों के ऊपर नहीं है। वहां केवल चीन लिखा

[श्री वाजपेयी]

हुआ है। चीन ने तिब्बत को मिटा दिया तो क्या हमारे लिये भी तिब्बत मिट गया ? मैं नहीं समझता कि इस नीति का कोई अच्छा परिणाम होने वाला है। नैतिक दृष्टि से तो यह नीति भारत के लिये उपयुक्त है ही नहीं लेकिन अगर हम संकुचित राष्ट्रीय स्वार्थों की दृष्टि से भी विचार करें तो भी तिब्बत का इस तरह मिट जाना दूरगामी दृष्टि से भारत के हित में नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर चीन के प्रधान मंत्री भारत आ रहे हैं। हम नहीं जानते कि किस आधार पर उन से वार्ता होगी क्योंकि अभी तक वार्ता का कोई आधार निश्चित नहीं किया गया है। पहले कहा जाता था कि हम बात करेंगे मगर समझौता नहीं करेंगे। अब कहा जा रहा है कि हम समझौता तो करेंगे मगर बार्गेन नहीं करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में डिफेंस मिनिस्टर श्री कृष्ण मेनन के उस भाषण की ओर प्रधान मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि उन्हों ने ७ मार्च को हैदराबाद में दिया। उन्हों ने कहा कि :

"हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन सहन नहीं कर सकते अतः हम उन के साथ समझौते की बातचीत तो करेंगे परन्तु लेनदेन नहीं करेंगे। हम यह नहीं चाहते कि कोई यह समझे कि हम डर गये हैं।"

पहले कहा जाता था कि **वी शैल टौक बट नौट नैगो शिएट**। अब कहा जा रहा है कि **वी शैल नैगोशिएट बट नौट बार्गेन**। अगर हिन्दी में इन शब्दों का अर्थ लगाया जाय तो मेरी समझ में यह होगा कि हम समझौते की बात तो करेंगे मगर लेनदेन नहीं करेंगे अगर बार्गेन का सीधा अर्थ यह है। अब लेनदेन नहीं करेंगे तो क्या इस में से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हम सब देंगे ही देंगे। लेंगे कुछ नहीं। लेनदेन नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जब निमंत्रण दिया तो वह जनता के लिये अप्रत्याशित था। उस से आशंकायें पैदा हुई और वह आशंकायें इस प्रकार के कर्तव्यों से बढ़ती जा रही हैं। अगर प्रधान मंत्री जी मि० चाऊ० एन० लाई को इस बात के लिये तैयार कर लें कि वे भारत की भूमि खाली कर के चले जायें और दोनों देशों के बीच में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी ने विश्वासघात की जिसे संज्ञा दी, उस के फलस्वरूप जो कटुता पैदा हो गई है वह कटुता दूर हो जाये तो प्रत्येक भारतवासी उस का स्वागत करेगा। लेकिन हमें डर है कि क्या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? प्रधान मंत्री जी ने एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि अगर दोनों प्रधान मंत्रियों की बातचीत विफल हो गई तो परिस्थिति बिगड़ जायेगी। कभी कभी मुझे लगता है कि जहां कहीं परिस्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये बातचीत में हम कुछ ऐसा समझौता करने के लिये तैयार न हो जायें जो कि देश के हितों और सम्मान के खिलाफ हो। क्या हम किसी भी कीमत पर बातचीत को सफल करने के लिये बंधे हुए हैं। अगर हमारे प्रधान मंत्री जी किसी भी कीमत पर समझौता करने वाली धारणा से बातचीत करने जायेंगे तो उस का परिणाम देश के लिये अच्छा नहीं होगा। प्रधान मंत्री जी चीनी आक्रमण को समाप्त करने के लिये वचनबद्ध हैं। देश की जनता को उन्हों ने वचन दिया है। चीनी आक्रमण भारत की भूमि से समाप्त होना चाहिए। अब यह अगर वार्ता से सम्भव हो तो उसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता। लेकिन इस की सम्भावना कम दिखाई देती है क्योंकि अभी तक वार्ता का आधार निश्चित नहीं हो पाया है। चीन के प्रधान मंत्री ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया मगर निमंत्रण स्वीकार करने के बाद २६ दिसम्बर के बाद, २७ दिसम्बर को चीन का जो नोट आया है, मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह उस नोट की भाषा को जरा पढ़ें। हमारे नियंत्रण के बाद इस सदन में या इस सदन के बाहर हमारे प्रधान मंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं कही, ऐसी बात कहने को टाला, यद्यपि प्रश्नों के रूप में ऐसी बातें आ सकती थीं, जिन से कहीं चीन को ठेस न पहुंचे। मगर २० दिसम्बर को हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भी, २७ दिसम्बर को जो चीन ने नोट लिखा उस में से ऐसी ध्वनि निकलती है कि चीन अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं। शायद वह लम्बी वार्ता द्वारा समय चाहते हैं। समझौते

की टेबिल पर बैठ कर चीन को कुछ खोना नहीं है। चीन आक्रमणकारी है, चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया है, चीन यहां से कुछ खो कर नहीं जायेगा यदि बातचीत विफल हो गयी। इसलिये चीन को कोई घाटा नहीं है, घाटा हम को है, और अभी तक का अनुभव अच्छा नहीं है।

हम शान्ति चाहते हैं, मगर शान्ति के लिये ऐसी कीमत नहीं देनी चाहिये जो भविष्य में अशान्ति उत्पन्न करने का कारण बन जाये। मगर शान्ति की लालसा में कभी ऐसे समझौते हुए हैं जो हमारे देश के हितों के अनुकूल नहीं हैं। और बात चीत दिल्ली में हो रही है, दिल्ली का इतिहास समर्पण का इतिहास है, दिल्ली का इतिहास आक्रमणकारी के स्वागत का इतिहास है। एक बार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री आये थे हमारे प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर और पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं को हम ने उन के अत्याचारों की दया पर छोड़ दिया। दूसरी बार फिर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री आये, वह बेरूबाड़ी यूनियन को ले जा रहे थे, मगर धन्य हो सुप्रीम कोर्ट को कि वह जाते जाते रुका। और एक बार फिर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर आये थे। वह पथरिया प्रदेश के पांच गांव ले जाना चाहते थे। अब चीन के प्रधान मंत्री आ रहे हैं, क्या ले जायेंगे यह कहना मुश्किल है। लेकिन देश की जनता कोई भी ऐसा समझौता स्वीकार नहीं करेगी जो समझौता देश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो, जो समझौता देश के हितों के प्रतिकूल हो, और मैं समझता हूं हमारे प्रधान मंत्री जी इस भावना से अच्छी तरह परिचित हैं और बातचीत में दृढ़ता से काम लेंगे। यद्यपि हमारा उन से मतभेद है, लेकिन जहां तक चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में बातचीत करने का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन लाई के साथ पूर्ण विश्वास के साथ बातचीत करने के लिये जा सकते हैं कि सारा देश उन के पीछे है। समझौते का परिणाम जो होगा, उस के अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे मगर अभी हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे प्रधान मंत्री जी को बल दे, हमारे प्रधान मंत्री जी को शक्ति दे और देश की भावनाओं के अनुरूप आचरण करने का सामर्थ्य दे।

मैं एक मिनट और लूंगा। श्री चाऊ एन लाई का किस प्रकार स्वागत किया जाये इस बारे में भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं, हम ने उन को बुलाया है और वह हमारे निमंत्रण पर आ रहे हैं। लेकिन १९५४ के जो मिस्टर चाऊ एन लाई थे और सन् १९६० के जो मिस्टर चाऊ एन लाई आ रहे हैं, मैं समझता हूं हमारी सरकार जनता को यह समझाने की कोशिश नहीं करेगी कि यह वही मिस्टर चाऊ एन लाई हैं जो सन् १९५४ में आये थे। दोनों देशों के बीच में तिब्बत की तड़पती हुई लाश उन्हें दिखाई देती है, दोनों देशों के बीच में तीन तीन ह्वाइट पेपर हैं जो दोनों देशों की मित्रता के मार्ग में रोड़े हैं, और हम को यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिये कि देश की जनता की भावनाओं को इस तरह से इस स्वागत के सवाल पर छूने की कोशिश न की जाये कि लोगों का मनोबल टूटे। मिस्टर चाऊ एन लाई को हवाई अड्डे से राष्ट्रपति भवन तक ले जाया जा सकता है, वहां उन से बातें की जा सकती हैं। लेकिन छोटे बच्चों को और फौज के जवानों को इकट्ठा कर के हिन्दी चीनी भाई भाई के नारे लगवाना, यह तो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भारत की भूमि पर चीन का आक्रमण कायम है। जब तक चीन का आक्रमण भारत की भूमि पर कायम है, जनता से यह कहना कि वह आक्रमणकारी का स्वागत करे, यह देश की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं होगा। और मैं समझता हूं सरकार इस भावना को ध्यान में रखेगी।

मुझे इतना ही कहना था।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, गोवा, काश्मीर, लद्दाख से लांगजू, और उर्वसीयम यानी नेफा तक १९४७ से अब तक का जो इतिहास है, या जो विदेश मंत्रालय की कार्यविधि है, हम उसके नतीजों को देखें तो साफ कहना पड़ेगा कि भारत की विदेश नीति असफल

[श्री राम सेवक यादव]

रही है। विदेश मंत्री को एक बात में जरूर सफलता मिली कि जो इससे पहले प्रश्न थे, जैसा गोवा या काश्मीर, उनकी तरफ से हिन्दुस्तान की जनता का ध्यान हटा कर एक नए प्रश्न की तरफ मोड़ दिया है और वह हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री श्री नेहरू के परम मित्र श्रीचाऊ एन लाई की ओर है। यकेबाद दीगरे प्रश्न आते रहे उनका कोई हल नहीं निकला और फिर आज हिन्दुस्तान उत्तरी सीमा के अतिक्रमण के प्रश्न से उलझ गया है।

श्रीमन्, मैं भारत की विदेश नीति को जो असफल बताता हूं उसका क्या कारण है ? उसका कारण यह है कि हिन्दुस्तान की नीति सिद्धान्त विहीन, भावुक अवसरवादी और व्यक्तिवादी रही है, इसी कारण हिन्दुस्तान सदैव असफल रहा है। जैसे ही भारत आजाद हुआ, सबसे पहले काश्मीर का सवाल उठा। अब काश्मीर के सवाल को ही आप देखें तो उसमें भी व्यक्तिवाद और भावुकता झलकती है। हिन्दुस्तान की आजादी का जो कानून था उसके तहत किसी भी राज्य को यह अधिकार था कि वह चाहे हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहे। और जब इस कानून के अनुसार काश्मीर के महाराजा ने हिन्दुस्तान के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करने का फैसला कर लिया तो फिर इसमें क्या आवश्यकता थी कि यह कहा जाता कि जब तक कि वहां की जनता फैसला न करे तब तक यह सम्पूर्ण मिलन नहीं होगा, यह थोड़े ही समय के लिए मिलन होगा। उसमें भी श्री माउंटबैटन का, जो प्रधान मंत्री के निजी दोस्त थे, हाथ था। और दूसरे इसमें व्यक्तिवाद की भावना यह थी कि कहीं प्रधान मंत्री के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को कोई धब्बा न लग जाए। इस चीज ने काश्मीर के मामले को अधिक खतरे में डाल दिया।

दूसरी बात काश्मीर के मसले में यह थी कि काश्मीर और हिन्दुस्तान की जनता को एक साथ लाने का प्रयत्न न करके काश्मीर दो व्यक्तियों की चीज हो गयी, उसमें एक हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री श्री नेहरू साहब थे और दूसरे शेख अब्दुल्ला, और आज नेहरू साहब और बख्शी साहब भी कुछ इसी हद तक हैं। उसको एक व्यक्ति की चीज समझा गया।

इसी तरह से आप गोवा के सवाल को देखें। जब तक गोवा स्वतंत्र नहीं होता तब तक हम हिन्दुस्तान को सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं समझ सकते। अब भी विदेशी हमारे बीच में मौजूद हैं। इस सवाल में भी आप देखें कि विदेश मंत्री असफल रहे हैं। जब जब वहां की जनता ने उठने की कोशिश की तो बजाए इसके कि उसको प्रोत्साहन मिलता, उसको बराबर दबाया गया इस सिद्धान्त के सहारे कि हम तो गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं, शान्ति के दूत हैं, पंचशील की दुहाई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधान मंत्री महोदय से कि उनका वह सिद्धान्त नागा क्षेत्र का जब प्रश्न उठा था तो उसको हल करने के समय कहां था ? जब नागा का प्रश्न उठता है तो वहां के लोगों पर गोली की बौछार की जाती है। लेकिन गोवा आज पुर्तगाल के अधिकार में है, और जब पुर्तगाल का सवाल आता है तो शान्ति और अहिंसा की दुहाई दी जाती है। शान्ति और अहिंसा बड़ी सुन्दर चीज है, लेकिन जिस प्रकार की शान्ति और अहिंसा हमारे नेहरू साहब निभा रहे हैं उसे तो हम कमजोर और बुजदिल की ही शान्ति और अहिंसा कहेंगे।

फिर पांडीचरी, माही, कारीकाल और इनाम का सवाल हम लें। वह आज तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। आज भी डी जूरे पावर ट्रांस्फर नहीं हुई है। जब यह सवाल उठ रहे थे तो एक नया प्रश्न उत्पन्न हो गया और वह प्रश्न है उत्तरी सीमा का, उत्तरी सीमा का चीन द्वारा अतिक्रमण। चीन के अतिक्रमण को हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने स्वयं न्योता दिया है क्योंकि जब सन् १९५० में तिब्बत के ऊपर चीन का अधिकार हुआ तो भारत सरकार केवल मौन ही नहीं रही बल्कि उसने तिब्बत को चीन का एक अंग मान लिया। भारत सरकार ने सब से पहली

गलती यह की। जहां तक देश के दूसरे लोगों या दूसरी संस्थाओं या पार्टियों का सम्बन्ध है, उन्होंने भी इस पर खामोशी ही कायम रखी, और जिन लोगों ने यह कहा कि चीन ने जो तिब्बत पर अतिक्रमण किया है, अधिकार जमाया है वह शिशु हत्या के समान है या ऐसे मान लिया जाए कि जैसे कोई राक्षस किसी बच्चे का गला घोट रहा है, तो उनको यह कह कर बदनाम किया गया कि वे हिन्दुस्तान और चीन के रिश्ते को बिगाड़ रहे हैं। यही पहली गलती हुई कि तिब्बत पर चीन का अधिकार माना गया। तिब्बत के बारे में यह कहना कि वह चीन का अंग रहा है, गलत होगा। तिब्बत स्वतंत्र रहा है, और इतिहास में कभी तो ऐसा भी हुआ है कि तिब्बत ने चीन से खिराज हासिल किया है। अगर आज तिब्बत स्वतंत्र होता तो आज चीनी अतिक्रमण की समस्या हमारे सामने न आती। जो सबसे बड़ी गलती विदेश मंत्रालय ने की है वह यह कि उसने तिब्बत को चीन का अंग मान लिया।

इसके बाद सन् १९५४ में हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में हिन्दी चीनी भाई भाई हो रहा है और दूसरी ओर बराबर सन् १९५४ से भारत की उत्तरी सीमा पर चीन का अतिक्रमण होता चला जा रहा है। प्रधान मंत्री ने १९५४ से ले कर १९५९ तक इस बात को सदन से और देश से बराबर छिपाए रखा कि चीनियों ने भारत के ऊपर अतिक्रमण किया है। जब कभी भी इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने चीन की सरकार के द्वारा शाया किए गए नक्शों की तरफ़ ध्यान दिलाया कि हिन्दुस्तान के कुछ भाग चीन की सीमा के अन्तर्गत दिखाए गए हैं, तो यह जवाब दे दिया गया कि ये पुरानी चीन सरकार के द्वारा बने हुए नक्शे हैं और उनको रिवाइज़ करने का समय नहीं मिला है। बड़े मज़े में खुश हो लिया गया कि रिवाइज़ करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन, श्रीमन्, इसमें इतनी बड़ी कूटनीति शामिल थी कि ये मौजूदा साम्यवादी चीन सरकार के द्वारा गढ़ित नक्शे नहीं हैं, बल्कि वे पहले के ही नक्शे हैं, जिस से वे अपने अधिकार साबित करेंगे कि हिन्दुस्तान के जो भाग चीन में दिखाए गए हैं, वे शुरू से ही चीन के अन्तर्गत थे। मैं कहना चाहता हूं कि उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। प्रधान मंत्री साहब ने फ़रमाया इसी सदन में कि यह हम ने ज़रूर किया कि सदन को बताया नहीं कि यह हो रहा है, लेकिन मैं प्रधान मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सदन को तो बताया नहीं, लेकिन जब लांगजू में १९५६ से ले कर १९५७ तक सौ मील लम्बी सड़क बन रही थी, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोका क्यों नहीं, वह क्या करते रहे, उन का विदेश विभाग, उन की पलटन, उन की सी० आई० डी० और इन्टैलीजेंस डिपार्टमेंट के लोग क्या करते रहे, जो इस को रोक नहीं सके।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सीधा प्रश्न तो आज यह है। यह प्रश्न नहीं है कि उन्होंने बताया या नहीं बताया—यह छोटी सी बात है, बताना चाहिए था—बल्कि सब से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उन्होंने क्या किया है।

आज तिब्बत और चीन के प्रश्न को ले कर हमारे देश में अजीब तरह का वातावरण है। कुछ सियासी जमायतें आज देश की जनता की भावुक्ता का फायदा उठा रही हैं, जो जज़बात लोगों के उभरे हैं, उस से फ़ायदा उठाना चाहती हैं, क्योंकि उस के साथ जुड़ा हुआ है प्रश्न देश की कम्यूनिस्ट पार्टी का। कम्यूनिस्ट पार्टी हमेशा देश-द्रोही रही है, गद्दार रही है जब जब जंगे-आज़ादी की लड़ाई हुई, तब तक उस ने विदेशियों के पक्ष में काम किया और उस ने हमेशा हिन्दुस्तान की जंगे आजादी में कमज़ोरी दिखाई और पीठ में छुरा भोंका। आज हमारे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथी और जन संघ के साथी कहते हैं कि कम्यूनिस्ट तो गद्दार हैं, देश-द्रोही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गद्दार तो वे १९४२ में भी थे और १९४६ में भी थे, लेकिन जब बंगाल और बम्बई में असेम्बली और पार्लियामेंट की सीटें जीतने का मौका आया, तो इन साथियों ने उन्हीं गद्दारों से संयुक्त मोर्चा बनाया। उसके बाद जब दिल्ली की कार्पोरेशन

[श्री यादव]

पर कब्जा करने का सवाल आया, तो हमारे वाजपेयी महोदय के दल ने कम्यूनिस्टों से मिलने के लिए हाथ बढ़ा दिया। क्या तब वे गद्दार नहीं थे ? अगर वे गद्दार हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पार्टियां ऐसे सवाल उठाती हैं, वे ज्यादा गद्दार हैं। लेकिन इस से कांग्रेस पार्टी—सत्तारूढ़ दल—की जिम्मेवारी कम नहीं होती—सब से बड़ी जिम्मेदारी उस की है और खास तौर पर प्रधान मंत्री की है। आज प्रधान मंत्री सदन में पूछते हैं कि क्या किया जाये। आज कहा जाता है कि प्रधान मंत्री के हाथ मजबत किये जायें। मैं तो यह कहूंगा कि अब समय आ गया है कि प्रधान मंत्री को कमजोर किया जाये और उन के हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए। मजबूत किया जाये इस मुल्क को, इस देश को। यह देश बराबर कमजोर हुआ है। आज चीन का मुकाबला भावुकता से नहीं किया जा सकता है। आज चीन का मुकाबला पलटनों से नहीं हो सकता है। आज चीन का मुकाबला अगर हो सकता है, तो इस देश के चालीस करोड़ लोगों को ऊपर उठा कर हो सकता है। और इन बारह सालों में इस देश के चालीस करोड़ लोगों को मजबूत बनाने के लिए कोई काम नहीं हुआ है। आज देश की सीमायें कमजोर हैं, सारा देश कमजोर है। आज चीन के सवाल को लेकर कितने लोगों में बहस चलती है। मुश्किल से एक फ़ी सैंकड़ा लोगों में और वह भी पढ़े लिखे और शहरों में रहने वालों में। चीन के सवाल को ले कर गांवों में कोई गर्मी नहीं है, आम जनता में कोई गर्मी और उल्लास नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर यह देश कोई नुक्सान उठायेगा, तो इसलिए नहीं कि यहां की पार्टियों में मत-भेद हैं, इसलिए नहीं कि आज लोग आपस में तक-वितर्क करते हैं, बल्कि इसलिए कि यहां की जनता उदासीन है। जनता की उदासीनता इस देश को मिटा सकती है और तोड़ सकती है और इस देश की जनता की उदासीनता तो तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि चीन हिन्दुस्तान की कोई दस बारह हजार मुरब्बा मील जमीन नहीं चाहता। प्रधान मंत्री के हिसाब से वह तो ऊसर और बंजर है। लेकिन चीन के इरादे कुछ और हैं और वे यह हैं कि जहां काश्मीर का मसला दस साल तक चला, वहां प्रधान मंत्री जैसे अच्छे आदमी को पा कर पांच साल तक वह इस को भी खींच ले जायेगा और उस पांच साल के दौरान में, हिन्दुस्तान की जनता जो तब्दीली चाहती है, पलटाव चाहती है, उस की रोटी-रोजी के सवाल जो हल नहीं किये गये हैं, उस में बराबरी के सवालात को जो हल नहीं किया गया है, इन सवालात को यहां पर बसे हुए पंच-मांगी लोग एक्सप्लायट करेंगे और उन का फ़ायदा उठायेंगे और तब मौका पा कर बंगाल, बिहार, कलकत्ता और दिल्ली की गद्दियों पर कब्जा करने की बात है। ये उन के डिज़ाइन हैं। उन का मुकाबला इस तरह से नहीं किया जा सकता है। आज चाऊ-एन-लाई हिन्दुस्तान आ रहे हैं। इस बारे में मैं यह नहीं कहूंगा कि उन का स्वागत हो या न हो या उन के साथ क्या बर्ताव किया जाये, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक हिन्दुस्तान और चीन की सीमा का प्रश्न है, अगर तिब्बत आज़ाद रहे, तब तो हिन्दुस्तान और चीन की सीमा मैकमोहन रेखा हो सकती है, लेकिन अगर तिब्बत इसी तरह चीन का अंग बना रहता है, तब हिन्दुस्तान और चीन की सीमा पूर्ववाहिनी ब्रह्मपुत्र ही हो सकती है। इस तरह की चीज़ प्रधान मंत्री महोदय को सामने रखनी चाहिए।

प्रधान मंत्री महोदय ने भूटान, सिक्किम और नेपाल की भी बात की। बार बार यह कहा गया कि भूटान और सिक्किम पर यदि अतिक्रमण होगा, तो उस से उन को बचायेंगे। नेपाल पर हमला अपने ऊपर हमला बताया गया। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा प्रधान मंत्री महोदय से यह अर्ज करूंगा कि इन बयानात से भूटान और सिक्किम के अवाम पर यह असर पड़ने वाला है कि जो देश अपने को नहीं बचा सकता, वह दूसरे को क्या बचायेगा। आज भूटान और सिक्किम की

सामन्तशाही शक्तियां कभी भी अपने देशों की सरहदों को नहीं बचा सकतीं और न हिन्दुस्तान उन को बचा सकता है। मैं प्रधान मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां की सरकारों पर दोस्ताना तरीके से असर डाला जाय और वहां जन-शक्तियों को उभारने का प्रयास हो, जनता के हाथ में शक्ति जाय और नये तरीके की हुकूमतें वहां पर कायम हों, तब कुछ भला हो सकता है। आज नेपाल का भी यही हाल है। नेपाल के प्रधान मंत्री दो तरह की ज़बान बोलते हैं। कभी वह चीन के पक्ष की बात कहते हैं और कभी हिन्दुस्तान के पक्ष की। मैं बता दूं कि आज शक्ति का सवाल है और इस लिए यह खतरा हो सकता है कि अगर हिन्दुस्तान और चीन के बीच में चुनने का सवाल होगा, तो हो सकता है कि नेपाल चीन के साथ ही जाय, इस देश के साथ न जाय। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री महोदय इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ़ ध्यान दें।

आज हिन्दुस्तान की जनता उदासीन है। उस उदासीनता को जब तक दूर नहीं किया जा सकता, तब तक हिन्दुस्तान का बचाव बहुत आसान नहीं है। इस समस्या को हम भावुकता से हल न करें, बल्कि ठंडे दिल से इस पर सोचें। श्री चाऊ-एन-लाई से प्रधान मंत्री की जो वार्ता होगी, मैं नहीं जानता कि उस में क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मान लो वार्ता असफल रहे, चीन तैयार नहीं है हिन्दुस्तान की एक इंच ज़मीन छोड़ने के लिए, या पूरी ज़मीन छोड़ने के लिए, तो क्या होगा—उस के लिए क्या किया जा रहा है। आज जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या सरकार के पास कोई स्कीम है? क्या तरीका है, जिस से जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है?

अल्जीरिया का भी सवाल है। भारत सरकार अल्जीरिया की प्राविज़नल सरकार—काम-चलाऊ सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस तरफ़ भी ध्यान दिया जाये।

जहां तक इस मिनिस्ट्री पर खर्चे का सवाल है, मैं कहूंगा कि अधिकारियों की तन्ख्वाहें बहुत लम्बी हैं और इखराजात बहुत ज्यादा हैं। उन को घटाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रधान मंत्री से चाहूंगा कि जो सवालात मैंने उठाये हैं, वह उनका जवाब दें।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बहस हुई थी। उसके दौरान में मैंने वैदेशिक कार्य के एक काफी अहम पहलू के बारे में इस सभा में एक काफी लम्बा वक्तव्य दिया था। उस में काफी वक्त लगा था। इस बार मैं उतना वक्त नहीं लूंगा। और फिर उन बातों को बार-बार दोहराने से कोई फायदा भी नहीं। खास तौर पर, चीन ने हमारे सीमांत में जो दखलंदाजी की है, उस के बारे में मैं तब काफी कुछ कह चुका हूं। हम ने उस पर कई बार बहसें की हैं, क्योंकि वह एक बड़ा अहम मसला है। लेकिन अब उन बातों को भी फिर से दोहराने में कोई सार नहीं।

उस सिलसिले में कुछ और नई बातें भी हुई हैं, जिन का यहां जिक्र किया गया है। मैं ने चीन के प्रधान मंत्री को बातचीत के लिये अपने मुल्क में आने की दावत दी है। वह यहां अप्रैल के मध्य या तीसरे हफ्ते में आ रहे हैं। अभी ठीक-ठीक तारीख तय नहीं हुई है। कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि मेरी उनके साथ किन-किन बातों पर और किस ढंग से बातचीत होगी। इसी तरह के कई सवाल पूछे गये हैं। मेरे लिये यह बताना न तो मुमकिन है और न उचित ही कि हम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उन के साथ किस ढंग से और किन चीजों के बारे में बातचीत करेंगे; यह बात मैं न तो सभा को बता सकता हूं, और न जनता को। दो मुल्कों के बीच राजनयिक ढंग की बातचीत करने का यह तरीका नहीं है।

अगर कुल मिलाकर देखा जाये तो होता यही है कि हम इस सभा में और देश की जनता के सामने एक मोटे तौर पर अपनी नीतियां पेश करते हैं। अब यह सभा या जनता पर है कि वह हमारी नीतियों पर किस हद तक भरोसा करती है या नहीं करती है।

अभी-अभी, मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोले थे, उन की बात तो पूरी तौर से, साफ़-साफ़ समझ में आ जाती है क्योंकि उनको थोड़ा भी भरोसा नहीं है। शायद कुछ और दूसरों को भी न हो। लेकिन उन्होंने अपनी बात काफ़ी साफ़ ढंग से कही है, साफ़ कहा है कि आज देश के लिये सब से अच्छा यही होगा कि मौजूदा प्रधान मंत्री को कमज़ोर किया जाय और आम जनता पर भरोसा किया जाय। आम जनता पर भरोसा करने वाली बात को तो सभी मानेंगे। हां, लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं कि माननीय सदस्य, श्री यादव, जैसा उन्होंने कहा, हमारे मुल्क की चालीस करोड़ जनता की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ और लोग भी आम जनता की नुमाइंदगी का दावा कर सकते हैं। और अगर आकड़ों को देखा जाये, और हिसाब लगाकर देखा जाये, तो श्री यादव जितनी जनता की असल नुमाइंदगी करते हैं, उसे सिर्फ खुर्दबीन से ही देखा जा सकता है; खाली आंखों से तो शायद वह नज़र ही नहीं आयेगी। खैर, जो भी हो, हमें तो हर दलील पर गौर करना चाहिए; और इसीलिए श्री यादव की दलीलों पर भी गौर करना चाहिए।

बहस में बहुत से जो सवाल उठाये गये थे, उन में से कई का जवाब उपमंत्री दे चुकी हैं। जाहिर है कि आज हमारे मुल्क के सामने सब से बड़ा और सब से अहम मसला चीन द्वारा हमारे सीमांत में की गई दखलंदाज़ी का ही है। और होना भी यही चाहिये, क्योंकि किसी भी मुल्क के सामने सब से अहम मसला वही होता है जिस का असर उस की प्रादेशिक अखंडता पर पड़ता हो। आखिर हर मुल्क की वैदेशिक नीति का सब से पहला मकसद यही होता है कि अपने मुल्क की, उस की आजादी की, उस की सम्पूर्ण प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता की पूरी-पूरी हिफाज़त की जाये। वैदेशिक नीति की यही सब से पहली कसौटी है। और अगर किसी मुल्क की वैदेशिक नीति एक किसी हद तक यह नहीं कर पाती, तो उस हद तक उसे नाकामयाब ही माना जायेगा। फिर चाहे वह नाकामयाबी गलत नजरिये की वजह से हुई हो, या किसी और वजह से, लेकिन है वह नाकामयाबी ही उस हद तक। मैं इस परिभाषा को मानता हूं, इस नतीजे को मानता हूं।

मौजूदा दुनिया की सब से बड़ी समस्या है जंग और अमन की—इस बात की कि युद्ध छिड़े या शान्ति बनी रहे और आज दुनिया के सभी लोग इस बात से काफी परेशान हैं। अगले एक-दो महीनों में ही दुनिया के सब से ताकतवर, बड़े-बड़े मुल्कों के लोगों का एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, और उन की बातचीत का जो नतीजा निकलेगा उस पर संसार का भविष्य काफी हद तक निर्भर करता है क्योंकि शिखर सम्मेलन में जर्मनी या बर्लिन या निःशस्त्रीकरण जैसे बड़े बड़े मसलों के बारे में ही फैसला नहीं होगा, बल्कि आखिर में उस शिखर सम्मेलन के नतीजे का आगे आने वाली दुनिया पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। मेरा तो ख्याल है कि शिखर सम्मेलन की पहली बैठक के बाद और भी कई बैठक होती रहेंगी, सिलसिला चलता रहेगा; और अगर पहली ही बैठक हो कर रह गई, नाकामयाब रही तो सचमुच संसार का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

मैं यह भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है, पर हां यह जरूर कहूंगा, और मैं सभा में और दूसरी जगहों पर कह भी चुका हूं, कि पहले के मुकाबले आज स्थिति पहले से अधिक आशा जनक है। यही मेरा यकीन है। मैं जिस बात पर यकीन करता हूं, उस की उम्मीद

भी करता हूं । ऐसी उम्मीद मेरी खुशफहमी भर नहीं है । हां, यह हो सकता है कि मैं ऐसी उम्मीद शायद इसीलिये करता हूं कि मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि इस बातचीत से कुछ अच्छा नतीजा निकले, निःशस्त्रीकरण के मसले पर कोई अच्छा फैसला हो जाये, और एटम बम वगैरह बनाने और उन के परीक्षण करने की खतरनाक होड़ को बन्द करने का फैसला हो जाये ।

उम्मीद तो मैं यही करता हूं । फिर भी, मुझे साथ में यह भी कहना पड़ता है कि अभी हाल में कुछ ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जिन से मेरी आशाओं को एक झटका सा लगा है । कुछ ऐसी भी ताकतें मौजूद हैं जो अपने कामों से लोगों को द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले के दिनों की याद ताजा करने के लिये मजबूर सा कर रही हैं । उम्मीद तो यही है कि ऐसी ताकतें ज्यादा मजबूत नहीं होंगी । मेरा यकीन है कि शान्ति चाहने वाली ताक़तें बहुत ज्यादा मज़बूत हैं । फिर भी, उन कमज़ोर ताक़तों को देख कर भी, दिमाग परेशान तो हो जाता है । यह सोच कर परेशानी तो ही हो जाती है कि दो इतने बड़े-बड़े युद्ध हो चुकने पर भी, हाइड्रोजन बमों द्वारा की गई बरबादी को अपनी आंखों से देख लेने पर भी, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फिर उन्हीं ख्यालों और तरीकों का राग छेड़ रहे हैं जिन का नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध था । परेशानी इस बात को सोच कर और भी बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों के दिमाग़ों पर इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ता कि अब आगे चल कर अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वह जेट विमानों और एटमी हथियारों से लड़ा जायेगा और वह इतना हैबतनाक होगा कि उस के सामने द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों के एक खेल जैसा लगेगा । आज दुनिया की यही तसवीर हमारे सामने है । आगे बढ़ने की उम्मीद है, जरूर है, लेकिन साथ ही खतरा और अन्देशा भी है ।

और दूसरी तरफ हमें, अफ्रीका में जनता के बड़े बड़े आन्दोलन नजर आ रहे हैं । अफ्रीका के लाखों-करोड़ों लोगों यकीन और उम्मीद के साथ लम्बे-लम्बे डग भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं । नये आज़ाद मुल्क पैदा हो रहे हैं, उन के नये नेता पैदा हो रहे हैं, उन में नयी उमंगें हैं और नया जोश है, हां और कभी-कभी एक नये ढंग के टकराव भी सामने आते हैं । हम ने हमेशा ही अल्जीरिया की जनता की आजादी की लड़ाई के साथ हमदर्दी रखी है और उन की कामयाबी भी चाही है । लेकिन आज सवाल सिर्फ अलजीरिया का नहीं रह गया है । आज तो अफ्रीकी महाद्वीप का पूरा ढांचा ही बदल रहा है, उस का एक नया रूप निखरता आ रहा है । और वह नया रूप ऐसा है जिस का आगे आने वाली दुनिया पर यकीनन एक जबर्दस्त असर पड़ेगा ।

मैं अक्सर सोचता हूं कि आज से २० या ३० साल बाद इस दुनिया की शक्ल क्या होगी । २०–३० साल का अर्सा कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं । फिर भी, इतना जरूर है कि उस की शक्ल आज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगी । हम एशिया में बड़ी-बड़ी तब्दीलियों का सिलसिला देख चुके हैं, जो आज भी चल रहा है । आज हम अफ्रीका में वैसा ही एक नया सिलसिला देख रहे हैं । यह सिलसिला किसी गुपचुप तरीके से, धीमे धीमे, आसानी से शुरू नहीं हुआ ; यह एक धमाके के साथ, जोरदार आवाज के साथ शुरू हुआ है । आज इस वक्त कोई नहीं बता सकता कि अफ्रीका में शुरू होने वाली इस सिलसिले का आगे की दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, कितना जबर्दस्त असर पड़ेगा । इसलिये कि अफ्रीका की जनता सदियों से दबती-पिसती आ रही है, लेकिन उस में जिन्दगी है, जोश है और ताक़त है और ऐसे लोगों को ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाये नहीं रखा जा सकता ।

और, अफ्रीका में इस की एक बिल्कुल उलटी, बिल्कुल विरोधी नीति की मिसाल भी मिलती है । दक्षिण अफ्रीका में जातियों को दबाने-कुचलने, जातियों में भेद-भाव करने की, एक 'प्रभु जाति' की नीति दिखाई देती है । इस नीति का वहां खुले ऐलान किया जाता है और उस पर अमल किया जाता है । हो सकता है कि कुछ दूसरे देशों के कुछ थोड़े से लोग उस नीति से हमदर्दी भी रखते हों, लेकिन आम तौर पर दूसरे देशों के लोग खुले आम इस नीति को न तो मंजूर करते हैं और न

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उस की हिमायत करते हैं। वे लोग भी नहीं, जिन्हें आज के जमाने में कन्जरवेटिव या रूढ़िवाद माना जाता है। फिर भी दक्षिण अफ्रीका में उस नीति पर अमल किया जाता है। और, देखने में यह बड़ा अजीब सा लगता है कि जिस अफ्रीका में एक तरफ इतने जोश-खरोश, इतनी ताकत और कभी-कभी गुस्से के साथ भी जनता आगे बढ़ रही है, नये मुल्क पैदा हो रहे हैं, उसी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में जाति-भेद और प्रभु-जाति की नीति पर भी अमल हो रहा है।

इन सब का नतीजा क्या निकलेगा ? ये दोनों चीजें एक-दूसरी की बिलकुल मुखतलिफ हैं। अफ्रीका के आजाद राज्य कभी भी उस जाति-भेद की नीति को मंजूर नहीं करेंगे और अगर सोच-विचार कर देखा जाये तो उस नीति का अनुसरण करना उन का बराबर अपमान करते रहना है, उनका ही नहीं सभी सम्बन्धित लोगों का अपमान करना है। आगे चल कर इस की शक्ल क्या होगी, मैं नहीं कह सकता। मैं ने सभा के सामने यह सभी चीजें इसीलिये रखी हैं जिस से कि हम अपने मुल्क की समस्याओं को इस पृष्ठभूमि में देख सकें। और हमारे सामने एक पूरी तसवीर हो।

इन सब के पीछे टेकनोलोजी सम्बन्धी विकास है, तरक्की है, जिस ने हमें एटम बम दिया है, जेट विमान दिये हैं, चांद-तारों तक पहुंचने की ताकत दी है। और इस विकास ने यह सब इतनी तेजी के साथ हमें दिया है कि हम उसे दिमागी तौर पर पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते। जाहिर है कि इन सब की वजह से दुनिया की शक्ल बदलती जा रही है, इंसान के रहन-सहन का ढंग भी बदलता जा रहा है। यह नई दुनिया इन सभी लोगों के लिये बड़ी अच्छी जो हिम्मत के काम कर सकते हैं, जिन्हें डर नहीं लगता, और जो छोटे-मोटे झगड़े-फसादों में डूबते नहीं हैं, जिन की आंखें आगे आने वाले दिनों पर टिकी हैं। लेकिन यह नई दुनिया उन लोगों के लिये जरूर बुरी है, जो इस नई रफ्तार को समझते ही नहीं, जो सिर्फ अपने पैरों के नीचे की जमीन को ही ताकते रहते हैं, जिन की निगाहों, ऊपर चांद तारों की ओर उठती ही नहीं। उन के लिये जरूर यह नई दुनिया बुरी है। लेकिन बुरी हो या अच्छी, यह है ही दुनिया जिस में हम रहते हैं और इस में रहते हुए हमें उस के सभी खतरों, सभी बुराइयों और अच्छाइयों को मान कर, उन का सामना कर के चलना पड़ेगा। उन से भागा नहीं जा सकता।

हमें अपने सामने यह तसवीर रखनी चाहिये। ठीक है। लेकिन हमें अपनी समस्याओं, अपने मसलों को भी देखना पड़ेगा। और वैदेशिक क्षेत्र में हमारी सब से बड़ी समस्या हमारे सीमांत की समस्या ही है ; इस में शक की जरा भी गुंजाइश नहीं। हम सभी को इस की बड़ी फिक्र है। हम सभी इस बात पर बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं। यह दूसरी बात है कि हम में से कुछ लोग इस के बारे में विरोधी दल के कुछ सदस्यों की तरह चीख-चिल्ला कर बातें नहीं करते। यह दूसरी बात है, लेकिन फिक्र हम सभी को है। हमें सिर्फ यही फिक्र नहीं है कि इस समस्या के बारे में आज क्या होगा, बल्कि यह भी कि कल इस की क्या शक्ल हमारे सामने आयेगी। इसलिये कि इस के बड़े-बड़े नतीजे निकल सकते हैं, बड़ी-बड़ी चीजें हो सकती हैं। हम सभी को उन की फिक्र है।

पिछली बार मैं ने कहा था कि हमारे सीमान्त पर जो कुछ हुआ है वह बुरा हुआ है, लेकिन इतिहास की दृष्टि से उस की असल अहमियत यह है कि एक बिलकुल नई चीज हमारे सामने आयी है। विरोधी दल के सदस्य चाहे जो कहें कि हमें उस वक्त यह करना चाहिये था और उस वक्त यह नहीं करना चाहिये था, तिब्बत के बारे में हमें पहले यह करना चाहिये था और यह नहीं करना चाहिये था ; लेकिन मैं उन से निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि उस सब से इस में कोई तब्दीली नहीं होती। उन का ख्याल है कि अगर हम १९५० में चीन सरकार के पास कोई दूसरी तरह का पत्र भेज देते, तो उस से सारी दुनिया का इतिहास, चीन का इतिहास, या तिब्बत में होने वाली घटनाओं का इतिहास बदल जाता।

मुझे ताज्जुब होता है, हैरत होती है ऐसी दलीलें सुनकर। ऐसी दलीलें देने वालों को इतिहास की घटनाओं और उनके पीछे काम करने वाली ताकतों की थोड़ी भी जानकारी नहीं है। अब अगर आप मुझ से पूछें कि तिब्बत के बारे में मैं क्या महसूस करता हूं, तो जाहिर है कि तिब्बत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे मेरे दिल को ठेस लगी है, मुझे दर्द हुआ है। इसमें शक नहीं कि तिब्बत के लोगों के साथ हमारी हमदर्दी है। लेकिन इसके बावजूद, मैंने कई बार, आज ही नहीं १९५०, १९५१, १९५५ और १९५९ में भी, बार-बार इसके एक और पहलू पर सोचने की कोशिश की है। वह पहलू यह है कि कोई भी दूसरा राष्ट्र ऐसी घटनाओं के बारे में क्या और कितना कर सकता है, जिससे कि उसकी अपनी इज्जत और हित भी बने रहें, और जिन बातों या कार्यों में उसे दिलचस्पी हो, उनमें वह मदद भी देता रहे। दुनियां में हमें बहुत सी बातों में दिलचस्पी है। और जाहिर है कि अगर हमें अफ्रीका में कहीं पर किसी विषय में दिलचस्पी है, तो वह दिलचस्पी एशिया में, हमारे पड़ोसी मुल्कों में और भी ज्यादा होगी। तो असल बात यह है कि इन हालात को हम किस नजरिये से देखते हैं और उनके बारे में क्या कार्यवाही करते हैं।

इस सभा में बड़े जोश की बातें करना सभी सदस्यों के लिये एक बड़ा आसान काम है। लेकिन हमें साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि हमारी इस संसद् की हुकूमत भारत की सीमाओं में ही चलती है, उससे बाहर नहीं। दूसरे मुल्क तो हमारी संसद का हुक्म नहीं मानेंगे। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारे कुछ सदस्य कभी-कभी ऐसे लहजे में बोलते हैं जैसे कि इस सभा में यहां कोई प्रस्ताव पास कर देने या भाषण दे देने से ही पूरी दुनियां का इतिहास बदल जायेगा और इतिहास के पीछे काम करने वाली ताकतें जैसे खामोश हो जायेंगी उस भाषण को सुनकर।

हमें आदर्शवादी होना चाहिये। हम शायद हमेशा आदर्शवादी रहेंगे। लेकिन साथ ही, हमें यथार्थवादी भी होना चाहिये, हमें दुनियां की असली तसवीर को भी समझना और महसूस करना चाहिये। आज की दुनियां में आधुनिक तकनीकी ज्ञान और आधुनिक राजनीति दोनों ही एक दूसरे से गुंथी है, दोनों का बड़ा नजदीकी ताल्लुक है। तब फिर ऐसी कल्पना कर लेने से कोई फायदा नहीं कि हम जैसे किसी पिछले युग में रह रहे हैं, जिस पर इन दोनों का कोई भी असर नहीं है। अगर हम अपने देश की रक्षा करने के लिये आधुनिक तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल न करें, तो सिर्फ हिम्मत और जोश के बल पर हम अपनी रक्षा करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे।

इसलिये हमें इस तरह की दलीलें नहीं देनी चाहिये, आज सुबह ही कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि अगर हमने तिब्बत के बारे में १९५० में कुछ किया या कहा होता तो यह कठिनाइयां सामने नहीं आतीं। अब इसका मैं क्या जवाब दूं? इससे मालूम होता है कि वह यह नहीं समझते कि घटना-क्रम किस प्रकार चलता है, किस तरह क्या हो सकता था और क्या नहीं। मुझे ऐसी बातें सुनकर ताज्जुब होता है।

इसी सिलसिले में एक बात और है, जिससे मुझे कई बार काफी परेशानी हुई है। मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने राज्य सभा के एक माननीय सदस्य का उल्लेख किया था और उनका नाम लेकर कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे, जिन पर मुझे ताज्जुब है। उन्होंने श्री पणिक्कर का उल्लेख किया था और उनकी पुस्तिका —"इन टू चाइनाज"—का हवाला दिया था। श्री पणिक्कर आज से दस साल पहले चीन में हमारे राजदूत थे। माननीय सदस्य ने कहा था कि उस वक्त श्री पणिक्कर ने भारत

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के हितों के साथ गद्दारी की थी और बड़े शर्म की बात है कि इस पर भी राष्ट्रपति ने उनको भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में संसद् के लिये नामज़द किया। मैं इन अल्फ़ाज़ से कतई इत्तिफ़ाक नहीं करता। लेकिन इसके अलावा, इस बात का एक दूसरा पहलू भी है और उससे मुझे काफी परेशानी होती है। मुझे परेशानी इस बात से होती है कि हमारे माननीय सदस्यों की एक आदत सी बनती जा रही है कि वे ऐसे लोगों का नाम लेकर, उनकी निन्दा करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, जो यहां उनका जवाब देने के लिए मौजूद नहीं होते। शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर बहस के दौरान में भी यही देखने में आया था। इस सभा में कुछ लोगों का साफ़ साफ़ नाम लेकर उन पर कुछ आरोप लगाये गये थे। और ताज्जुब की बात तो यह है कि वे बेचारे सभा में मौजूद न होने के कारण उन आरोपों का यहां जवाब न दे पाकर जब सभा से बाहर उनका जवाब देने की कोशिश करते है, तो हमारे सदस्य उबल पड़ते है: "तुम जवाब देने की हिम्मत कैसे करते हो।"—यह मेरी समझ में तो नहीं आता।

पहले तो हम खुद संसद् के विशेषाधिकार की आड़ लेकर उस पर हर तरह के आरोप लगाते हैं, और जब वह बेचारा कुछ कहने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अजीब बात है। मैं मानता हूं कि मुझे यह ठीक-ठीक जानकारी नहीं है कि इस मामले में संसद् के नियम क्या हैं, और सही प्रक्रिया क्या है। लेकिन सार्वजनिक जीवन का एक सामान्य शिष्टाचार भी तो होता है, उसकी कुछ सामान्य प्रथायें होती हैं, जो संसदीय जीवन पर भी लागू होती है। मैं तो यही कहूंगा कि इस सभा में किसी भी आदमी का नाम लेकर उसकी बुराई नहीं की जानी चाहिये। सभा के बाहर यह किया जा सकता है, क्योंकि वहां तो दूसरी तरफ से भी जवाब दिया जा सकता है। लेकिन यहां इस सभा में, संसद् के विशेषाधिकार की आड़ लेकर ऐसे आरोप लगाना ग़लत है, उससे और भी कोई कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं?

इसी तरह, अगर इस सभा के माननीय सदस्य राज्य-सभा के माननीय सदस्यों को बुरा-भला कहना शुरू कर देंगे, तो फिर राज्य-सभा के सदस्य भी अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकते है। तो क्या इस तरह दोनों सभाओं के बीच सदस्यों के बीच या इसी सभा के सदस्यों के बीच इस प्रकार के आपसी झगड़े चलते रहेंगे?

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद): मेरा औचित्य-प्रश्न है। यह तो आपके प्राधिकार की आलोचना है। सभा के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक आप ही है, और यदि कोई सदस्य नियम विरुद्ध आचरण करता है तो उसे टोकने और रोकने का अधिकार केवल आप को ही है। आपने उन माननीय सदस्य को उस समय नहीं टोका था, इसका मतलब तो यह है कि आपने उसकी अनुमति दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं उस समय सभा में उपस्थित नहीं था। वह घटना बड़ी अशोभनीय थी।

इस सम्बन्ध में नियम बिलकुल स्पष्ट हैं। हमें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये। सभा के विशेषाधिकार इसलिये नहीं हैं कि उनका प्रयोग ऐसे लोगों को बुरा-भला कहने के लिये किया जाये, जो सभा में नहीं हैं। विशेषाधिकार देने का प्रयो-

†मूल अंग्रेजी में

जन यह है कि माननीय सदस्यगण बिना किसी भय या पक्षपात के देश के हित की बात कह सकें। राज्य-सभा के एक माननीय सदस्य का नाम लेकर उन पर आरोप लगाना बड़ा ही अशोभनीय है। यदि उनकी पुस्तिका में कोई आपत्तिजनक या ग़लत बात हो, तो पुस्तिका के उस अंश की आलोचना की जा सकती है, उन पर कोई आरोप या आक्षेप किये बिना। हमारे देश में चौदह विधान सभायें हैं। उनके सदस्य भी हमें बुरा-भला कह सकते हैं। फिर तो इसका कहीं अन्त ही नहीं होगा। सभा के माननीय सदस्यों को दूसरों का सम्मान करना चाहिये, तभी उनका सम्मान होगा। प्रक्रिया नियमों में एक स्पष्ट नियम है कि यदि किसी अधिकारी विशेष की कोई आलोचना की जानी हो, तो उसकी सूचना पहले मुझे दी जानी चाहिये, और मैं उसे सम्बन्धित मंत्री को बताऊंगा जिससे कि वह उसका समुचित उत्तर दे सकें। सभा के बाहर के अन्य लोगों की आलोचना के सम्बन्ध में भी मैं ऐसा ही नियम बना रहा हूं। हो सकता है कि हम कुछ अशोभनीय शब्दों पर उस समय ध्यान न दे पाये हों, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हमने उसकी अनुमति दे दी थी। भविष्य में ऐसे मामलों में, यदि मेरा ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया जायेगा तो मैं उन अंशों को कार्यवाही से निकलवा सकता हूं।

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं बताना चाहता हूं कि मैं उस समय पीठासीन था और मैंने उन शब्दों पर ध्यान भी दिया था। मैंने माननीय सदस्य को उन शब्दों के प्रयोग से एक बार रोका भी था, एक दूसरे सिलसिले में। दूसरी बार मैंने फिर उन्हें आगाह किया था कि वह अधिक संयम से काम लें। कठिनाई यह थी कि माननीय सदस्य एक पुस्तिका में से उद्धरण दे रहे थे, जो श्री पणिक्कर की ही लिखी हुई थी। तब भी मैंने माननीय सदस्य को टोका था। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने एक दूसरे सिलसिले में उनके शब्दों पर आपत्ति की थी, और उन्होंने वे शब्द वापस ले लिये थे।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने राज्य-सभा के एक माननीय सदस्य के सम्बन्ध में वे शब्द कहे थे ?

†**श्री महन्ती** : मैंने उन सज्जन का उल्लेख राज्य-सभा के सदस्य के रूप में नहीं, पीकिंग में हमारे राजदूत के रूप में किया था। यह तो संयोग की बात है कि उनको ही बाद में राज्य-सभा के लिये नामजद किया गया था।

मैंने कहा था कि बड़े दुःख की बात है कि उनको ही जनता के प्रतिनिधि के रूप में नामजद किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बड़ी अनुचित बात है। राज्य-सभा के किसी भी सदस्य पर इस तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आक्षेप लगाना उचित नहीं है। पुस्तिका का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर राष्ट्रपति की नामज़दगी की आलोचना करना बड़ा गलत है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अब उस अंश को कार्यवाही से निकालने का समय तो नहीं रहा है, लेकिन उसके साथ इस स्पष्टीकरण को भी जोड़ दिया जायेगा। इससे आगे के लिये एक दृष्टांत बन जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : क्या हम सरकारी कर्मचारियों के बारे में अपनी कोई राय नहीं बना सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, लेकिन उसे इस ढंग से व्यक्त नहीं कर सकते । यदि कोई सरकारी कर्मचारी ने कुछ किया है और वह हमारे क्षेत्राधिकार में है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के अन्य तरीके हैं । माननीय प्रधान मंत्री अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जिस किताब का हवाला दिया गया था, मैं ने उसे एक बार फिर से पढ़ा है । मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य ने सरदार पणिक्कर की उस किताब की किस बात से ऐसे नतीजे निकाले हैं । उस में मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दी । सरदार पणिक्कर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चीन में हमारे राजदूत की हैसियत से हमें चीन में होने वाली सभी बातों की पूरी-पूरी और ठीक-ठीक जानकारी नहीं दी । कैसे ? मैं जानता हूं कि उन्होंने हमें सभी जानकारी दी थी । उस किसाब में मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसकी हमें पहले से जानकारी न हो । माननीय सदस्य को शायद उस में कोई ऐसी बात मिली होगी । इतना ही नहीं, उस किताब में इस सवाल के बारे में कोई भी ऐसा नजरिया नहीं रखा गया है, जिसे मैं ग़लत कहूं । सच तो यह है कि सरदार पणिक्कर उस वक्त उस देश में सब से काबिल और तजुर्बेकार राजदूत थे, और उन्होंने कुछ मुश्किल हालात में एक ऐसे ढंग से काम निभाया था कि सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं, कई दूसरी सरकारों ने भी उनकी तारीफ की थी । मैं मानता हूं कि कुछ लोगों की राय उनके कामों के बारे में मुख्तलिफ़ भी हो सकती है । वे कह सकते हैं कि किसी और ढंग से काम करना ज्यादा अच्छा रहता । लेकिन यह कहना कि उन्होंने हमारे हितों के साथ ग़द्दारी की थी, यह बड़ी ज्यादती होगी ।

राजदूतों के कामों के बारे में या वैदेशिक विभाग के प्रचार वगैरह के बारे में मुझे लगता है कि लोगों की कुछ ग़लत धारणायें हैं । लोगों का ख्याल यह है कि शायद सब से ज्यादा तादाद में पर्चे और पुस्तकायें बांटना ही सब से अच्छा प्रचार कार्य है । राजदूतों के लिये भी यह समझा जाता है कि वे ज्यादा से ज्यादा स्पीचें दें या प्रचार का ऐसा ही कोई दूसरा काम करें । हमें कम से कम यह तो देखना चाहिये कि उन्हें किस ढंग के लोगों से काम पड़ता है । दूसरे देशों की सरकारें ऐसी तो नहीं होतीं जिन्हें हमारे बारे में बिलकुल कोई जानकारी ही न हो । हमारे देश में उनके भी अपने राजदूत रहते हैं, प्रचार करने वाले लोग रहते हैं, अखबार वाले होते हैं और ख़बरें देने वाले लोग रहते हैं । सभी बड़े-बड़े देशों की सरकारों के पास उनके अपने ऐसे साधन मौजूद हैं । इसलिए यह सोच बैठना ग़लत होगा कि वे सरकारें हमारे राजदूतों के भाषण सुन कर या प्रचार की पुस्तकें देख कर ही हमारे बारे में अपनी रायें बना लेते हैं । इस तरह के जोरदार प्रचार का असर आम अनपढ़ जनता पर तो पड़ सकता है, पर समझदार आदमी तो उससे कुछ चौंक भी सकते हैं, बिलकुल ही उल्टा असर ले सकते हैं । ऐसे प्रचार का असर उल्टा पड़ने लगता है । इसलिए हमें ऐसे प्रचार को कसौटी नहीं बनाना चाहिये । उससे ज्यादा फायदा नहीं होता । मेरे कहने का यह मतलब भी नहीं लगाया जाना चाहिये कि हमारे प्रचार के साधन बहुत अच्छे हैं और उन में सुधार करने की गुंजायश ही नहीं । उन में सुधार किया जा सकता है; सुधार की गुंजाइश तो हमेशा हर चीज़ में रहती है । लेकिन एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह काम तजुर्बेकार पत्रकारों को ही सौंपा जाना चाहिए, दूसरी तरह के लोगों को नहीं ।

हम ने तजुर्बेकार पत्रकारों को यह काम सौंप कर भी देखा है । वे कामयाब नहीं रहे । वैसे तो हर आदमी में फर्क होता है । हो सकता है कि कोई पत्रकार इस में कामयाब भी साबित हो जाये । लेकिन कुल मिला कर, वे लोग इस काम को ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि वे एक

भिन्न मानसिक वातावरण में काम करते हैं । प्रचार की जो सरकारी मशीन होती है, उसका एक तरीका होता है, उस में वे ठीक नहीं रहते । इसका तजुर्बा करने के बाद ही, हम ने फिर यह फैसला किया था कि हम अपने सरकारी विभागों के लोगों को ही इस काम की एक खास ट्रेनिंग देंगे । हम ने संघ लोक सेवा संघ के साथ सलाह करके ही यह फैसला किया है और अपने प्रचार-कर्ताओं को वैदेशिक सेवा में खपा लिया है, जिससे कि वे अलग किस्म के कर्मचारी न समझे जायें और मैं समझता हूं कि इस से हमारे काम करने के ढंग में बड़ा सुधार हुआ है । फिर भी सुधार की काफी गुंजाइश है, मैं मानता हूं ।

एक और अजीब सी चीज़ यह है कि एक तरफ़ तो हम से कहा जाता है कि प्रचार के ढंग में सुधार करो, और दूसरी तरफ़ कहा जाता है कि हम अपने प्रचार पर बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं । मैं मानता हूं कि ये दोनों बातें जरूरी तौर पर एक-दूसरे की विरोधी नहीं हैं । फिर भी, ये दोनों एक हद तक एक-दूसरी को काटती ही हैं । आम तौर पर हम अपनी वैदेशिक सेवा और उसके प्रचार-कार्य पर जितना खर्च करते हैं, वह अन्य सभी देशों के मुकाबले बहुत कम है । बड़े-बड़े देश हम से कहीं ज्यादा खर्च करते हैं । ठीक भी है, हमें कम ही खर्च करना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि हमें अपने प्रचार में सुधार करने की जरूरत नहीं है । लेकिन बात यह है कि कुछ माननीय सदस्य जिस प्रकार के प्रचार को अच्छा समझते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता । आखिर में सब से अच्छा प्रचार यह है कि हम अपने देश में क्या करते हैं और उसे किस तरह बनाते हैं । उसी को देख कर दूसरे देशों के लोगों को हमारे बारे में यकीन होगा । अपने जीवन में मैं ने सब से अच्छा प्रचार जो समझा है और देखा है वह महात्मा गांधी हैं । इसलिये कि उन्होंने भारत में कुछ ठोस काम करके दिखाया है । उन्होंने बाहर के देशों के लोगों से बातें नहीं कीं । उन्होंने अपने ही देश में कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिससे सभी देशों के लोगों की नजरें उठीं और वे दौड़ पड़े यह देखने के लिए कि भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है । अखबार तब खुद ही उन के बारे में लिखने लगे । इसलिये कि उन्होंने एक ठोस काम किया था । दुनिया के प्रचार के सभी साधन मिल कर भी यह नहीं कर सकते । यही प्रचार का ठोस आधार है, नींव है । लोग सिर्फ पर्चे या पुस्तिकाओं को पढ़ कर अपनी राय नहीं बना लेते । हो सकता है कि किसी मामले में हमें अपने सही होने पर भरपूर यकीन हो, भरोसा हो । लेकिन कभी-कभी हमें अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखने की भी कोशिश करनी चाहिए । सिर्फ अपनी ही ओर देखना, और यकीन कर लेना कि हम जो भी करते या कहते हैं, सिर्फ वही ठीक है, सही है---सोचने का यह तरीका हमेशा ठीक नहीं होता । दूसरे लोग हमारी बात को ग़लत भी मान सकते हैं । हमें उन के नज़रियों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए । हमें उन्हें अपनी राय से सहमत करना होगा, अपनी बात उन्हें समझानी होगी, समझदारी के तरीकों से उन्हें अपनी ओर करना पड़ेगा, चीखने-चिल्लाने से नहीं । तभी हम चीजों की सही तस्वीर समझ पायेंगे । मेरा यह कहने का मंशा नहीं कि हमारी कोई नाकामयाबियां ही नहीं हैं या मैं उन नाकामयाबियों को उचित ठहराने की कोशिश कर रहा हूं ।

नेपाल, सिक्किम और भूटान के बारे में भी कुछ बातें बार-बार दोहराई जाती हैं । नेपाल एक आजाद देश है । वह हमारा एक बड़ा नजदीकी दोस्त है । भूटान के साथ हमारी एक विशेष संधि हुई है । सिक्किम के साथ हमारी और भी विशेष तरह की एक संधि है । लेकिन कुछ माननीय सदस्य इस तरह बातें करते हैं जिसका मतलब यह होता है कि हम उन पर अपनी इच्छायें थोपें, जबर्दस्ती उन को अपनी सलाह दें और एक ढंग से काम करने के लिये कहें । यह उनकी ग़लतफ़हमी है । कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता । दूसरे देश ऐसी कोशिशों पर नाराजी जाहिर करते हैं, ऐसी कोशिशों का बुरा मानते हैं, चाहे उनका हमें

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अधिकार ही क्यों न हो । दूसरे देश ऐसी बातें नापसन्द करते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े देश । और यह सही भी है । हर देश को अपना आत्म-सम्मान बनाये रखना पड़ता है । इसलिये ऐसा नजरिया बिलकुल ग़लत है । इस तरीके से हम अपने दोस्त और नजदीकी ताल्लुकात रखने वाले देशों को भी अपने ख़िलाफ़ कर लेंगे ।

एक माननीय सदस्य ने हमारी वैदेशिक प्रशासकीय मशीनरी का जिक्र करते हुए, लन्दन के हमारे हाई कमीशन के बारे में कहा कि वास्तव में वह भारत सरकार का ही एक संक्षित संस्करण, एक छोटा नमूना है, इसलिये कि उस में भी इसी तरह कई विभाग मौजूद हैं । बात ठीक है । वहां भी एक हद तक इसी ढंग के विभाग बनाये गये हैं । लेकिन यह न तो उसकी कोई अच्छाई है और न बुराई । हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिये कि उसे किस ढंग का और कितना काम करना पड़ता है । उन पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है, कुछ कम होता तो अच्छा रहता । इंगलैण्ड में जितने भारतीय विद्यार्थी हैं, उतने किसी और दूसरे देश में नहीं हैं । इसके अलावा, इंगलैण्ड में हमारा एक बहुत बड़ा स्टोर्स डिपार्टमेंट भी है, जो हमारे देश के विकास के लिए जरूरी सामान खरीदता है । वहां के हाई कमीशन में हमारी सेना, नौ सेना, वायुसेना सभी को अपनी शाखायें रखनी पड़ती हैं । शायद बाद में कभी उनकी जरूरत न रहे, पर आज तो है ।

एक यह आलोचना की गई कि लंदन में एक विशेष पुनर्गठन यूनिट भेजा गया था । जिसके प्रधान वित्त मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव थे, लेकिन वह वहां सभी लोगों से सम्पर्क नहीं कर पाये, और उनको इसीलिये एकाएक वापस बुला लिया गया था । मुझे माननीय सदस्य की बात सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं ने तो वैसी कोई बात सुनी नहीं । यूनिट के प्रधान के भारत लौटने पर, मैं ने उस मामले में उन से बातें की कि उन्होंने वहां क्या काम किया । उनके साथ यहां से कई और लोग भी भेजे गये थे, जिन में एक उपसचिव भी थे । यूनिट के प्रधान लन्दन कुछ समय तक रुके थे, और काम के तरीके के बारे में सभी चीजें तय कर चुकने के बाद, वह उप-सचिव समेत बाकी सभी लोगों को वहीं छोड़ आये थे, अगले कई महीनों में वह काम पूरा करने के लिये । संयुक्त सचिव खुद लन्दन में कई महीने नहीं रुक सकते थे । उनके पास उतना वक्त नहीं था । इसीलिये वह पूरे काम का एक खाका तैयार करके और उसे करने का तरीका तय कर के खुद वहां से चले आये थे, अपने पीछे बाकी सभी लोगों को वह काम पूरा करने लिये छोड़ कर । उन को वापस नहीं बुलाया गया था । वापस बुलाने की बात माननीय सदस्य के अपने दिमाग की उपज है । उसमें थोड़ी भी सचाई नहीं । संयुक्त सचिव ने वहां काफी ठोस काम किया था । अगर मुझे ठीक-ठीक याद है, तो उन के करीब करीब सभी सुझाव सहायक सचिवों संबंधी सुझाव को छोड़ कर, मान भी लिये गये थे । जाहिर है कि ऐसी पुनर्गठन यूनिटें हमेशा ही मिशन के प्रधान के साथ बड़ा नज़दीकी सहकार्य बनाये रखती हैं । यही सही तरीका भी है । क्योंकि अगर मिशन के प्रधान और अन्य अधिकारियों की कठिनाइयों को न समझा जाये, तो फिर बिना असलियत समझे ऊपर से आदेश निकालने से कोई काम नहीं हो सकता । मिशन के प्रधान आखिर समझदार लोग हैं, उन की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती ।

इसीलिये पुनर्गठन यूनिट जिस भी मंत्रालय या मिशन में जा कर काम करता है, उस मंत्रालय या मिशन के प्रधान के साथ वह बड़ा नज़दीकी सम्पर्क बनाये रखता है । यही तरीका है ।

जहां तक मुझे याद है इस पुनर्गठन यूनिट ने कई, शायद ६५, मामलों के बारे में सिफारिश की थी । बाद में, उन सिफारिशों में कुछ रद्दोबदल भी की गई थी । कई कारणों से कुछ लोगों को

रखा गया था । मैं वह सारा ब्यौरा तो नहीं बता सकता । लेकिन इतनी बात साफ़ है कि इस पुनर्गठन यूनिट ने वहां अपना काम बड़ी कामयाबी से पूरा किया था । इस तरह के काम से हमें बड़ा लाभ हो रहा है । हमारा काम पहले से अधिक अच्छा होता जा रहा है और उस का खर्च भी घटता जा रहा है ।

किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि लंदन में इंडिया स्टोर्स डिपार्टमेंट का डाइरेक्टर एक खास व्यक्ति को बनाया जा रहा है । माननीय सदस्य ने साफ तो नहीं कहा, लेकिन उन का इशारा यही था कि उस की नियुक्ति में पक्षपात से काम लिया गया है । माननीय सदस्य ने कहा था कि यह व्यक्ति चुनाव में हार गया था, और इसलिये, ऐसा नतीजा निकाला गया, उस का दुःख कुछ कम करने के ख़्याल से उसे डाइरेक्टर बनाया जा रहा है । मुझे इस का कोई पता नहीं था । लेकिन इस के बाद मैं ने इस मामले की जांच कराई है । इस व्यक्ति को आज से छः साल पहले हम ने एक काफ़ी बड़ी सिफारिश पर एक काम सौंपा था और उस में उस ने काफी कामयाबी कर के दिखाई थी । मैं सिफारिश करने वाले बड़े आदमी का नाम नहीं लूंगा, वह कांग्रेसी नहीं थे, इतना बता सकता हूं । तो फिर, इस व्यक्ति की कामयाबी को देख कर ही, हम ने उसे 'हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स' और 'डी० डी० टी० फैक्टरी' का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया था । इस व्यक्ति ने वहां बड़ी खूबी के साथ काम किया और वह बहुत ही कामयाब रहा । ये सरकारी क्षेत्र में दो या तीन कारखाने हैं जिन्हों-ने मुनाफ़ा कर के दिखाया है । इसीलिये छः साल तक उस का काम देखने के बाद ही अब हम ने उन्हें लन्दन में यह जिम्मेदारी का काम सौंपा है ।

चुनाव की बात भी मुझे मालूम नहीं थी । लेकिन अब पता चला है कि वह आज से आठ साल पहले एक स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव में खड़े हुए थे, और विरोधी दलों में से एक दल उस समय उस का समर्थन कर रहा था । मैं उस दल का नाम नहीं बताना चाहता । सरकारी नौकरी में वह बिलकुल सही और वाजिब तरीके से लिये गये थे, जैसे आम तौर पर लोग लिये जाते हैं । बाद में, संघ लोक सेवा आयोग ने भी इस का अनुमोदन कर दिया है । उन्हों ने काफी अच्छे ढंग से काम किया है और इसीलिये अब उन्हें और बड़ा काम उतने ही अच्छे ढंग से करने का मौका दिया जा रहा है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने एक जिक्र यह भी किया था कि अमरीका में हमारे राजदूत, श्री छागला और वहां के कमिश्नर-जनरल (महाआयुक्त) के बीच कुछ मतभेद है । मैं ने तो ऐसी कोई बात सुनी नहीं । मैं तो समझता हूं कि यह ख़बर ग़लत है । उन में कोई भी मतभेद नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वह नीति न तो राजदूत तय करते हैं और न कमिश्नर जनरल । नीति तो यहां दिल्ली में तय की जाती हैं । उन को तो उस नीति पर अमल करने का काम ही सौंपा जाता है ।

तिब्बत से आने वाले शरणार्थियों का भी जिक्र किया गया । मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूरा इत्तिफाक रखता हूं कि उन को एक बेमतलब का बोझ नहीं माना जाना चाहिये, उन की मदद करना हमारा फ़र्ज है । हमें उन को बसाना चाहिये । इसलिये कि वे अभी काफी अर्से तक हमारे देश में रहेंगे । मैं नहीं कह सकता कि कब तक । इसलिये हमें उन को बसाने की हर कोशिश करनी चाहिये । लेकिन यह कोई बड़ा आसान काम भी नहीं है । वे लोग एक बिलकुल ही दूसरी आबहवा के, एक अलग किस्म की दुनिया के रहने वाले हैं । उन के लिये हमारे देश की आबहवा, हमारा समाज और हमारी भाषायें——सभी कुछ नया है । उन में बहुत से लामा हैं । इस से कठिनाई और भी बढ़ जाती है । हम उन्हें दो-तीन जगह बसाने की कोशिश कर रहे हैं । उन में से एक धर्मशाला भी है ; डलहौज़ी के आसपास के क्षेत्रों में उन के लिये एक बस्ती बनाई जा रही है । उम्मीद है कि कुछ दिनों में दलाई लामा खुद भी धर्मशाला में पहुंच जायेंगे वहां वे अपने ही लोगों के बीच में रहेंगे ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन के लिये मसूरी में रहना ज्यादा अच्छा रहेगा। यह तो अपनी अपनी राय की बात है। माननीय सदस्य जिस वजह से मसूरी को ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं, उसी वजह से मसूरी में उन को बसाना बड़ा गलत होगा। मसूरी एक बड़ी तड़क भड़क का शहर है, जहां टूरिस्ट (पर्यटक) लोगों का तांता बन्धा रहता है। इसलिये वहां लामा और इस किस्म के लोग आसानी से नहीं खप सकते।

धर्मशाला में एक बड़ी अच्छाई यह है कि वहां काफी जगह पड़ी हुई है। वहां अंग्रेज़ सैनिकों के लिये जो काफी अच्छी बैरकें बनाई गई थीं वे अभी खाली पड़ी हैं। हम उन बैरकों को पंजाब सरकार और सेना के अधिकारियों से ले सकते हैं। उस जगह की आबहवा भी बड़ी अच्छी है। वह पहाड़ी इलाके में है और वे लोग पहाड़ी इलाकों में ही बसाये जा सकते हैं। एक माननीय सदस्य ने उन के दक्षिण भारत में भेजने की बात कही थी। उस आबहवा में तो शायद वे लोग जिन्दा भी नहीं बचेंगे।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : ऊटी वगैरह में तो वे रखे जा सकते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन को पहाड़ी इलाक़े में ही बसाया जा सकता है। इसीलिये हम उन को इस इलाके में बसाने की बात सोच रहे हैं। उन के बच्चे स्कूल जाते हैं। हम उन के और बड़े लड़के-लड़कियों के लिये भाषायें पढ़ाने का इन्तजाम कर रहे हैं।

लेकिन तब भी, इतने से ही, यह मसला हल नहीं हो जाता। उन में से कुछ को सिक्किम में और कुछ को धर्मशाला में बसाया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ बाकी बच रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी तक तिब्बत से और शरणार्थी आने का सिलसिला जारी है। थोड़े बहुत अभी भी आते ही रहते हैं। इसलिये मसला अभी हल नहीं हुआ है।

विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने हमारी वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि हमारी सभी पुरानी समस्यायें अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, उन को हल नहीं किया जा सका है। मैं यहां यह कह दूं कि वह एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, अच्छी इस मायने में कि उस के जरिये हम सभी माननीय सदस्यों को अपने काम से वाकिफ़ कराते हैं। उन को पता चल जाता है कि हम कहां क्या कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को उसी रिपोर्ट से पता चला है कि हमारी सभी पुरानी समस्यायें अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। अभी तक गोआ की समस्या, पांडिचेरी की समस्या, उस के विधि-अनुसार हस्तान्तरण की समस्या और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई हमारी समस्या—इन सभी को अभी तक हल नहीं किया जा सका है। और अब यह एक नई समस्या भी आ खड़ी हुई है हमारे सामने—चीन या तिब्बत के साथ हमारे सीमांत की समस्या। बात बिलकुल सही है। मैं इसे पूरी तौर से मानता हूं। सभी पुरानी समस्यायें अभी बनी हुई हैं, हल नहीं हो पाई हैं। हां, थोड़ी बहुत तब्दीली कुछ में जरूर हुई है। पाकिस्तान के साथ कुछ छोटी मोटी समस्याओं पर, सीमांत पर होने वाली गड़बड़ी के बारे में, कुछ समझौता हो गया है। और बड़ी-बड़ी समस्याओं पर बातचीत चल रही है। उनमें से कुछ का निबटारा शायद हो जायेगा।

गोआ और पांडिचेरी के बारे में मामला बिलकुल भी आगे नहीं बढ़ा है। दोनों दो अलग-अलग तरह के मामले हैं। जहां तक पांडिचेरी का ताल्लुक है, वहां हमारी मौजूदगी तो है, लेकिन अभी विधि-अनुसार हस्तान्तरण हमारे हक़ में नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पांडिचेरी के बारे में एक सुझाव दिया गया था। हमें बताया गया था कि पांडिचेरी के न्यायालयों के फैसलों की अपील अभी भी पैरिस में ही होती है। यह बड़ी बेतुकी सी चीज़ है, हम इसे बिलकुल पसन्द नहीं करते। आशा है कि हम पांडिचेरी के विधि-अनुसार हस्तान्तरण के पहले ही, वह हो या न हो, इस प्रथा को खत्म कर देंगे और पांडिचेरी के न्यायालयों के फैसलों की अपील हमारी सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय) में ही होने लगेगी। हम से इस के बारे में कई बार वायदे किये गये हैं, हमें कई बार भरोसा दिलाया गया है, फ्रांसीसी सरकार ने कई बार यकीन दिलाया है कि यह माला तय हो जायेगा। हम ने इतने दिनों तक इन्तजार किया है लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन पैदा हो जाती है।

अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं फिर दोहराता हूं कि आज की हमारी यह दुनिया काफी उलझनों से भरी-पूरी है और पीड़ित है। ऐसी दुनिया में हमें दूरंदेशी से चलना चाहिये। दूरंदेशी का यह मतलब भी नहीं है कि हम चांद-तारों की तरफ ही देखते रहें और अपनी जमीन को न देखें। लेकिन हम आज की इस दुनिया को, इतिहास के इस इन्कलाबी दौर को, तब तक पूरी तौर से नहीं समझ सकते, जब तक कि हम उन ताकतों को न समझें जो दुनिया की शक्ल बदल रही हैं। इसे समझने के लिये जरूरी है कि हम उन टेकनोलोजिकल ताकतों को समझें, जो इन इन्कलाबी रुझानों को पैदा कर रही है; अफ्रीका और दूसरे मुल्कों में नजर आने वाली राष्ट्रीय रुझानों को पैदा कर रही हैं। यूरोप और अमरीका में लोग शान्ति की मांग बुलन्द कर रहे हैं फिरभी पुराना सैनिकवाद फिर सिर उठाता नजर आ जाता है, जो कि एक खतरनाक चीज है। अगर हम दुनिया में कोई बड़ा अहम काम करना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने-आपको देखना चाहिये, अपनी कमजोरी दूर करनी चाहिये, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिये बात बिलकुल सही है। यह इस तरह नहीं होगा कि हम अपनी बात दूसरे मुल्कों पर थोपने की कोशिश करें, उन पर दबाव डालने की कोशिश करें। हमें उनका पूरा-पूरा अदब करना चाहिये और विनम्रता से सभी की समस्यायें समझने की कोशिश करनी चाहिये। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि हम दूसरे मुल्कों की समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह न तो ठीक है, और न ऐसी कोशिश का असर ही अच्छा पड़ता है। दूसरों को राय देते फिरना कि यह करो या यह न करो, लोगों को पसंद नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम खुद अपने मुल्क के काम कुशलता और कामयाबी के साथ पूरे करते चलें, तो उसका असर दूसरों पर कहीं ज्यादा पड़ेगा। सलाह देने की बनिस्पत कहीं ज्यादा। इन मामलों में हो सकता है कि कुछ लोगों की राय दूसरी हो, मेरी राय से मुख्तिलिफ हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादातर माननीय सदस्यों की राय इस से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी; इसके बारे में कोई गहरा मतभेद नहीं होगा। हां, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शायद इससे सहमत न हों उनके सोचने का तरीका बिलकुल जुदा है। पर मेरा ख्याल है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ऐसा ही सोचते हैं, अगर उनमें से कुछ राष्ट्रीयता से बिलकुल अछूते न हों, और उनकी राष्ट्रीयता एक अस्पष्ट अन्तर्राष्ट्रीयता में पूरी तौर से रंगी न गई हो। मैं तो समझता हूं कि एक हद तक मैं भी थोड़ा बहुत अन्तर्राष्ट्रीयतावादी हूं, मुझे भी उसका कुछ अहसास है। मेरा ख्याल है कि अगर किसी लड़ाई में यह दुनिया बिलकुल नेस्तनाबूद न हुई तो दुनिया की तरक्की का अगला दौर अन्तर्राष्ट्रीयता का ही होगा लेकिन अगर किसी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की कहीं कोई जड़ें न हों, तो वह एक बड़े ढीले-ढाले, बेसिलसिलेवार ढंग का, एक हवाई और ख्याली अन्तराष्ट्रीयतावाद बन कर रह जाता है, और इसलिये वह दुनिया पर कोई असर डालने में कामयाब नहीं हो पाता। इसलिये हमें राष्ट्रीयता के इस छोटे दायरे में और इस बड़े अन्तर्राष्ट्रीय दायरे में रहते हुए काम करना है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हम तभी कोई अच्छा काम कर सकेंगे, जब हम अपने प्रति और अपने राष्ट्र, अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे, सच्चे रहेंगे।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : माननीय प्रधान मंत्री ने अपने भाषण के दौरान में कहा है कि इस सभा के कुछ सदस्यों ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे, और उपकुलपति ने अपना जवाब अखबारों में दिया था। इस पर शिक्षा मंत्री ने ही आपत्ति की थी कि उपकुलपति को उस तरह से उत्तर नहीं देना चाहिये था। इसलिये प्रधान मंत्री का कर्त्तव्य था कि वह शिक्षा मंत्री से कहते कि उन की आपत्ति गलत थी। प्रधान मंत्री को सदस्यों पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिये था, आपत्ति तो शिक्षा मंत्री ने की थी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने किसी का नाम नहीं लिया था। नाम तो दूसरे सदस्यों ने लिया था। श्री अब्दुल मजीत ख्वाजा का नाम लिया गया था, जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : आपके शिक्षा मंत्री ने ही उन का नाम लिया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रथा यह है कि यदि सभा से बाहर के किसी व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में कोई प्रश्न किसी को सभा में उठाना होता है तो उस के बारे में मुझे लिखकर सूचित किया जाना होता है और मैं उसे सम्बन्धित मंत्री के पास भेज देता हूं। यदि मंत्री समझें कि उन्होंने गलत बात कही थी, तो वह उसे ठीक कर सकते हैं। मैं इस मामले को इसी अवस्था पर छोड़ता हूं। प्रधान मंत्री ने इसके लिये विरोधी दल के सदस्यों पर कोई आरोप नहीं लगाया।

†**श्री महन्ती** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इंगलैण्ड में हमारे उच्चायुक्त (हाई कमीशन) के संस्थान के काम के अध्ययन के लिये वित्त मंत्रालय की ओर से जो एक विशेष पुनर्गठन यूनिट भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, उस यूनिट की सभी सिफारिशें सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गई थीं तब फिर सहायक सचिव सम्बन्धी उसकी सिफारिश को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

†**वित्त मंत्री** (**श्री मोरारजी देसाई**) : यह भी सर्वसम्मति से किया गया था, यूनिट की सहमति से।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान एक समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो बी० बी० सी० वीकली के **"लिस्नर"** में छपा है। उसके अनुसार इंगलैण्ड में हमारे उच्चायुक्त ने बी० बी० सी० से अपनी एक मुलाकात के दौरान में हमारे संविधान की आलोचना की है, उसे संशोधित करने की आवश्यकता बताई है, और उन्होंने भारत के सरकारी कर्मचारियों तथा शिक्षा पद्धति की भी आलोचना की है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस अवसर पर अब कोई नया प्रश्न नहीं उठा सकते केवल स्पष्टीकरण ही किया जा सकता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने इसी प्रश्न को पहले एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये उठाना चाहा था। आपने उसकी इजाजत नहीं दी थी। अब उसे इस ढंग से उठाया जा रहा है। चूंकि माननीय सदस्य ने उसका जिक्र किया है, इसलिय मैं बता दूं कि मैं ने वह लेख पढ़ लिया है और वह एक बहुत बढ़िया लेख है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस प्रश्न को उठाने की अनुमति न देने पर, माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और मैंने उन से कहा था कि वह लेख मुझे दिखा दिया जाये। वह इस पर राजी भी हो गये थे। फिर, अब इतनी शीघ्रता क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१६	आदिमजाति क्षेत्र . . .	६,४२,०६,०००
१७	नागा पहाड़ियां-त्वेनसांग क्षेत्र	२,६८,६२,०००
१८	वैदेशिक-कार्य	१०,८६,७६,०००
१६	पांडिचेरी राज्य	३,१४,४५,०००
२०	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . .	४,५०,०००
११७	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय . . .	७८,५७,०००

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या ६० से ६२ और १२३ पर चर्चा करेंगे । जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें, वे १५ मिनट के अन्दर उन कटौती प्रस्तावों की संख्या सभा-पटल पर भेज दें जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हों ।

वर्ष १६६०-६१ के लिये सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के बारे में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६०	सूचना और प्रसारण मंत्रालय .	१२,६८,०००
६१	प्रसारण	४,७१,१२,०००
६२	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३,४८,६२,०००
१२३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूजी व्यय . .	१,६४,३१,०००

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़ा । इस अवधि के अन्दर मंत्रालय ने जो सफलतायें प्राप्त की हैं, उनके लिये मैं मंत्री महोदय और उनके साथियों को धन्यवाद देता हूं । उन सफलताओं में से प्रथम सफलता यह है कि १५ दिसम्बर, १६५६ को राष्ट्रपति द्वारा प्रयोगात्मक दूरदर्शक यंत्र का उद्घाटन किया गया और दूसरी सफलता यह है कि ग्रामों में आकाश वाणी किसान मंडल खोले गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

लोगों को जानकारी देने के साधनों में तो वृद्धि हुई है किन्तु जब तक इस सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं होता, तब तक उससे इच्छित परिणाम नहीं निकल सकते । प्रतिवेदन को देखने पर पता चलता है कि इन सब का उद्देश्य सरकार के कार्यों का प्रचार करना है । सब जगह एक ही नारा देखने को मिलता है "योजना में योग देना अपनी सहायता करना है"। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि योजनायें सफल न हों । मैं चाहता हूं कि योजनायें जनता के सहयोग से सफल हों और लोगों को उनके बारे में जानकारी हो किन्तु जब लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से ही कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं तो ऐसे कार्यक्रमों का सामान्यत: यह प्रभाव होता है कि लोग उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते । वस्तुत: मुख्य प्रश्न यह है कि यह साधन सरकार के प्रचार हेतु हैं अथवा जनता के प्रचार हेतु । यदि जनता के लिये हैं, तो इनमें जनता का मुख्य भाग होना परमावश्यक है ।

चलचित्रों के लिये एक निर्यात संवर्धन समिति है, जिसकी बैठक प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष में दो बार हुई । चलचित्र उद्योग से देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है । प्रतिवेदन में बताया गया है कि १९५९ के प्रथम नौ महीनों में उस से पिछले वर्ष की १·१३ करोड़ रुपये की आय के मुकाबले में १·२३ करोड़ रुपये की आय हुई । अत: इस उद्योग की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना सरकार के लिये आवश्यक हो गया है । १९५९ के उत्तरार्ध में भारतीय चलचित्रों को लोक प्रिय बनाने की दृष्टि से कुछ तरीके निकालने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इस उद्योग के प्रतिनिधियों से बात चीत की थी । तदनुसार, तीन समितियां स्थापित की गई थीं जिनका कर्तव्य विदेशों में भारतीय शिष्ट मंडलों द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षणों का अध्ययन करना था । यह भी निश्चय किया गया था कि विज्ञापनों तथा लेखों द्वारा भारतीय चलचित्रों का अन्य प्रदेशों में उचित प्रचार भी किया जाये ।

भारतीय चलचित्रों के साथ एक मुख्य कठिनाई यह है कि अमेरिकी और यूरोपीय चलचित्रों के मुकाबले में वे लम्बी होती हैं अत: उन्हें काटने के बारे में एक प्रस्ताव रखा गया था ताकि उनका निर्यात किया जा सके किन्तु प्रतिवेदन में उस समिति के कार्यों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है । जो कुछ भी सही, क्योंकि इस उद्योग से पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, सरकार को इस की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये ।

अब मैं कर प्रस्तावों का उल्लेख करता हूं । यह कर उतारे गये चलचित्रों पर लगाये गये हैं । इन से सम्पूर्ण उद्योग पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही किन्तु प्रादेशिक भाषाओं के चलचित्र अर्थात् मलयालम्, उड़िया, असम, बंगला, कन्नड और गुजराती भाषाओं के चलचित्र तो बिल्कुल ही नष्ट हो जायेंगे । अत: मेरा यह सुझाव है कि १० प्रिन्ट तक तो छूट दी जाये और १० प्रिन्टों के बाद खण्ड प्रणाली के आधार पर कर लगाया जाये ।

इन करों के लगाने से शिक्षा सम्बन्धी तथा बच्चों के चलचित्रों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा । शिक्षा सम्बन्धी चलचित्र लाभ की दृष्टि से नहीं बनाये जाते । उनकी इस समय देश के लिये बड़ी आवश्यकता है । अत: उन पर कर लगाना देश के साथ अन्याय करना है । बच्चों के चलचित्रों के सम्बन्ध में सभी नेता यह चिल्लाते हैं कि इनको प्रोत्साहन देना चाहिये किन्तु बजाय उस के उन पर कर लगाया जा रहा है ।

वृत चित्र सेना के जवानों तथा ग्रामीण लोगों में बहुत प्रिय हैं, । इस प्रकार के चलचित्रों पर कर लगा देने से उनके एक प्रिंट की लागत कम से कम ६०० या ७०० रुपये आयेगी, जो कि बहुत अधिक होगी क्योंकि यह चलचित्र अप्रवीण व्यक्तियों के हाथों में रहते हैं और एक चलचित्र ६० बार से अधिक नहीं चल पाता । अतः इन पर कर लगाना भी उन लोगों तथा इन चित्रों के प्रति अन्याय करना है ।

सिनेमाटोग्राफ अधिनियम १९५२ के अन्तर्गत सेन्ट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर्स गठित किया गया है । प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि सरकार ने इस बोर्ड को यह हिदायतें दी हैं कि चित्रों की परीक्षा किस प्रकार की जाये । मैं यह महसूस करता हूं कि इन सिद्धान्तों के आधार पर कोई भी किसी कला कृति की उचित रूप से परीक्षा नहीं कर सकता । लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर श्री अजित बरन बोस ने इन चित्रों का सर्वेक्षण करके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं । उन्होंने बताया है कि अधिकांश चित्रों में चोरी, डकैती, तस्कर व्यापार, बलात्कार, हिंसा आदि के दृश्य दिखाये गये हैं जो बोर्ड आफ सेन्सर्स की निगाह में नहीं आये । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उन से वे दृश्य कैसे छूट गये ।

विज्ञापन अभिकरण, संस्था तथा भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र संस्था ने समाचारपत्रों को विज्ञापन देने की सरकार की नीति के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये हैं । यह कहा जाता है कि काफ़ी चर्चा के बाद विज्ञापनों के संबंध में १९५८ में विभिन्न पक्षों के बीच एक समझौते का करार तैयार किया गया था । किन्तु इसके लागू होने से पूर्व ही सरकार ने अपने को इस समझौते से दूर कर लिया और प्रत्येक समाचार-पत्र से सीधे बातचीत आरम्भ कर दी । मुझे आशा है कि सरकार इन आरोपों की जांच करेगी । कुछ भी सही, मैं यह समझता हूं कि प्रत्येक समाचार-पत्र से सीधे बातचीत करने का जो सरकार ने निर्णय किया है, उससे प्रेस की स्वतंत्रता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

यह बड़े खेद की बात है कि आकाशवाणी की अपनी स्वतंत्र समाचार सेवा नहीं है । वह अन्य समाचार अभिकरणों से मुख्यतः पी० टी० आई० से समाचार खरीदता है और लाखों रुपये व्यय करता है । इस प्रकार दूसरे अभिकरणों से प्रसारण के लिये जो समाचार खरीदा जाता है, वह पुराना पड़ जाता है । मैं नहीं समझता कि आकाशवाणी एक स्वतंत्र समाचार सेवा स्थापित करना क्यों नहीं आवश्यक समझता जो निश्चित रूप से कम खर्चीली सिद्ध होगी ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रचार संबंधी सभी साधनों में से मैं कम से कम तीन के बारे में अर्थात् आकाशवाणी, चलचित्र डिवीजन और प्रकाशन डिवीजन के बारे में यह चाहता हूं कि वे सरकारी प्रचार के साधन न बनें अपितु जनता को शिक्षा देने तथा उनके मनोरंजन के साधन बनें । मैं चाहता हूँ कि चलचित्र डिवीजन सगा इन स्टोन जैसे और चलचित्रों का निर्माण करे ।

कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा सभा में यह बताया गया था कि जब प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई को भेजे गये निमंत्रण-पत्र के समाचार को आकाशवाणी के समाचार में सम्मिलित करने का प्रश्न उठा तो आकाशवाणी ने इस संबंध में प्रधान मंत्री से राय ली कि वे ऐसा करें अथवा नहीं । यह बड़े दुःख की बात है कि इन कामों के लिये आकाशवाणी प्रधान मंत्री से राय ले ।

मैं कुछ शब्द केन्द्रीय सूचना सेवा के बारे में और कहना चाहूंगा । मैं मंत्री महोदय तथा सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह नियम बनाये किन्तु इनको लागू करते में कुछ दोष आ गये हैं जिनके परिणामस्वरूप जो लोग ऊंचे पदों पर कम समय से काम कर रहे ह उन्हें

[श्री हेम बरुआ]

तो लाभ हुआ है किन्तु छोटे पदों पर अधिक समय से काम करने वाले लोगों को नुकसान हुआ है। केन्द्रीय सूचना सेवा में बड़े ही प्रवीण लोग हैं और शिकायत यह है कि जब कभी संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन निकलते हैं, तो उन्हें उन पदों के लिये प्रार्थनापत्र नहीं भेजने दिया जाता। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि उनके प्रार्थनापत्र रोके न जायें अन्यथा इस बात की संभावना है कि डा० जोजेफ जैसे अनेक व्यक्ति पैदा हो सकते है और इसका उत्तरदायित्व डा० केसकर पर होगा।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** (एलुरु) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्तीय कठिनाइयों के रहते हुये भी आकाशवाणी की दशाओं तथा कार्यक्रमों में सुधार हुआ है। किन्तु मैं उनका ध्यान कर्मचारियों की काम की दशाओं में कुछ अनियमितताओं, विभेदों आदि की ओर दिलाना चाहती हूं। तीन वर्ष पूर्व मैंने कर्मचारियों के वेतन तथा वृद्धि के बारे में कुछ कहा था। तीन वर्ष के बाद मैं देखती हूं स्टाफ आर्टिस्टों की दशा सुधारने के लिये माननीय मंत्री कुछ भी नहीं कर सके हैं। स्टाफ आर्टिस्ट अस्थायी रूप से ठेके पर नियुक्त किये जाते हैं। यह बड़ी ही अजीब प्रणाली है। यह कहा जाता है कि जब स्टाफ आर्टिस्टों में पहले जैसा गुण न रहे, तब उन्हें निकाल देना चाहिए किन्तु मैं यह जानना चाहती हूं कि पत्रकारिता के काम करने वाले व्यक्तियों को भी अस्थायी रूप से व ठेके पर क्यों नियुक्त किया जाता है। स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भत्तों आदि के बारे में सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा। मैं यह जानता चाहती हूं कि उन्होंने उनके लिये क्या किया है। शायद उनसे यह कहा गया था कि वर्गीकरण के बाद उनके वेतन में वृद्धि कर दी जायेगी किन्तु वर्गीकरण हुये चार वर्ष बीत गये हैं और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

पहले एक बार मैंने मंत्री महोदय से प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया था कि प्रोग्राम एसिस्टेंटों को प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के संवर्ग के साथ मिला दिया जायेगा। किन्तु प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों का क्या होगा जो अधिक वेतन पा रहे हैं और अधिक योग्य हैं? क्या उन्हें असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर बना दिया जायेगा? भाषा विभाग के स्टाफ आर्टिस्टों को भी ठेके पर रखा जाता है, कुछ को एक साल के ठेके पर रखा जाता है और कुछ को तीन साल के ठेके पर? यह विभेद क्यों है? इस ठेके की प्रणाली को समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाता? संगीत, नाटक आदि के संबंध में तो ठेके की प्रणाली ठीक है किन्तु लेखन आदि का कार्य करने वालों के लिये इस प्रणाली का रखना ठीक नहीं जान पड़ता। इन स्टाफ आर्टिस्टों को उपसम्पादकों के समकक्ष माना जाना चाहिए। यह बताया गया था कि इंजीनियरिंग कर्मचारियों की गैर टेक्नीकल और प्रशासन संबंधी कर्मचारियों के समान भी वेतन आदि नहीं दिया जा रहा है। वेतन आयोग की रिपोर्ट में भी यह बात बताई गई है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूँ कि वे इस ओर ध्यान दें।

सूचना संवर्ग के कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है। सबको आश्चर्य है कि उनकी पदोन्नति किस आधार पर की गई है। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों में यह भावना पल्लवित न हो कि यह काम उनकी जानकारी के बिना किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाल ही में किये गये एक वर्गीकरण के जरिये सभी पदों को चारवर्गों में बांट दिया गया है। पहले जो कुछ लोग भाषा विभाग में काम कर रहे थे, उनकी पदोन्नति राष्ट्रीय एकक सेवा में कर दी गई थी। इस वर्गीकरण के बाद अन्य विभागों के लोग वहां भेजे जायेंगे और जो वहां काम कर रहे हैं उन्हें वापस भेजना होगा। इस प्रकार से उन व्यक्तियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा जो उन लोगों की पदोन्नति होने पर वहां अस्थायी रूप से ठेके पर नियुक्त कर लिये गये थे। कुछ व्यक्ति १३ वर्ष की सेवा के बाद भी अस्थायी रखे गये हैं और उन्हें सेवाच्युत कर दिया है। हमें उन्हें सेवा की कुछ गारंटी देना चाहिए जिससे वह शान्तिपूर्ण ढंग से कला की ओर अपने को अग्रसर कर सकें।

पूना, जालंधर तथा अन्य स्थानों में कई स्टूडियो बनाये जा रहें हैं। मैंने मंत्री महोदय से प्रार्थना की है कि वे विजयवाड़ा में भी एक स्टूडियो स्थापित करें।

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: इस पर विचार किया जायेगा।

†**कुमारी नो० वेदकुमारी** : मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि हैदराबाद में एक उच्च-शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किया जाये। हैदराबाद में न्यूजरील कैमरामैन की एक जगह थी। यह पद क्यों समाप्त कर दिया गया ? उस पद पर जो व्यक्ति काम कर रहा था वह पूरे क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना का अच्छा प्रचार कर रहा था।

कुछ क्षेत्रों में ऐसे असिस्टेंट डाइरेक्टर लगे हुये हैं जो वहां के नहीं हैं। मैं इसको बुरा नहीं मानती किन्तु इतना अवश्य चाहती हूं कि एक विशिष्ट क्षेत्र में असिस्टेंट डाइरेक्टर के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए जिसको वहां की संस्कृति, परम्परा, संगीत आदि का ज्ञान हो और जो वहां की कठिनाइयां समझते हों। असिस्टेंट डाइरेक्टर को इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस क्षेत्र की संस्कृति में सुधार हो तथा उसे प्रोत्साहन मिले।

सरकार सभी भाषाओं में कुछ प्रलेखीय चित्र बना रही है। मैं चाहती हूं कि हिन्दी और अंग्रेजी की भांति प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रलेखीय चित्र तैयार किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रदेशों में जो बड़ी-बड़ी सिंचाई की व औद्योगिक परियोजनायें चल रही है उनके भी चित्र तैयार किये जाने चाहिएं ताकि लोग विभिन्न प्रदेशों में होने वाले विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

अन्तिम बात मैं विदेशी कार्यक्रमों के बारे में कहना चाहती हूं। वे कार्यक्रम तामिल, कन्नड़ आदि में प्रसारित किये जाते हैं। मेरे विचार में मलयालम् को भी महत्व दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूँ कि तेलुगु को भी कुछ महत्व दिया जाये।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करती हूं कि वे मेरी बातों की ओर ध्यान दें।

†**श्री न० रं० घोष** (कूच बिहार) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ने पर मुझे ज्ञात हुआ कि इसका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। मंत्रालय के कार्यों का केवल हमारे सांस्कृतिक जीवन से ही संबंध नहीं है अपितु उनका हमारे ज्ञान, हमारी शिक्षा व हमारी रुचियों पर भी प्रभाव पड़ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रं० घोष]

चलचित्र डिवीजन प्रचार का प्रमुख साधन है। चलचित्र समाज को सुधारने तथा राष्ट्र का नैतिक स्तर उठाने में काफी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साथ ही अपराधों तथा वासनाओं से पूर्ण चित्रों से समाज को काफी नुक्सान भी पहुंच सकता है। सेन्सर बोर्ड कुछ ऐसे चलचित्र पास कर देता है जिनके द्वारा मनुष्यों की निम्न भावनाओं को प्रश्रय मिलता है और हमारे देश के युवकों का नैतिक स्तर गिरता है। माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर कई बार दिलाया गया है। हालीबुड के चित्रों में जिस प्रकार के आलिंगन, चुम्बन आदि के दृष्य दिखाये जाते हैं उन्हीं का अनुकरण अब भारतीय चलचित्रों में किया जा रहा है। उन चित्रों का कोई साहित्यिक मूल्य नहीं होता जिससे वे विदेशों में लोक प्रिय नहीं बन पाते। बंगला भाषा में कुछ उच्च स्तर के चलचित्र बनाये गये थे, उदाहरणत: काबुली वाला, पाथेर पांचाली, अपूर संसार, अपराजित, जलसा घर आदि। इन चलचित्रों की सफलता का कारण यह था कि इनकी कहानियां सर्वश्रेष्ठ लेखकों की पुस्तकों से ली गई थीं। जब तक अच्छी कहानियां नहीं ली जातीं, अच्छे चलचित्र तैयार नहीं किये जा सकते। सरकार को इस ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि इनसे काफी लाभ हो रहा है। केवल सेन्सर डिवीजन ही इसके लिये उत्तरदायी नहीं है, अपितु संविधान के अनुच्छेद १७ (२) के अन्तर्गत भी इस सम्बन्ध में काफी अधिकार दिये गये हैं।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें कि हमारा नैतिक स्तर न गिरने पाये। केन्द्रीय बोर्ड को अच्छे किस्म के वृत्त चित्र बनाने चाहिये और इस काम में होशियार निर्माताओं को लगाना चाहिये। इस प्रकार के चलचित्र विदेशों में काफी प्रसिद्ध होंगे।

प्रतिवेदन में दूसरी बात बंदना के गीतों के बारे में ही गई है श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों का प्रसारण तो किया जाता है किन्तु उनके भक्ति के विशेषत: देशभक्ति के गीतों के बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। कीर्तनों को लोक प्रिय बनाना चाहिये क्योंकि उनसे हमारा राष्ट्रीय चरित्र ऊंचा उठा है।

प्रकाशन विभाग के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री कृपया इस पर विचार करें कि क्या राजा राममोहन राय के लेखों को प्रकाशित किया जा सकता है। यह बड़ी अच्छी बात है कि नेताजी के भाषण प्रकाशित किये जा रहे हैं। यह अच्छा हो यदि उनमें नेता जी द्वारा विदेशों से प्रसारित भाषण भी सम्मिलित किये जा सकें।

संस्कृत के कार्यक्रमों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कलकत्ता केन्द्र की भांति दिल्ली से भी गीता और चण्डी का प्रसारण किया जाये। साथ ही यह अच्छा हो यदि उपनिषद्, वेद के मंत्र, दोहे आदि भी प्रसारित किये जायें।

कलकत्ता प्रसारण केन्द्र से जो कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं उन्हें सुनने में कठिनाई होती है। मुझे पता नहीं कि वहां किस प्रकार का ट्रांसमीटर है किन्तु प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि वहां २० किलोवाट का ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि कलकत्ता केन्द्र के लिये यह ट्रांसमीटर ठीक रहेगा। मैं चाहता हूं कि वहां एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित किया जाये। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं केवल आकाशवाणी और चलचित्र विभाग के बारे में ही कहना चाहूंगा। द्वितीय योजना में १००० तक की जन संख्या वाले गांव को एक रेडियो सेट देने का विचार किया गया है। चार वर्ष बीत गये हैं। किन्तु मैं अपने राज्य के अनुभव

---

†मूल अंग्रेज़ी में

से कह सकता हूं कि केवल पंचायत मुख्य कार्यालयों को ही सामुदायिक रेडियो सेट मिल पाये हैं। यह दोहराना व्यर्थ ही है कि हमारे देश में शिक्षितों की संख्या १६ प्रतिशत है और वह भी अधिकांश नगरों तक ही सीमित है। ग्रामों में निरक्षरता बहुत अधिक है। ऐसी हालत में ग्रामवासियों को शिक्षा देने का एक मात्र साधन रेडियो ही रह जाता है। अतः इस के जरिये उन्हें शिक्षा देने के लिये सारी सुविधायें उपलब्ध करनी चाहियें। उनको सामान्य ज्ञान की अथवा कृषि के सुधरे हुये तरीकों की शिक्षा भी देनी चाहिये।

प्रतिवेदन में बताया गया है कि बहुत से गांवों में बिजली नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि उनको बैटरी अथवा बिजली के रेडियो देने की बजाय ट्रानसिस्टर रेडियो दिये जायें।

अपने राज्य के सम्बन्ध में, जिसका क्षेत्रफल ६०,००० वर्ग मील है, मैं यह बताना चाहता हूं कि कटक के ट्रान्समिटिंग केन्द्र से पश्चिमी जिलों के लोगों को खबरें सुनने को नहीं मिलतीं। मैं चाहता हूं कि रांची की भांति सम्बलपुर में एक शक्तिशाली ट्रान्समिटिंग केन्द्र स्थापित किया जाये। सम्बलपुर आदिम जाति क्षेत्र है अतः वहां से लोक गीत भी प्रसारित किये जा सकेंगे।

आकाशवाणी से केवल शासक दल के ही विचार व समाचार प्रसारित किये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी दलों के विचार व कार्यक्रम रेडियो से प्रसारित किये जायें ताकि जनता सभी दलों के दृष्टिकोणों से अवगत हो सके। कितने ही समय से यह मांग की जाती रही है कि विपक्षी दल के सदस्यों को आकाशवाणी के केन्द्रों से बोलने दिया जाये किन्तु अभी तक किसी भी सदस्य को अवसर नहीं दिया गया है। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वार्षिक अधिवेशनों को काफी स्थान दिया जाता है जब कि अन्य दलों के अधिवेशनों के लिये ऐसा नहीं किया जाता।

चलचित्र विभाग के बारे में यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि गत वर्ष ३१० वृत्त चित्र बनाये गये और राष्ट्रीय भाषा आदि के प्रचार के लिये काफी काम किया गया। किन्तु मंत्रालय को चलचित्र उद्योग के लिये कुछ हिदायत देनी चाहिये कि केवल प्रेम सम्बन्धी चित्र ही न बनाये जायें। विविध विषयों पर चित्र बनाये जायें जिससे देश की समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिले।

दूसरा दोष चलचित्रों में यह पाया जाता है कि कथावस्तु के चरम सीमा तक पहुंचते ही गीत आ जाता है जो बड़ा ही असामयिक प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में कुछ सुधार होना चाहिये।

चलचित्र उद्योग के सम्बन्ध में दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उत्पादन शुल्क लगाने का विचार किया गया है उसका मुख्यतः प्रादेशिक भाषाओं में चलचित्र बनाने वाले छोटे एककों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन चलचित्रों का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। उन चलचित्रों को प्रोत्साहन देने के लिये यह आवश्यक है कि उत्पादन शुल्क लगाने के मामले में उन्हें कुछ रियायत दी जाये।

प्रकाशन विभाग के सम्बन्ध में, मैं परिशिष्ट ८ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसमें मैं देखता हूं कि गत वर्ष मेरी प्रादेशिक भाषा अर्थात् उड़िया में एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है जब कि मलयालम में काफी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। शायद ऐसा इसलिये किया गया हो कि केरल में फिर से चुनाव होने वाला था और यह सामग्री कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिये काम में लाई जा सकती थी। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच की जाये।

[श्री प्र० के० देव]

हमारे देश में २ करोड़ रूपये की कच्ची फिल्में बाहर से मंगाई जाती हैं। यह बड़ी खुशी की बात है कि शीघ्र ही उटकमंड में एक फिल्म कारखाना स्थापित किया जायेगा। यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में इस सम्बन्ध में काफी प्रगति की आशा न हो तो सरकार को सरकारी क्षेत्र में कच्ची फिल्मों के उत्पादन का काम प्रारम्भ करना चाहिये।

दिल्ली में टेलीवीज़न सेट काफी लोक प्रिय हैं। किन्तु उनके सेट बाजारों में उपलब्ध नहीं हैं। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि बाजारों में इसके सेट आसानी से उपलब्ध हो सकें।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इंफार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अपने बड़े महकमे के द्वारा जो प्रगति और तरक्की की है, मैं मिनिस्टर साहब व मिनिस्ट्री को उसके लिये मुबारकबाद और बहुत बधाई देती हूं। भारत जैसे देश के लिये, जहां पर बहुत सी भाषायें हैं, तरह तरह की सांस्कृतिक व्यवस्थायें हैं, अनेक भाषाओं के साहित्य हैं, इन सब बातों को देखते हुये जिस खूबी से आल इंडिया रेडियो ने अपना काम किया है वह तारीफ के काबिल है। सन् १९५९–६० की रिपोर्ट को देखने से हमें खुशी मालूम होती है कि इंफार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो एक्स्पेरिमेंटल टेलिविजन सर्विस को कायम किया है, वह बहुत ही बड़ी बात की है और हमें पूरा विश्वास है कि उस से समाज बहुत तरक्की करेगा।

रिपोर्ट में प्लैन का काफी जिक्र है, लेकिन साथ ही साथ और कल्चरल प्रोग्रैम्स की तरक्की भी दिखाई गई है। हम देखते हैं कि इतनी तरक्की के बाद भी अभी तक हमें यह महसूस होता है कि सीलोन काफी बुरी तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है। किसी तरह से हम कितनी ही कोशिश करें कि उनकी आवाज न आये, उस के गाने न आयें लेकिन सीलोन से बराबर गाने आते हैं और आज कोई घर नहीं बचा है जहां कि रेडियो सीलोन स्वीच औन न हो और वहां से वही बेतुके किस्म के फिल्मी गाने न गाये जा रहे हों। हर वक्त सीलोन रेडियो वही भद्दे फिल्मी गीत बजाया करता है और सब जगह जहां देखो रेडियो सीलोन बज रहा है और आज हकीकत यह है कि रेडियो सीलोन हमारे पीछे पड़ा हुआ है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : सीलोन रेडियो हमारे पीछे पड़ा हुआ है या हम सीलोन रेडियो के पीछे पड़े हुये हैं ?

श्रीमती उमा नेहरू : अब यह तो मिनिस्टर साहब को बताना होगा कि कौन किस के पीछे पड़ा है, लेकिन यह तो हकीकत है कि सीलोन रेडियो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, एक परछाईं की तरह साथ साथ है और जहां हम ने स्वीच औन किया तो रेडियो सीलोन से वही बेतुके फिल्मी गीत बजने लगते हैं। मैं आपको बतला दूं कि मुझे फिल्मी गानों से कोई बैर नहीं है। वशर्ते कि वे भद्दे और बेतुके न हों। अगर अच्छे किस्म के फिल्मी गीत बजवाये जायें तो मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है और मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसलिये मैं चाहूंगी कि अच्छे फिल्मी गीत तैयार करके उनको बजवाया जाय . . .

एक माननीय सदस्य : गाने तो यहीं हिन्दुस्तान में तैयार होते हैं।

श्रीमती उमा नेहरू : कहीं भी वे तैयार होते हों मैं चाहूंगी कि अच्छे सुरुचिपूर्ण फिल्मी गीत लिखवाये जायें और उनको लिखने वाले तरीके के आदमी हों। ऐसे गाने तैयार करवाये जायें जो कि कुछ मायने रखते हों और वे बेतुके और ऊटपटांग किस्म के न हों जैसे कि आजकल अक्सर सुनने को मिलते हैं।

फोक म्यूजिक में आपने काफी उन्नति की है, खास तौर पर राजस्थानी व मध्य प्रदेश के गानों में। मैं मिनिस्टर साहब से कहुंगी कि राजस्थानी व मध्य प्रदेश के गानों के अलावा हमारी यह ब्रजभाषा बड़ी प्यारी भाषा है और रेडियो पर अगर मथुरा और वृन्दावन के फोक सौंग्स बजाये जायं तो बड़ा अच्छा रहेगा। ब्रजभाषा में यह गाने बहुत सुन्दर रीति से गाये जाते हैं और जो वहां के गाने वाले हैं उनकी आवाज भी बहुत प्यारी है। मैं चाहती हूं कि मथुरा और वृन्दावन के इन ब्रजभाषा के गानों को फोक म्युजिक प्रोग्राम में स्थान दिया जाय।

डाक्युमेंटरी फिल्मों के क्षेत्र में भी आपने काफी तरक्की की है। रिपोर्ट को देखने से पता लगता है कि १३ जबानों में यह फिल्म्स् तैयार किये जाते है। हिन्दी, बंगला, तामिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, आसामीज, उरिया और पंजाबी जबानों में यह फिल्म्स् तैयार किये जा रहे हैं।

न्यूजरील के मामले में भी आपने बहुत तरक्की की है। न्यूजरील को तो हम अक्सर जाकर देखते है और न्यूजरील से ही हमको पता लगता है कि कितनी हमारे देश ने तरक्की की है।

अपनी रिपोर्ट में चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी की भी आपने चर्चा की है। कोशिश आप उसके लिए जरूर कर रहे हैं लेकिन अभी हमको इतमीनान के काबिल यह चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी दिखाई नहीं देती है। बच्चों का फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। अभी हिन्दुस्तान में वह बात नहीं आई है जो कि पश्चिमी देशों की बच्चों की फिल्म्स् में है। पश्चिमी देशों के मुकाबले हम अभी बहुत पीछे हैं।

जहां तक फिल्मों का सम्बन्ध है यह खुशी की बात है कि अब अच्छी सोशल फिल्म्स् बन रही हैं और बाजार में आ रही हैं और मैं बराबर उन फिल्मों को देखती रहती हूं। खास तौर से मुझे जो इधर सबसे ज्यादा पसन्द आई वह बंगला फिल्म्स् पसन्द आई जैसे पथेर पंचाली, अपराजिता और सागर संगनै। यह तीनों बंगला फिल्में बहुत अच्छी हैं। जरा भी इन में सुपरफलुअस बात नहीं है। उनमें कोई बनावटी बात नहीं है बिल्कुल कुदरती वातावरण है और आम तौर पर हमारे घरों में जिस तरह पर चीजें होती हैं वह इन फिल्मों में दिखाई गई हैं। इन तीनों फिल्मों में जरा भी बनावट नहीं है। इसी तरह मराठी में भी बड़ी अच्छी फिल्में बनी हैं लेकिन मेरे ऊपर सबसे ज्यादा असर बंगाली फिल्मों का हुआ।

अब सिनेमा हाउसेज के बारे में मुझे मिनिस्टर साहब से एक बात कहनी है और वह यह कि जैसा कि अभी मेरे कुछ भाई चर्चा कर चुके हैं कि गोकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी फिल्में सिनेमाओं में दिखाई जायें लेकिन अभी भी हमारे सिनेमाओं में ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जिनको कि देख कर दिल को दुःख होता है, क्योंकि ऐसी फिल्मों को देख कर हमारे नवयुवकों के चरित्र का अधःपतन होता है।

स्पोकेन वर्ड प्रोग्राम में आप कहते हैं कि काफ़ी तरक्की हुई है। बेशक १०,००० प्रोग्राम्स् और १६,००० टौकर्स का नम्बर आता है अच्छा है। जो टौक्स दिये गये हैं वे भी काफी शिक्षाप्रद है। राष्ट्रीय, आर्थिक व सामाजिक यह सारे विषय लाभदायक है।

स्पेशल प्रोग्राम अंडेमान और निकोबार आइलैंड्स का भी रिपोर्ट में जिक्र है। उसमें भी आपने काफी तरक्की की है। लेकिन एक बात मुझे उसके बारे में कहनी है और वह यह कि रिपोर्ट में जो यह जिक्र है कि हफ्तेवार आध घंटे का प्रोग्राम होता है तो मैं चाहती हूं कि हफ्ते में दो बार यह प्रोग्राम हो और आध घंटे की जगह घंटे भर का यह प्रोग्राम कर दिया जाय।

[श्रीमती उमा नेहरू]

स्पेशल औडिएंस प्रोग्राम का भी रिपोर्ट में जिक्र है जहां कि आप कहते हैं कि " उसका उद्देश्य मनोरंजन के द्वारा सूचना तथा शिक्षा प्रदान करना, और मध्यम श्रेणी की गृहणियों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और श्रमजीवी स्त्रियों, जो इन कार्यक्रमों को सुनने वाले लोगों में सब से अधिक होती हैं, में प्रतिभा का पता लगाना और उसे प्रोत्साहन देना है।" मैंने इसे बहुत गौर से पढ़ा और बार बार पढ़ा लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। क्या और किस तरह का यह प्रोग्राम होता है इसका जिक्र आपने नहीं किया है। आखिर यह डिस्कवरिंग और इनकरेजिंग टेलेंट का किस तरह से अन्दाज होगा ? मैं चाहती हूं कि इसको मंत्री महोदय जवाब देते समय समझा दें।

चिल्ड्रेन प्रोग्राम्स् में आपको काफी सफलता मिली है। मैं खुद चिल्ड्रेन प्रोग्राम्स् के वास्ते आपके रेडियो स्टेशन पर जाती हूं। मैंने खुद इन प्रोग्राम्स् को देखा है और बच्चों की खामोशी और खुशी भी देखी है। वे वहां पर आकर बिलकुल खामोशी से बैठते हैं। बहुत दिलचस्पी से वह इन प्रोग्राम्स् में हिस्सा लेते हैं और उसी के साथ साथ हर एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि मेरी आवाज तो जरा टेस्ट कर लो। यह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है।

कम्युनिटी लिस्निंग स्कीम का भी रिपोर्ट में जिक्र है। उसके लिए आपने १५ लाख रुपये रखे हैं। मुझे यकीन है कि स्टेट्स इस प्रश्न को लेंगी और देहातों में रेडियो सैट्स चालू कर देंगी। देहातों में इसकी बहुत जरूरत है।

अभी भी हौरर और मर्डर पिक्चर्स का आना बन्द नहीं हुआ है। सैक्सी फिल्में आती हैं और इन सैक्सी, हौरर और मर्डर पिक्चर्स को देख कर आज हमारे नवयुवकों पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है और समाज बजाय ऊपर बढ़ने के नीचे गिरता चला जा रहा है। खास तौर से हमारे टीनैज नवयुवकों की हालत देखने के काबिल है। बिलकुल आपे से बाहर, अपना हुलिया सिनेमा स्टार का सा बनाये फिरते हैं। हमारे बच्चे वही अंग्रेजी गाने गाते हैं और एक किसी सिनेमा स्टार की तरह उठते बैठते और चलते फिरते हैं। वे फिल्म स्टारों की सब बातों में नकल करते हैं। सिर्फ गाने की ही नकल नहीं करते हैं बल्कि उनमें से किसी एक स्टार का अपना एक आइडियल बना कर और उसकी सी शकल बना कर चलते हैं। उसी तरह बाल बड़े रखते हैं। साइडलौक्स उसी किस्म के रखते हैं और मूंछें भी उसी तरह के बनाये रखते हैं। वह इंसान की मानिन्द नहीं चल कर टांगे फैला फैला कर और उछाल उछाल कर कदम उठा उठा कर चलते हैं। आजकल जो हो रहा है वह नेशन बिल्डिंग का ढंग नहीं है। अब गीत अगर तुक के हों तो हमें बुरे नहीं लगते लेकिन यह नहीं कि अंग्रेजी के गीत गाये जायें और ऊटपटांग गीत गाये जायें। नकल का माद्दा हमारे बच्चों में इतना हो गया है कि आज हैलो है है हर एक हिन्दुस्तानी बच्चे की आम बोली हो गई है।

मैं चाहती हूं कि इस बात में मिनिस्टर साहब हमारी मदद करें, वह इस तरह से कि सिनेमा पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि जो फिल्में हमारे यहां आवें वे ऐसी न हों कि हमारे समाज के बिल्कुल ही विरुद्ध हों। मैं यह नहीं कहती कि आप हर वक्त ऐसे ही गाने रखें कि भजन मंडली के सिवा और कुछ भी न मालूम हो, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा कल्चर सिर्फ भजन मंडली ही नहीं है। हमको नेशन बिल्डिंग का ख्याल रखना है और इसके लिये जरूरी है कि जो हमारे कल्चर के जवाहर है उनको हम बाहर लायें।

आपने प्लान के ब्राडकास्टिंग की चर्चा की कि प्लान का बहुत काफी ब्राडकास्टिंग होगा। मैं चाहती हूं कि इसी तरह से आपको नेशन बिल्डिंग के लिये भी करना चाहिए क्योंकि बगैर नेशन बिल्डिंग के, बगैर इन्सानों के आप उस प्लान का क्या करेंगे। नेशन बिल्डिंग के बगैर प्लान को आगे ले जाना बिल्कुल बेकार होगा।

इसके बाद मैं मिनिस्टर साहब से एक बात और कहना चाहती हूं। कल परसों मैं ने एक मैगजीन देखा था। उसका नाम लिंक है। उसमें मैंने अपने मिनिस्टरों की चर्चा देखी। उसमें लिखा है कि हमारे मिनिस्टरों ने कितना रुपया अपने ट्रेवलिंग एलाउंस पर खर्च किया है। लेकिन उसके अन्दर मुझे एक बात चुभी। उसमें लिखा है कि इन्फार्मेशन और ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर ने ४८,५९७ रुपया अपने ट्रेवलिंग एलाउंस पर खर्च किया। यह देखकर मैं खामोश हो गई। मैं चाहूंगी कि मिनिस्टर साहब जब जवाब दें तो बतायें कि यह ट्रेवलिंग एलाउंस क्या चीज है। जब तक यह चीज हमें मालूम नहीं होती, हमारे दिल में यह शंका होती है इसको देखकर कि जितनी उनकी तनख्वाह है करीब करीब उसके बराबर ही ट्रेवलिंग एलाउंस हो जाता है। तो यह बात हमारे सामने साफ होनी चाहिए।

ज्यादा न कह कर मैं बहुत धन्यवाद देती हूं इस मुहकमे को। मैं चाहती हूं कि यह सीलोन हमारे बीच से हट जाता और यह सिनेमा में ठोक फिल्में हमारे यहां आएं। अगर मिनिस्टर साहब इतना काम करें तो मैं कोई वजह नहीं देखती कि हमारे ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर साहब क्यों न कैबिनेट रैंक का बनाया जाए।

सरदार अ० सिंह० सहगल (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमांड्स सूचना और प्रसारण विभाग लाया है उन पर मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैं सब से पहले क्लासिकल म्यूजिक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसको प्रोत्साहन देने के लिये हमें यह देखना है कि कौन कौन से राग हैं जो लुप्त हो रहे हैं। अभी जो ग्वालियर में तानसेन जयन्ती हुई उसमें जाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां मैं ने देखा कि ग्वालियर का एक राग है जिसको वहां की एक ही फैमिली गाती है। उस फैमिली में एक आध लोग बचे हैं जो उस राग को गाते हैं। हमें इस प्रकार के रागों को गाने वालों को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वे राग लुप्त न हो जायें।

उसके साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप वहां गये तो कुछ सीखकर आये या नहीं।

सरदार अ० सिंह० सहगल : यह तो वक्त बतायेगा।

तो इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान बनारस की ठुमरी और टप्पे की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। यह राग भी बनारस से करीब करीब लुप्त हो रहा है। इसका क्या कारण है। इसका एक ही कारण है कि जो लोग इन रागों को गाते हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाये. तो ये राग रागिनी जो कि प्रचलित हैं वे नष्ट नहीं होंगे।

हमारे यहां मध्य प्रदेश में खैरागढ़ में एक म्यूजिक कालिज बनाया गया है। इसको ऐसी जगह बनाना चाहिये था कि जहां हमको इसके लायक लोग मिल सकें और जिससे हम अपना कार्य अच्छी तरह से चला सकें। केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार को यह सुझाव दे सकती है कि वह इस कालिज को उठाकर ग्वालियर ले आवे जो कि तानसेन का जन्म-स्थान है। उनकी यादगार में हमको कुछ बनाना चाहिये, इसलिये हम इस कॉलिज को ही वहां उनकी यादगार में बना सकते हैं।

[सरदार अ० सिं० सहगल]

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अकबर के जमाने में जब तानसेन मौजूद थे, तो उन्होंने इस बात का ऐलान करा दिया था कि आगरा में कोई भी आदमी गा न सके। उस समय बैजू बावरा वहां जाता है और गाता है। उसको बादशाह के सामने लाया जाता है। मैं आपके सामने यह चीज इसलिये रख रहा हूं कि आज हमारी राग रागनियां मरती हुई चली आ रही हैं, उनको बचाना चाहिये। तो उसके बाद तानसेन तोड़ी रागिनी शुरू करता है और उसको सुनकर बहुत से पशु पक्षी वहां आ जाते हैं। मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि हमारे दोस्तों को मालूम हो कि हमारे यहां किस तरह के राग रागिनी थे।

एक माननीय सदस्य : क्या वहां जानवर ही इकट्ठे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का मतलब यह नहीं था कि वहां जानवरों के सिवा इन्सान नहीं आये थे। इन्सान भी थे और जानवर भी थे।

सरदार अ० सिं० सहगल : वहां पर जिस वक्त तानसेन ने गाया तो उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से पशु पक्षी वहां जमा हो गये। तो उन्होंने अपने गले का हार उतार कर एक हिरन के गले में डाल दिया और गाना खत्म होने के बाद वह हिरन चला गया। तब बैजू बावरा से कहा गया कि तुम इसका उतार गाओ और हार वापस मंगाओ। बैजू बावरा ने गाना शुरू किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से पशु पक्षी आये, और उनके साथ वह मृग भी आया जिसके गले में माला थी। बैजू बावरा ने उसके गले से माला निकाल कर तानसेन के ऊपर फैंक दी। तो हमारे यहां ऐसी चीजें थीं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि अगर विरहणी के कलेजे से कोई दिया लगा दिया जाये तो वह जल उठता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे राग रागिनियां कहां गयीं। आप उनका कितना प्रसार कर रहे हैं। उनकी कितनी खोज कर रहे हैं। हो सकता है कि आज साइंस के जमाने में लोग इस चीज को न मानें, लेकिन मेरा तो इस में विश्वास है कि ये सब चीजें सही हैं और अभी भी जीवित हो सकती हैं। आप देखेंगे कि हमारे यहां गानें वालों ने ऐसे राग गाये हैं कि अगर शाम के वक्त उन्होंने वह राग गाया तो चिराग जलने लगे। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : संगीत नाटक अकादमी सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन नहीं है, जिसके बारे में माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

†**सरदार अ० सिंह० सहगल:** यह संगीत नाटक अकादमी का कर्त्तव्य नहीं, अपितु सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का कर्त्तव्य है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य किसी नाटक के बारे में बोल रहे हैं जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की गतिविधि में सम्मिलित है।

सरदार अ० सिं० सहगल : अब मैं फोक म्यूजिक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो कि हमारे संगीत के प्रोग्राम के साथ प्रसारित किया जाता है। उसको जो वक्त दिया जाता है वह बहुत थोड़ा होता है। और आज ज्यादातर मध्य प्रदेश और राजस्थान के ही फोक म्यूजिक को लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ आप आसाम, उड़ीसा और बिहार की चीजों को भी इसमें शामिल कर के आगे बढ़ायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि आल इंडिया रेडियो का विविध भारतीय प्रोग्राम जो कि तीन साल से प्रसारित किया जा रहा है बहुत लोकप्रिय हो रहा है। यह खुशी की बात है कि जनवरी १९५९ तक हमें इसकी प्रशंसा के १९ हजार पत्र मिले, जिनकी संख्या नवम्बर, १९५९ तक करीब ३५ हजार हो गयी है। इससे पता चलता है कि यह प्रोग्राम कितना लोकप्रिय है और लोग इसको कितने गौर से सुनते हैं।

जहां तक नेशनल प्रोग्राम का ताल्लुक है, रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है —"देश की भाषा सम्बन्धी एकता को बढ़ाने, और इसका भावात्मिक समन्वय करने के लिये प्रयत्न जारी रहे हैं। आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम इस दृष्टि से आयोजित किये जाते हैं कि देश के एक भाग के साहित्य का परिचय दूसरे भागों की जनता को दिया जाये।" इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, उस को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि इस देश की प्रान्तीय भाषाओं को अधिक प्रोत्साहन दिया जाये और अधिक वक्त दिया जाये, ताकि उन का अधिक प्रसार हो सके। यह बहुत जरूरी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब में पंजाबी को जो वक्त दिया जाता है, वह बहुत ही कम है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस तरफ भी ध्यान दें।

देहाती प्रोग्राम २७ स्टेशनों से ब्राडकास्ट किया जाता है और हर रोज करीब ६० से ६५ मिनट तक यह प्रोग्राम होता है। यह प्रोग्राम रिजनल भाषाओं में होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वहां की डायलेक्ट्स में भी यह प्रोग्राम होना चाहिये। माननीय मंत्री खुद ही बतायें कि छत्तीसगढ़ की डायलेक्ट में कितना प्रोग्राम दिया जाता है। उन को मालूम है कि जितना दिया जाना चाहिये और जितना उस का प्रसार होना चाहिये, वह नहीं होता। इसलिये छत्तीसगढ़ के लोगों की मांग है कि वहां कम से कम एक छोटा स्टेशन जरूर होना चाहिये, ऐसी मेरी धारणा है। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय इस मांग को मन्जूर करें या न करें। हो सकता है कि हमारे जो हालात हैं, उन को देखते हुए वह ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन वह अपने दिमाग में इसको रखें कि छत्तीसगढ़ में एक स्टेशन कायम करना है।

आज कम्यूनिटी लिसनिंग स्कीम के अन्तर्गत ग्रामों में १,७० हजार रेडियो सैट हैं और लगभग ५९ हजार ऐसे हैं, जिन के लिये पचास सैंकड़ा कीमत सरकार देती है और स्टेट गवर्नमेंट और देहात के विकास खंड पचास पचास परसेंट हिस्सा देते हैं। आप देखें कि हमारा जो इतना बड़ा देश है, उस में हम ने इस योजना के अन्तर्गत कितना फायदा उठाया है और लोगों को कितना फायदा हुआ है। इस सम्बन्ध में जितने रेडियो हैं, उनकी संख्या को बड़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं मिलता है। इसलिये इस बारे में कोई न कोई तजवीज निकालनी पड़ेगी।

जहां तक रेडियो लाइसेंस का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि एक रेडियो-सैट के लिये पन्द्रह रुपये फीस ली जाती है और अगर उसी एरिया में, उसी मकान में कोई दूसरा सैट रखा जाये, तो उस के लिये तीन रुपये फीस ली जाती है। १९५९ में करीब करीब १६,८४,३७८ विभिन्न रेडियो लाइसेन्स दिये गये हैं। जो रेडियो १२० रुपये से कम कीमत का है, उस की फीस साढ़े सात रुपये ली जाती है, लेकिन अगर उसी एरिया में, उसी जगह में दूसरा सैट रखा जाये, तो उस की फीस ढाई रुपया ली जाती है। आज स्थिति यह है कि एक व्यक्ति को १२० रुपये के रेडियो सैट पर साढ़े सात रुपये साल की फीस देनी पड़ेगी। क्या माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार नहीं कर सकते कि इसको कम किया जाये ?

[सरदार अ० सिं० सहगल]

अब मैं फील्ड पब्लिसिटी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अप्रैल से दिसम्बर, १९५९ तक मोबाइल यूनिट्स ने ११,५६० जगहों पर काम किया, १२,३६६ फिल्म शो दिखाए गए और १५,४५७ सभायें की गईं तथा ४०९ ड्रामे खेले गए। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इससे देहात के लोगों को जितना लाभ पहुंचना चाहिए, उतना लाभ उनको पहुंचाने की हमको और ज्यादा कोशिश करके दिखलानी चाहिए। बेशक १.२७ करोड़ लोगों को इससे फायदा पहुंचा है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें कि हिन्दुस्तान की मर्दुमशुमारी क्या है और जो काम हम कर रहे हैं, वह उसके लिए पर्याप्त है या नहीं और अगर वह समझते हैं कि वह थोड़ा है, तो उसको और अधिक बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

बहुत सी पुस्तकों का भी प्रचार किया गया है। पुस्तकों की बिक्री से १४,४५९ रुपए का फ़ायदा हुआ है।

हिन्दी टैलीप्रिंटर चैनल ने दिल्ली और जयपुर के बीच अप्रैल, १९५९ से काम करना शुरू कर दिया और जयपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना में जो ब्रांच आफिसिज़ हैं, उनके साथ भी हिन्दी टैलीप्रिंटर लिंक कायम कर दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी भोपाल है, इसको लागू करने पर माननीय मंत्री विचार करें। जितने हिन्दी क्षेत्र हैं, उनमें इसका प्रसार किया जाना चाहिए।

टैलोविज़न सर्विस दिल्ली के आस पास बीस जगहों पर विकास खंडों में शुरू की गई है। इसके लिए अनुदान यूनेस्को दे रहा है। इससे शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया जायगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां जहां शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा नहीं है, वहां पर टेलीविज़न सर्विस लागू करने की व्यवस्था की जाए और यूनेस्को को इस बात की सलाह दी जाये कि वह इसको बढ़ावा दे।

मंत्रालय ने जो काम किया है और उसके अफ़सरों ने काम के प्रसार के लिये जो सराहनीय काम किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हुआ उनको धन्यवाद देता हूं। जो सुझाव मैंने यहां पर रखे हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उन पर कृपया गौर करेंगे।

†**श्री मोहम्मद इलियास** (हावड़ा) : प्रति वर्ष यह मंत्रालय करोड़ों रुपयों की मांग करता है, और इसके अधीन देश की जनता तक संदेश पहुंचाने के अनेक साधन हैं, परन्तु इसका काम सन्तोषजनक नहीं है।

आकाशवाणी सत्तारूढ़ कांग्रेस दल की नीति का प्रचार करने में ही लगा हुआ है। पिछले दिनों प्रधान मंत्री ने मुस्लिम लीग के घोषणापत्र का खण्डन किया, जिसका आकाशवाणी में कोई जिक्र नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस ने केरल में मुस्लिम लीग से गठजोड़ कर रखा था। रेडियो में सब राजनैतिक नेताओं के भाषणों का उल्लेख होना चाहिये, चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी दल से क्यों न हो। रेडियो कार्यक्रमों में केवल उन्हीं कलाकारों को अवसर दिया जाता है जो मंत्रालय के पिट्ठू हैं और प्रसिद्ध लेखकों व विद्वानों को अवहेलना की जाती है। श्री तीवानांदुम जो तामिल साहित्य के प्रगाढ़ पंडित हैं, उन्हें कम्युनिस्ट होने के कारण रेडियो पर वार्तालाप का अवसर नहीं दिया जाता। इसी प्रकार बंगाल की प्रसिद्ध गायिका श्रीमती सुचित्रा मित्रा को अवसर नहीं देते क्योंकि उसके विचार प्रगतिशील हैं और साम्यवाद की ओर झुकाव रखते हैं। श्री रंजन राय जो अच्छे प्रविधिक हैं, उनको इस कारण नौकरी से हटा दिया गया कि उनके पिता कम्युनिस्ट हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य आरोपों द्वारा उनकी ओर से अभ्यावेदन पेश कर रहे हैं जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहम्मद इलियास** : मैं अभ्यावेदन पेश नहीं कर रहा। मेरे पास उदाहरण तो और भी बहुत हैं। मैं माननीय मंत्री से इसकी जांच करने की प्रार्थना करता हूं और चाहता हूं कि सब प्रसिद्ध कलाकारों को कार्यक्रम में अवसर दिया जाए।

सूचना सेवा का कार्य भी सन्तोषजनक नहीं। केन्द्रीय सूचना सेवा द्वारा प्रकाशित "मार्च आफ टाइम" पत्रिका लोगों को न तो पसन्द ही आती है और न उन तक पहुंचती है। हमारे लेखकों को इनमें लिखने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। सूचना सेवा केवल कांग्रेस दल की सूचनाएं ही प्रकाशित करता है और विरोधी दलों की सूचनाओं की परवा नहीं करता। मैं चाहता हूं सब दलों की गतिविधियों का इस सेवा द्वारा प्रचार किया जाना चाहिये। श्री पी० एन० खोसला के एक पत्र से यह बात सिद्ध होती है जिसमें उन्हें कांग्रेस के बंगलौर सैशन के संकल्पों का संक्षेप प्रसारित करने के लिये कहा गया था। रेडियो या सूचना सेवा कांग्रेस की सम्पति न हो कर सरकार की सम्पत्ति है। इसलिये मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिये और सब दलों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिये।

समाचारपत्रों आदि में विज्ञापन देने के कई नियम बनाये हुये हैं, परन्तु होता यह है कि विज्ञापन विभाग इन बातों की परवाह न करके भेदभाव की नीति अपनाता है। 'जन सेवक' और "थौट" आदि पत्र जिन्हें अधिक लोग नहीं पढ़ते, उन्हें सब विज्ञापन दिये जाते हैं। इसके विपरीत विरोधी दलों के ऐसे पत्रों को जो सब शर्तें पूरी करते हैं, विज्ञापन नहीं दिये जाते, उदाहरणार्थ देशाभिमानी, स्वाधीनता, विशाल आन्ध्र, जनशक्ति, जनयुगम और नवजीवन आदि, जिन्हें बहुत लोग पढ़ते हैं।

†**श्री अंसार हखानी** (फ़तेहपुर) : समाचारपत्रों की तरफ से सभा में बहस करना उचित नहीं।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : मैं तो भेदभाव की सरकारी नीति की आलोचना कर रहा हूं। विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशक ने एक सूची गुप्त रूप से प्रसारित की है कि अमुक पत्रों को कोई विज्ञापन न दिये जाएं। मैं वह सूची दिखा सकता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका अर्थ है माननीय सदस्य के पास गुप्त बातें मालूम करने का साधन है।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : जब कांग्रेस के पास गुप्त सेवा है तो साम्यवादी दल के पास क्यों न हो। प्रचार विभाग के कर्मचारियों के साथ बड़ा अन्याय होता है। उन्हें बहुत देर तक अस्थायी रखा जाता है। वे स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। अभी मंत्रालय ने जो नये ग्रेड बनाये हैं उनमें बहुत से कर्मचारियों को जिनकी दस वर्ष की नौकरी थी, पद में नीचे कर दिया गया है ताकि वे अपने आदमियों को लाभ पहुंचा सकें। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात की जांच करें।

मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि किस प्रकार भर्ती की गई और लोगों का विशेष पक्षपात किया गया। एक फोटोग्राफर को, जो पत्रकार नहीं था, पत्रकार के रूप में १००० रुपये मासिक के वेतन पर नियुक्त किया गया। प्रकाशन का उपनिदेशक बम्बई के एक व्यापारी के दफ्तर से दो वर्ष

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोहम्मद इलियास]

पूर्वक १००० रुपये मासिक पर नियुक्त किया गया। संभव है वह ग्रैजुएट भी न हो। इस पद का विज्ञापन भी नहीं दिया गया। अब उसे और उन्नति दे दी गई है। समझ में नहीं आता सेवा आयोग के बिना यह कैसे कर लिया जाता है। मंत्री महोदय कर्मचारियों के प्रति किये गये इस प्रकार के अन्यायों की जांच करें।

चलचित्र उद्योग ३१० चित्र वार्षिक बना कर ३० करोड़ रुपये कमाता है और १० करोड़ रुपये राज्य सरकारों को मनोरंजन कर के रूप में देता है। हालांकि इस उद्योग का देश की अधिकांश जनता से सम्पर्क है, परन्तु सरकार ने इसके विकास के लिये कोई उचित नीति नहीं बनाई है।

हाल में लगाये गये कर से प्रादेशिक चित्रों को बड़ी हानि होगी। विभाजन के कारण बंगाली चलचित्रों की ४० प्रतिशत मार्केट समाप्त हो गई है और इस कर से वह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। प्रादेशिक भाषाओं में चलचित्र बहुत बढ़िया होते हैं और इन्हें पारितोषिक भी प्राप्त होते रहते हैं। श्री सत्यजीत राय को कई पारितोषिक मिले हैं। संसार में हमारे चलचित्रों की कदर हो रही है। परन्तु तीसरी योजना में भी इस उद्योग को कोई स्थान नहीं दिया गया। सरकार को इस उद्योग के विकास के लिये उचित नीति अपनानी चाहिये।

हमारे यहां कच्ची फिल्में तैयार नहीं की जातीं। इसलिये दक्षिण में जो कारखाने खोलने का विचार है, उसमें शीघ्रता करनी चाहिये जहां अच्छी फिल्में तैयार की जाएं। कच्ची फिल्में मंगवाने से सरकार को काफी हानि होती है।

इस उद्योग में हजारों कर्मचारी और प्रविधिक काम करते हैं, जिनकी सेवा की शर्तों के लिये कोई उचित विधान नहीं है। इस कारण चोटी के लोग खूब रुपया कमाते हैं और दूसरे लोगों को जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता। मंत्रालय को इस का विचार करना चाहिये। मंत्रालय और उत्पादकों के बीच कुछ समन्वय होना चाहिये और मंत्रालय को पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये।

नाटकों के सम्बन्ध में अभी भी पुराने अंग्रेजी नियम लागू हैं। नाटक तब खेला जा सकता है जब पुलिस अधिकारी उसका अनुमोदन दें, अन्यथा नहीं। मंत्री जी ने इस कठिनाई को दूर करने का आश्वासन दिया था। परन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

†**डा० केसकर** : इसके बारे में गृह-कार्य मंत्रालय के साथ विचार किया जाएगा। यह इस मंत्रालय के अधीन नहीं। फिर यह राज्य का विषय भी है।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : मुझे नहीं मालूम। आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि प्रादेशिक भाषाओं के फ़िल्म उद्योग को नष्ट न होने दिया जाये। माननीय मंत्री को चाहिये कि फ़िल्म उद्योग पर लगाये गये कर को वापस ले लिये जाने के लिये सरकार पर ज़ोर डालें।

†**श्री अंसार हरवानी** (फतेहपुर) : हालांकि सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के अधीन रेडियो, टेलीविज़न, प्रैस और फ़िल्म आदि सब साधन उपलब्ध हैं, फिर भी यह वास्तव में सूचना मंत्रालय न हो कर, दोहरेपन का मंत्रालय बन कर रह गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जो कार्रवाइयां यह मंत्रालय करता है वे अधिकांशतः दूसरे मंत्रालयों द्वारा की जाती हैं। जैसे प्रकाशन विभाग इस मंत्रालय में है वैसे भी कई दूसरे मंत्रालयों में भी। प्रैस सूचना ब्यूरो जैसा यहां है, वैदेशिक कार्य मंत्रालय में भी वैसा ही ब्यूरो है जो प्रायः ऐसा ही कार्य करता है। इस दोहरे कार्य से सरकारी रुपया बर्बाद होता है। माननीय मंत्री को मंत्रिमण्डल को समझा कर इन सब कार्यों का समन्वय करना चाहिये ताकि देश में आधुनिकतम और कुशल सूचना तथा प्रसारण व्यवस्था कायम हो।

प्रेस सूचना विभाग के बारे में कुछ कहूंगा। सभा के प्रश्नों के घण्टे के अतिरिक्त, प्रधान मंत्री के मासिक प्रेस सम्मेलन की ओर प्रेस वालों का अधिक ध्यान रहता है, जहां वे सब प्रकार की और सब पहलुओं की सूचना प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सूचना तथा प्रसारण मंत्री और प्रेस वालों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये। यह चिन्ता का विषय है कि किसी विषय में सूचना लेने के लिये प्रेस वालों को सम्बद्ध मंत्रियों के पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि मुझे प्रेस वालों से पता चला है कि अन्य मंत्रियों की अपेक्षा सूचना मंत्री से मिलना उनके लिये कठिन है। अतः मैं कहूंगा कि उनका प्रेस वालों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहना चाहिये।

प्रेस सूचना विभाग जब स्थापित हुआ, इसके अधिकारियों को देश के प्रतिष्ठित समाचारपत्रों में दिये गये वेतनों के अनुसार वेतन दिये गये। परन्तु इस समय इस ब्यूरो की यह हालत है कि कुछ संवाददाता ब्यूरो में कुछ बातचीत करते हैं। वहां से इश्तहार इकट्ठे करते हैं। यदि उन्हें किसी बात का स्पष्टीकरण करना होता है तो उत्तर यह मिलता है कि यह नीति का मामला है और उसे अगले अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। पुरानी नौकरशाही व्यवस्था में यह ठीक हो सकता था, परन्तु अब नहीं। ये अधिकारी प्रेस के लिये हैं और इन्हें मंत्रालय का विश्वास मिलना चाहिये ताकि वे प्रेस का विश्वास संपादन कर सकें। उन्हें अपनी परियोजनाओं और कार्यक्रमों का पूर्णज्ञान होना चाहिये, जिनका वे समाचारपत्रों में प्रचार करना चाहते हैं।

निस्सन्देह प्रकाशन विभाग ने कुछ प्रकाशन निकाले हैं और कुछ उपयोगी काम किया है। माननीय मंत्री ने इसकी देश के बड़े प्रकाशन-ग्रहों से तुलना की है, परन्तु प्रकाशन-ग्रहों की ख्याति अच्छी नहीं है, अतः उनसे तुलना करना कोई सराहना गी बात नहीं। हमारे बड़े २ लेखक विदेशी प्रकाशनों में अपनी पुस्तकें छपवाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारा प्रकाशन विभाग विदेशी प्रकाशन विभागों के मुकाबले में हो। यह विभाग मार्च और टाइम प्रकाशित करता है जिसका परिचालन बहुत कम होता है। सार्वजनिक स्थानों पर 'सोवियत लैंड', 'चाइना टुडे' आदि होते हैं, मगर यह पत्रिका नहीं होती। बुक स्टालों पर रूसी, चीनी और अमेरीकी पुस्तकें होती हैं किन्तु हमारी सरकार के प्रकाशन बहुत कम होते हैं। इसमें या तो विक्रय अभिकरण का दोष है या प्रकाशन विभाग का। माननीय मंत्री को इस की जांच करनी चाहिये।

फिल्म विभाग ने बहुत काम किया है। कुछ अच्छे वृत्त चित्र बनाये गये हैं जो विदेशी वृत्त चित्रों के मुकाबले के हैं। मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। परन्तु मैं यह कहूंगा कि फिल्म उद्योग की बिल्कुल उपेक्षा की जा रही है। मैं अनैतिकता का प्रचार करने वाली फिल्मों के पक्ष में नहीं, परन्तु अच्छे उद्देश्यों वाले निर्माता अच्छे चित्र बनाते हैं और सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें कुछ प्रोत्साहन दे। कुछ निर्माताओं, कलाकारों और निदेशकों को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

†**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू तथा काश्मीर) : मंत्रालय से इन पुरस्कारों का कोई सम्बन्ध नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अंसार हरवानी:** मंत्रालय भी उन्हें देता है। फिल्म वित्त निगम और फिल्म संस्था के निर्माण के बारे में वर्षों से कहा जा रहा है किन्तु कुछ भी नहीं किया गया। प्रोत्साहन देने के बजाए उन पर कई कर लगा दिये गये हैं। इस कर से फिल्म उद्योग को बड़ी हानि होगी।

प्रतिवेदन में फिल्मों की निर्यात वृद्धि के बारे में कहा गया है परन्तु मैं समझता हूं मंत्रालय ने इस दिशा में बहुत कम काम किया है। अमेरीका से ३०० फिल्में प्रति वर्ष आती हैं जिनमें से कुछ एक ने हमारे सामाजिक और मानसिक स्तर को गिरा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को विदेशों से करार करना चाहिये कि उतनी ही फिल्मों का आयात किया जाएगा जितनी वे हमारी फिल्मों का आयात करेंगे। अन्यथा हमें अपना रुपया उन पर बर्बाद नहीं करना चाहिये। कुछ लोग अपनी फिल्मों को अच्छा नहीं कहते परन्तु ऐसी बात नहीं। कुछ फिल्में संसार की बेहतरीन फिल्मों का मुकाबला करती हैं। वें फिल्में विदेशों में अवश्य भेजी जानी चाहियें। माननीय मंत्री इसे ध्यान में रखें।

मुझे प्रसन्नता है कि रेडियो में कुछ बुद्धिमत्ता से काम लिया जाने लगा है। कुछ समय पहले वे जनता पर शास्त्रीय संगीत थोपने का प्रयत्न कर रहे थे। अब विविध भारती और लोकप्रिय संगीत लाकर ठीक किया गया है। दिल्ली में समझी जाने वाली भाषा को अधिक समय दिया गया है। समाचार दर्शन में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये जो अधिक लोगों की समझ में आ सके। वहां जिस हिन्दी का प्रयोग किया जाता है उसे सब लोग समझ नहीं सकते।

विज्ञापन के लिये बड़ी संस्था बनाई गई है जिसमें सब प्रकार के कर्मचारी हैं। फिर भी हम विज्ञापन समवायों की सेवाओं का उपयोग करते हैं। वे हमारे बिल ही तो इकट्ठे करते हैं जिसके लिये हमें उन्हें १५ प्रतिशत देना पड़ता है। मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय इसको ध्यान में रखेंगे और विज्ञापन नीति में पूर्णतया शोधन करेंगे। हमें विज्ञापन समवायों से काम नहीं लेना चाहिये जब कि हमारे पास अपना संगठन है। इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रालय ने सारे समय में जो किया है वह सामान्य रूप में स्वीकार किया जाता है। निस्संदेह रेडियो, अपनी रचनाओं और चलचित्रों द्वारा, जिन पर मंत्रालय का नियन्त्रण है, मंत्रालय का जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क है। अतः अपनी ही बात रखना मंत्री जी के लिये सरल कार्य नहीं है। जन साधारण की प्रतिक्रियानुकूल उन्हें अपनी रुचि व दृष्टिकोण बनाना होगा। चलचित्रों के स्तर, शिक्षा स्तर और विभिन्न अन्य स्तरों का प्रश्न है। हमारे उद्देश्य और आपत्तियां हैं। इतने पर भी उन्होंने उच्च स्तर रखा है। परन्तु इस सब का कुछ श्रेय इस महान सदन को भी हो सकता है क्योंकि यह प्रश्नों, वाद विवादों और अन्य बातों से मंत्रालय की कार्यवाही की जानकारी रखता है।

उदाहरणार्थ, कभी कभी सुझाव दिया जाता है कि आकाशवाणी स्वायत्तशासी निकाय होना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री आकाशवाणी को स्वायत्तशासी नहीं बनने देंगे। यदि आकाशवाणी स्वायत्तशासी निकाय बनाया जाता है तो उस पर संसद् का नियंत्रण न रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यह मंत्री जी के अधीन और अनुदानों की मांगों के द्वारा संसद् के अधीन रहे।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक दिन प्रश्नों का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि विभिन्न वैधिक कठिनाइयों के कारण वह पूर्व-दोषवेचना प्राप्त करने में असमर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है कि चलचित्र निर्माता द्वि दोषवेचना पसन्द नहीं करते और माननीय मंत्री अन्तिम दोषवेचना का अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। आशा है कि मंत्री महोदय चलचित्र निर्माताओं के साथ इसका फैसला करेंगे ताकि पूर्व-दोषवेचना होने लगे। इससे चलचित्र उद्योग को पर्याप्त लाभ होगा और अनेक बुरे चलचित्र अप्रचलित हो जाएंगे।

शिक्षा सम्बन्धी प्रसारण पहिले की अपेक्षा लगभग तीन गुने हो गये हैं। और यह बड़ी खुशी की बात है। स्कूलों के लिए प्रसारणों के अतिरिक्त उनमें विश्वविद्यालयों को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि प्रकाशन विभाग में विक्रय से आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

समाचार वृत्त चित्र आदि बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। चलती फिरती प्रदर्शनियां भी बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। मेरा मत है कि विभिन्न राज्यों में योजना प्रदर्शनियों का विद्यमान प्रबन्ध पर्याप्त नहीं है। विरोधी पक्ष का भी कहना है कि सामान्य प्रवृति यह प्रतीत होती है कि उन प्रदर्शनियों की पुष्टि की जाये जिनमें प्रतिष्ठित व्यक्ति जाते हैं या जिनका उद्घाटन प्रतिष्ठित व्यक्ति करते हैं, एवं अन्य प्रदर्शनियों की उपेक्षा की जाये। मुझे आशा है कि यह रवैया चालू नहीं रहेगा। साधारण प्रदर्शनियों, जन समारोहों तथा अन्य छोटे उत्सवों की भी पुष्टि की जानी चाहिये। वर्तमान साहित्य और संगीत की मंत्रालय ने जो सेवा की है उसे अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। परन्तु यदि मंत्रालय अनेक कलाकारों तथा लेखकों को समय पर सहायता न देता तो साहित्य व संगीत का विकास रुक जाता। मैंने देखा है कि रेडियो ड्रामे बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और बच्चे उन्हें बहुत ही रुचिपूर्वक सुनते हैं। परन्तु उनका समय उचित नहीं है क्योंकि वे रात्रि के ९ बजे से ११ बजे तक प्रसारित होते हैं जो कि बच्चों के सोने का समय है। मुझे आशा है कि प्राधिकारी प्रसारण के इस समय में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ संगीतज्ञों का प्रोग्राम ७.३० बजे आरम्भ होने के स्थान पर ८ बजे आरम्भ हो कर ९.३० बजे तक चल सकता है। साधारणतया इस प्रोग्राम को बड़े आदमी सुनते हैं?

शिकायत की गई है कि वर्तमान आय-व्ययक में चलचित्र उद्योग पर कुछ उत्पादन शुल्क लगा दिया गया है। प्रत्यक्ष है कि सरकार के राजस्व विभाग में व्यय-मंत्री की बात अधिक नहीं चल सकती। फिर भी, मुझे आशा है कि वह शिक्षा सम्बन्धी चलचित्रों तथा बाल चलचित्रों पर यह उत्पादन-शुल्क नहीं लगने देंगे। यदि वह यहां वित्त विधेयक प्रस्तुत होने के पूर्व वित्त मंत्री को इस बात पर सहमत कर सकें तो अभीष्ठ चलचित्रों के मामले में कुछ छूट रहेगी।

निस्संदेह मंत्रालय भावात्मक समन्वय का कार्य पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। रेडियो तथा समाचार चित्र सुनने व देखने वालों को सारे देश के बारे में बताते हैं। इसके अतिरिक्त समाचार चित्र आलोचकों और रेडियो आलोचकों ने आश्चर्यजनिक कार्य किया है। ऐसे लोगों की कला के विकास में और ऐसी प्रवृतियों के बढ़ने में सहायता देने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

†**श्री महागांवकर** (कोल्हापुर): १९५७ में मैंने सुझाव दिया था फिल्म उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिये विधान बनाया जाये और स्टूडियो का राष्ट्रीयकरण करके गैर-सरकारी निर्माताओं को फिल्म बनाने दिया जाये। मैं अभी तक नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने क्या कार्यवाही की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महागांवकर]

फिल्म उद्योग भारत का और संसार का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है । इस में ६०,००० से अधिक व्यक्ति लगे हैं और यह २० करोड़ रु० राजस्व के रूप में देता है । धन प्राप्ति के लिये वित्त मंत्री ने फिल्म उद्योग पर कर लगाया है जिससे शीघ्र ही इस उद्योग का, विशेष कर मराठी और बंगाली के जैसे प्रादेशिक फिल्म उद्योग का, शीघ्र ही पतन हो जायेगा । अनेक सदस्यों ने कहा है कि जन साधारण की औसत पसन्द की अपेक्षा फिल्मों की उत्पादन-लागत काफी कम होती है, परन्तु किसी ने भी यह नहीं बताया कि फिल्म उद्योग को कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं और एक फिल्म बनाने में लोगों को कितनी परेशानी होती है । टिकटों के कुल विक्रय का ३० प्रतिशत मनोरंजन कर के रूप में राज्य सरकार को, ५० प्रतिशत सिनेमा हाल के मालिकों को और शेष का ५० प्रतिशत वितरक को चला जाता है । कुछ लोगों का विचार है कि इस उद्योग में निर्माता को अत्यधिक लाभ होता है । परन्तु वास्तविकता यह है कि कुछ को छोड़ कर शेष निर्माता वितरक तथा ऋणदाता की कृपा के पात्र होते हैं । ऋणदाता ६० प्रतिशत से अधिक ब्याज लेते हैं । इस प्रकार फिल्म का निर्माण करने में केवल निर्माता को ही नहीं अपितु उसके साथ काम करने वालों को भी जुए की बाज़ी लगानी पड़ती है । अतः पिछली बार मैंने सुझाव दिया था कि इस उद्योग में काम करने वालों के लिये गारन्टी सुनिश्चित करने के लिये उचित कार्यवाही की जाये ।

इस नये कराधान के कारण एक मराठी या बंगला फिल्म का मूल्य २०,००० रु० या ३०,००० रु० बढ़ जायेगा । मराठी फिल्म उद्योग तो पहिले से गिरी हालत में है क्यों कि प्रादेशिक भाषा के चित्रों की बहुत कम मांग है । महाराष्ट्र में मि० शान्ता राम के अतिरिक्त मराठी फिल्मों के अन्य निर्माता खतरे में हैं । व नहीं जानते कि धन कहां से प्राप्त करें । बंगाल चलचित्र संस्था का मत है कि एक भारतीय फिल्म १३,००० से १६,००० फीट तक लम्बी होती है । निर्माता प्रदर्शन के लिये ५ से १०० तक प्रतियां लेता है । इस आधार पर गणना करने से नये कराधान के कारण फिल्म का वर्तमान मूल्य १० से २० प्रतिशत तक बढ़ जायेगा । इस की पूर्ति के लिये निर्माता की आय बढ़े हुए व्यय की पांच गुनी अधिक होनी चाहिये जो विद्यमान परिस्थितियों में असम्भव है । अतः नये कराधान का परिणाम यह होगा कि निर्माता फिल्म न बना सकेगा और हजारों व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे और सरकार भी वह राजस्व प्राप्त न कर सकगी जो वह नया कर लगा कर प्राप्त करना चाहती है ।

सरकार इस उद्योग की अनेक बातों पर ध्यान नहीं देती । पहिले की भान्ति ही मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस उद्योग में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिये कोई विधान बनाये विशेषकर इस कारण कि उनकी सेवाओं की कोई गारन्टी नहीं होती तथा उनकी आय नियमित नहीं होती । इसके अतिरिक्त उच्च कोटि के अभिनेता तथा अभिनेत्रियां हैं जो एक चित्र में काम करने के लिये ५ लाख या ६ लाख रु० मांगते हैं । इस से भी चित्र का मल्य बढ़ जाता है । यह राशि चोरी से ली जाती है क्यों कि करार पर हस्ताक्षर करते समय केवल ५०,००० रु० का उल्लेख किया जाता है । मैं जानता हूं कि इस उद्योग में चोर-बाजार समाप्त करना सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिये बहुत कठिन है । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह जरूरतमंद मध्यम श्रेणी के सारे निर्माताओं और नये कलाकारों के लिये वित्त की व्यवस्था का अपना प्राचीन विचार पूरा करें । ऐसा होने से उत्तम चित्र बन सकेंगे । इन उत्पादन-शुल्कों, आदि से देश जनसाधारण को उपलब्ध यह थोड़ा मनोरंजन भी समाप्त हो जायेगा ।

मैं मानता हूं कि आपने चित्रों की दोषवेचना के ऐसे छः व्यक्तियों की समिति बनाई है जिन्हें इस उद्योग की जानकारी है । इस पर भी मैं देखता हूं कि दोषवेचक बोर्ड का कार्य सन्तोषजनक नहीं है । फिर, मैं फिल्म डिवीजन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । आप इतनी सुविधायें, इतनी

टेक्निकल सहायता उपलब्ध होने पर उत्तम वृत्त चित्र बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपका उनका उत्पादन-व्यय क्या है। मैंने सुना है कि फिल्म डिवीजन हाल में प्रशासक और उत्पादक भागों में विभक्त हो गया है और इस विभाजन से उन्हें बड़ीकठिनाई होती है। आपने इस प्रतिवेदन में बताया है कि आपने कितने वृत्त चित्र बनाये हैं परन्तु यह नहीं बताया है प्रत्येक वृत्त चित्र पर कितना व्यय हुआ है। वाणिज्यिक फर्म की भान्ति सरकार को भी प्रति चित्र का उत्पादन व्यय बताना चाहिये ताकि ताकि हम यह जान सकें कि सरकार द्वारा किये गये व्यय पर हमें कितना लाभ होता है।

एक बार सरकार ने अधिकारी नियुक्त किये और उन्हें स्टूडियो में फिल्मों के बारे में जानने के लिये भेजा। ये लोग गये और अप्रकाशित फिल्म को नाप डाला और वह फिल्म बेकार हो गई। ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें। इन प्रशासकों को फिल्मों की प्रविधि तथा महत्व के बारे में कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिये। फिर, कहा गया था कि फिल्म में गीत औसत दर्जे के भी नहीं हैं। उद्योग के कलाकारों के प्रति औसत सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिये। कुछ लोग कलाकारों को औसत व्यक्ति या राजनीतिक से नीचा समझते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस धारणा का क्या कारण है। मैं जानता हूं कि फिल्मों में कुछ दोष हैं। हमारे चित्रों के गानों में कुछ पश्चिमी तरजें मिलाई जाती हैं। परन्तु निर्माता को चित्र बनाने में मांग का ध्यान रखना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि उसे अपनी लागत प्राप्त हो जाये। जब तक सरकार उद्योग को संरक्षण न दे तब तक निर्माता इस में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी कारण मैं अनुरोध करता हूं कि नई उत्पादन शुल्क न लगाई जाये, विशेषकर छोटे निर्माताओं पर। इस के साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि थियेटर प्रबन्ध और थियेटर कर्मचारियों सम्बन्धी विधान के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाये।

मुझे खेद है कि १९५८-५९ में किसी भी बाल चल-चित्र को इनाम नहीं दिया गया। मैं नहीं जानता कि इस इनाम में और 'फिल्म फेयर' के इनाम में इतना अन्तर क्यों है। इस मामले में माननीय मंत्री को जनरुचि का भी ध्यान रखना चाहिये।

अन्त में मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र कोल्हापुर के व्यक्तियों की ओर से यह कहना चाहता हूं कि आप वहां एक रेडियो स्टेशन बनाने का प्रयत्न करें। यह उन लोगों की एक पुरानी मांग है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष जी, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय की अनुदानों के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है, उस के सम्बन्ध में मैं दो तीन आवश्यक सुझाव और कुछ शिकायतें अपने संक्षिप्त वक्तव्य में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पहली चर्चा तो वही जिस को हमारे मित्र ने बड़े विस्तार के साथ अभी कहा है कि हमारे देश का जो चलचित्र उद्योग है वह देश के नैतिक और सामाजिक विकास में इस समय सहायक न हो कर, धीरे धीरे पतन का कारण बनता जा रहा है। इस समय सारे देश में लगभग ४,००० सिनेमाघर हैं और २४ लाख के लगभग दर्शक प्रति दिन सिनेमा देखने के लिये जाते हैं। साल भर में उन की संख्या सब मिला कर ८० करोड़ से ऊपर बैठती है। गणितज्ञों ने औसतन चार घंटे का समय जोड़ कर बतलाया है कि २६ करोड़ लोगों का १२ घंटे के हिसाब से २६ करोड़ दिन का समय पूरा इस में बीत जाता है। आर्थिक दृष्टि से औसतन एक रुपया भी प्रति व्यक्ति के लिये खर्च होता हो तो ८० करोड़ रु० साल में इस के ऊपर व्यय होता है। चित्रों के उत्पादन तथा वितरण पर १० करोड़ रुपया और सिनेमाघरों के निर्माण का

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

आधुनिकतम खर्च ५० करोड़ के लगभग होता है । उत्पादन, वितरण और प्रदर्शन के काम पर ७५ हजार व्यक्ति के लगभग काम करते हैं। मैं ने यह आंकड़े इस दृष्टि से प्रस्तुत किये कि इस भारी व्यय के द्वारा विरासत में हमें क्या चीज मिलती है, इस की ओर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिये ।

हमारे देश की अपनी एक परम्परा है, हमारे देश का अपना एक सभ्यता सम्बन्धी वातावरण है । नारी का नग्न स्वरूप जो हमारे देश में धीरे धीरे विकसित होता चला जा रहा है, यह पश्चिम का अनुकरण हमारे देश के लिये हितकर नहीं हो सकेगा। अब से कुछ समय पहले उर्दू के एक अच्छे शायर अकबर ने जिस समय नारी ने देश में अपने वर्तमान स्वरूप को शायद आरम्भ ही किया होगा उस समय अपनी लेखनी से एक बात लिखते हुए कहा था :

"बेपर्दा नजर आईं जो कल चन्द बीवियां, अकबर हमाए कौमी से धरती में गड़ गया,
"बोला जो उन से आप का पर्दा कहां गया, बोलीं कि वह तो अक्ल पर मर्दों के पड़ गया ।"

मैं आप से यह बात इस दृष्टि से कह रहा हूं कि जिस समय देश में अकबर ने यह पंक्तियां लिखी होंगी, उस समय उन के मस्तिष्क में शायद नारी का इतना नग्न स्वरूप न हो । नारी का जो भारतीय रूप है वह उस के मातृत्व में सुरक्षित है, वह उसके भागनीत्व में सुरक्षित है, वह उस के पुत्रीपन में सुरक्षित है, उस का जो स्वभाविक रूप लज्जा और करुणा है, आज के इस चलचित्र उद्योग से धीरे धीरे वह अपने देश के वातावरण से समाप्त होता चला जा रहा है । मैं चाहता हूं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के कानों में इन शब्दों को डालते हुए कि वे इस बात का विचार करें। भारत के उस पुरानेपन का, जिस के अन्दर अपना स्वरूप और एक अपनापन सुरक्षित है और जिसे देखने के लिये दूसरे देशों से लोग लालायित हो कर यहां आते हैं, उस का किसी प्रकार से विकास हो ।

इस के साथ ही जहां मैं ने इस में दृश्य चीजों के सम्बन्ध में कहा, कुछ श्रव्य-बातों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। आज के चलचित्रों में जो गीत गाये जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जिन गीतों को गलियों में और सड़कों पर गुनगुनाते हुए फिरते हैं, उन के सम्बन्ध में मैं अपनी भाषा में न कह कर, देश के एक बहुत बड़े सन्त विनोबा भावे के शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूं। अभी हमारे सदन की माननीय सदस्या माता उमा नेहरू जी ने सीलोन के सम्बन्ध में चर्चा की । सीलोन के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सीलोन हिन्दुस्तान पर हावी होता चला जा रहा है । जिस भाव को ले कर उन्होंने यह शब्द कहे थे, मैंने बीच में अनधिकार चेष्टा की और माता जी को संकेत देते हुए यह कहा कि सीलोन रेडियो से जो गीत गाये जाते हैं उन का निर्माण तो भारत के अन्दर ही होता है । हम थोड़ा बहुत यह देखें, बजाय चोर को मारने के, कि वह चोर पैदा कहां से होता है । जिन गीतों में . . . .

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : चोर की मां को मारो ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं "मां" शब्द का जान बुझ कर उच्चारण नहीं कर रहा हूं। मैं कह यह रहा हूं कि अभी भी हम थोड़ा बहुत उस परम्परा के ऊपर ध्यान दें। आचार्य विनोबा भावे ने अभी पिछले दिनों चंडीगढ़ में इसी प्रकार के गन्दे गीतों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है, एक चेतावनी अपने राष्ट्र के नाम दी है और अपनी सरकार के नाम भी

दी है । आचार्य जी के शब्दों को मैं उन्हीं की भाषा में पढ़ कर आप को सुनाता हूं। मैं चहाता हूं कि हमारे सुचना और प्रसारण मंत्री तथा माननीय प्रधान मंत्री जी इन शब्दों को आचार्य विनोवा भावे के, गम्भीरता से सुनें और उन को देश में एक व्यावहारिक रूप देने का प्रयास करें। आचार्य जी ने अपने शब्दों में कहा है :—

"आज सरकार अपने आप को इतना पंगु और असहाय महसूस कर रही है कि वह सिनेमा के दृश्यों और गीतों द्वारा घर घर में और गली गली में फैलने को रोक नहीं सकती। जो संगीत मानव की कोमल भावनाओं के प्रकटीकरण और विकास का अन्यतम साधन है, उस संगीत का विकृत दुरुपयोग सिनेमा के भद्दे अश्लील और योनकामना को उतेजना देने वाले गीतों के जरिये किया जा रहा है ।"

उन्होंन आगे यह भी कहा :—

"मैं शहरों में जाने से बहुत डरता हूं, क्यों कि वहां रात्रि के प्रशान्त कार में भी मन को विकृत करने वाले गीतों के रिकार्ड लाउड स्पीकर पर गाये जाते हैं। उस हालत में न तो मैं सो सकता हूं और न कोई गहरा अध्ययन तथा चिन्तन हो कर सकता हूं। जन रुचि को विकृत करने वाले ये लोग अपने स्वार्थ के लिये और पैसा कमाने के लिये उन लोगों की सुविधा की निर्दयता से हत्या करते हैं जो शांत, सम्य और सुरुचिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं ।"

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मैं इस से बड़े और गहरे शब्द नहीं कह सकूंगा। मैं चाहता हूं कि सूचना एवं प्रसार मंत्री आचार्य विनोबा भावे के संकेत और चेतावनी को थोड़ा देखें और अपने देश का जो फिल्म्स् सेंसर बोर्ड है मेरा अपना नम्र निवेदन है जैसे अन्य मित्रों ने भी कहा यह हमारा फिल्म संसर वोर्ड आंख बन्द कर के अपना कार्य कर रहा है और फिल्मों की सेंसरिंग कर रहा है । आज हम देख रहे हैं कि देश में कुरूचिपूर्ण भद्दे और अश्लील चित्र सेंसर बोर्ड द्वारा पास किये जा रहे हैं और वे धड़ल्ले से प्रदर्शित हो रहे हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि कुछ चित्रों को तो सेंसर बोर्ड "यू" सेक्शन में सर्टिफिकेट देता है और वे चित्र सर्वसाधारण को दिखाये जा सकते हैं जब कि कुछ चित्रों को वह फौर एडल्ट्स "ए" कैटेगरी में प्रदर्शन के लिये रख देते हैं और वे चित्र केवल १८ वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को ही दिखाये जा सकते हैं। मैं अपने सूचना एवं प्रसारण मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जिन चित्रों को 'यू' का सर्टिफिकेट दिया जाता है उनका स्तर भी बहुत निम्न हो गया है जिस का कि कुप्रभाव हमारे देश के लाखों नौजवानों पर बड़ा विपरीत पड़ रहा है । मेरा मंत्री महोदय से बड़ी नम्रता के साथ निवेदन है कि उस फिल्म सेंसर बोर्ड का दुबारा फिर से निर्माण किया जाये क्योंकि वर्तमान सेंसर बोर्ड में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वे देश के सामाजिक और नैतिक स्तर में उत्थान करने के बाजय उसके पतन में ही धीरे धीरे सहायक होते चले जा रहे हैं।

दूसरी चीज मैं यह उपस्थित करना चाहता हूं कि मैं यह जानता हूं कि हमारे देश के माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और आकाशवाणी के महानिर्देशक श्री जगदीश चन्द्र माथुर हिन्दी के प्रति जो आत्मीयता है और उसके प्रति जो प्रेम भाव है उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अभी तक उन के मार्ग में ऐसी कौन सी कठिनाई है कि संविधान में यह स्वीकृत हो जाने के पश्चात कि सन् १९६५ में हिन्दी उस प्रतिष्ठापूर्ण पद पर पूरी तरह आसीन हो जायेगी, अभी तक आकाशवाणी जो कि अपने देश में प्रचार और प्रसार का सर्वोत्तम केन्द्र है वह क्यों इस उपेक्षा से कार्य कर रहा है ? इस के

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

लिये मैं आप को कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हमारे देश में विदेश के दो बड़े अतिथि आये, एक रूस के श्री ख्रुश्चेव और एक अमरीका के राष्ट्रपति श्री आइजनहोवर, अब इस से पहले जब हमारे देश में श्री ख्रुश्चेव और बुलगानिन आये थे तो उस समय आकाशवाणी की ओर से जो कमेंटरियां प्रसारित हुई थीं वह दोनों भाषाओं में हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित की गई थीं लेकिन इस बार वैसा नहीं किया गया। इस बार श्री ख्रुश्चेव और श्री आइजनहोवर के भारत आगमन को लेकर जो कमेंटरी प्रसारित की गई वह केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रसारित की गई। मुझे यह देख कर बड़ा कष्ट हुआ और मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया गया और हिन्दी की उपेक्षा क्यों की गई ? ऐसा करने का क्या कारण है जब कि आप यह जानते हैं कि आपके आकाशवाणी प्रोग्राम्स को सुनने वाले श्रोता अधिकांश हिन्दी जानने वाले हैं और वह हिन्दी में ही सुनना चाहते हैं ? ज्यों ज्यों संविधान में हिन्दी आने की बात है त्यों-त्यों उसके साथ में यह धीरे-धीरे उपेक्षा होती चली जा रही है।

हमारे शासन को कुछ व्यापारिक बुद्धि से सोचना चाहिए कि अपने देश में जो सामान्य चलचित्र निर्माण हो रहा है और जिसको कि एक बहुत बड़ा व्यापारी समाज आय का साधन मान कर तैयार कर रहा है उसमें अधिकांश चित्र भारतीय भाषाओं में हैं। ९९ प्रतिशत। हिन्दी के या अन्य भारतीय भाषाओं के हैं और १ प्रतिशत केवल अंग्रेजी के चित्र हैं लेकिन आज भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जो वृत्त चित्र तैयार किये जा रहे हैं उनमें इसका बिल्कुल उल्टा है अर्थात् वृत्त चित्र अधिकांश अंग्रेजी के अन्दर तैयार किये जा रहे हैं। जब आप जनता की रुचि को जानते हैं और देश की नब्ज को देख रहे हैं कि वह किधर जा रही है तब फिर भारतीय भाषाओं में और हिन्दी में वृत्त चित्रों को तैयार करने की ओर विशेष रूप से पग क्यों नहीं उठाया जा रहा है ?

सूचना मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने सन् १९५९ में अंग्रेजी में ५५ और हिन्दी में ४६ पुस्तकें प्रकाशित कीं। हिन्दी की अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद हैं। इसी प्रकार पत्र-सूचना कार्यालय से हिन्दी में ३२३ विशेषालेख पिछले वर्ष अखबारों को भेजे गये जिनमें से केवल २८ हिन्दी में तैयार किये गये। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी की ८० प्रतिशत रचनाएं हिन्दी में अनूदित कर अखबारों को भेजी गईं।

मैं एक विशेष बात अपने प्रधान मंत्री को भी कहना चाहता हूं। मंत्रालय ने कुछ समय पूर्व अपनी नीतियों की घोषणा करते समय कहा था कि १९५८ के शुरु में आकाशवाणी के हिन्दी समाचार विभाग को समाचारों के संकलन और संपादन आदि की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर अमल किया जायगा। अब इस योजना के अगले चरण में अमल करने का समय आगया है क्योंकि यह अपनी परीक्षा के काल में सफल रहा है। सरकारी कामकाज में हिन्दी की उत्तरोतर प्रगति करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट पर भी संसद् की स्वीकृति मिल चुकी है तो मैं समझ नहीं पाया कि जब यह स्थिति है तो फिर हमारा प्रसारण मंत्रालय अपनी स्वीकृत नीति के सम्बन्ध में शिथिलता के साथ क्यों कार्य कर रहा है ? इसी प्रकार से एक बार १९ दिसम्बर सन् १९५८ को हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री डा० केसकर ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक-सभा में यह कहा था कि हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति जी और संसद् सदस्यों के जो हिन्दी के भाषण हों, उनकी मूल हिन्दी प्रतियां ज्यों की त्यों आकाशवाणी को पहुंचे लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। सूचना और प्रसारण मंत्री अगर

यह कहें कि इसमें कोई आर्थिक कारण इस प्रकार के हैं जो कि हमारे मार्ग में बाधक हैं तो मैं नहीं समझता कि आपका आकाशवाणी का केन्द्र यह आर्थिक कारण जिनको कि वह इस कार्य में बाधक मानता है फिर उर्दू के यह प्रतिदिन दो बुलेटिनों की जगह जो अब तीन बुलेटिन आखिर क्यों निकलने शुरू हो गये हैं? उर्दू मजसिल के दैनिक कार्यक्रम भी प्रसारित होने लग गये हैं। जब यह सब आप कर रहे हैं तो फिर हिन्दी के ही मार्ग में कौन सी कठिनाई बाधक हो रही है जो आप अपनी स्वीकृत नीति को व्यावहारिक रूप में अमल में लाने में अभी तक इस प्रकार शिथिलता से कार्य कर रहे हैं।

एक सब से बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान में जब तक हिन्दी को राजभाषा का पद नहीं मिला था तो उस समय तो आकाशवाणी का केन्द्र हिन्दी की ओर अग्रसर हो रहा था लेकिन संविधान में अब हिन्दी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने के पश्चात् देखने में यह आ रहा है कि हिन्दी की गति में शिथिलता आती जा रही है जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का पद मिलने से पूर्व सन् ४८-४९ में आकाशवाणी का हिन्दी समाचार विभाग एक डिप्टी डायरैक्टर जनरल की देखरेख में काम करता था लेकिन आज से दो वर्ष पहले हिन्दी सुपरवाइजर का पद भी समाप्त कर दिया गया। आज भी आकाशवाणी के अधिकारी हिन्दी समाचार विभाग के प्रति सर्वथा उदासीन हैं। समाचार विभाग का कोई भी उच्च अधिकारी हिन्दी का जानकार नहीं है। यदि सूचना मंत्री हिन्दी में काम बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें डाइरेक्टर आफ न्यूज के रिक्त पद पर हिन्दी के जानकार और सुयोग्य पत्रकार की नियुक्ति करनी चाहिये। ऐसा मेरा उनके लिए सुझाव है।

इसी प्रकार समाचार एजेंसी के सम्बन्ध में भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सूचना मंत्रालय को हिन्दी की समाचार एजेंसी चलाने की जिम्मेदारी सम्हालनी चाहिए क्योंकि सभी आत्मसम्मानप्रिय देशों में अपनी भाषा में समाचार एजेंसी चलाई जाती है।

डाक तार विभाग ने देश के लगभग १,४०० स्थानों पर हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही सूचना मंत्रालय के पत्र-सूचना विभाग की टेलीप्रिंटर सर्विस से वाराणसी, पटना, लखनऊ और जयपुर, नई दिल्ली से सम्बद्ध हैं। यह लाइन, प्रतिदिन ५, ६ घंटे के लिए चलती है। इससे आकाशवाणी के हिन्दी समाचार विभाग को हिन्दी भाषी राज्यों की विधान-सभाओं आदि के समाचार अतिरिक्त व्यय के बिना हिन्दी में ही तत्काल मिल सकते हैं। और आकाशवाणी के सम्वाद-दाता इस सुविधा का पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के कर्मचारियों के बीच जो भेदभाव बर्ता जा रहा है उसके विरुद्ध में विशेष रूप से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उसकी शिकायत करना चाहता हूं। जो अपने हिन्दी के कार्य करने वाले हैं और जो उस मंत्रालय में केवल अंग्रेजी के जानकार हैं उनमें वेतन और संख्या की दृष्टि से महान् अन्तर है। अब संसद् की राजभाषा समिति की जो रिपोर्ट है उसमें यह सिद्ध किया गया है कि देश में अंग्रेजी जानने वाले १ प्रतिशत के लगभग हैं जब कि ९९ प्रतिशत लोग इस प्रकार के हैं जो कि भारतीय भाषाओं और हिन्दी के जानने वाले हैं। परन्तु आप की स्थिति क्या है? यह कितनी असाधारण स्थिति है? अब अंग्रेजी भाषा के कर्मचारी जिनके कि लिए सिर्फ अंग्रेजी का ही ज्ञान आवश्यक होता है उनके लिए जो वेतन का स्तर है, वह तो बहुत ऊंचा है लेकिन इसके विपरीत जो हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के जानने वाले कर्मचारी हैं और जिनके लिए यह अपेक्षित है कि अपनी भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी होना चाहिए, उनका वेतन स्तर न्यून है। दो या अधिक भाषाएं जानने वालों को अंग्रेजी वालों के

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

बराबर भी वेतन न देकर उनको उनसे कम वेतन दिया जाता है। यह चीज समझ में नहीं आती है कि जो व्यक्ति केवल एक भाषा का जानने वाला हो उसे तो अधिक वेतन मिले और जिसको कि अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान होना आवश्यक हो उसको वेतन कम दिया जाय। मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आकाशवाणी के समाचार विभाग में अंग्रेजी के उप-सम्पादक गजटेड अधिकारी (वेतन ३०० से ५०० तक) और हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के उप-सम्पादक नान गजटेड (वेतन २०० से ४०० तक) होते हैं। केन्द्रीय सूचना सेवा में भी अंग्रेजी के उप-सम्पादकों की तीसरे वर्ग में और भारतीय भाषाओं के उप-सम्पादकों को इससे निचले चौथे वर्ग में रख कर भेदभाव वरता गया है। वेतन का यही भेदभाव अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार सुनाने वालों तथा अंग्रेजी और हिन्दी में संसद्–समीक्षा करने वालों के साथ भी है।

पत्र सूचना विभाग ने देश के प्रमुख स्थानों पर जो अंग्रेजी कार्यालय खोले हुए हैं उनमें डिप्टी प्रिंसिपल इन्फार्मेशन आफिसर का वेतन ११०० से १५०० रुपये तक के अधीन रक्खा जाता है और हिन्दी तथो अन्य भारतीय भाषाओं के सूचना-कार्यालय असिस्टेंट इन्फार्मेशन आफिसर का वेतन ३५० से ६२० तक के अधीन रक्खा जाता है। इसका उदाहरण लखनऊ का कार्यालय विशेष रूप से है।

इसी प्रकार से सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने लोक सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जब कि हमने उनसे पूछा कि भारतीय भाषाओं के पत्रों को आप कितने रुपयों के विज्ञापन दिये हैं और अंग्रेजी के पत्रों को कितने रुपयों के विज्ञापन दिये हैं तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के पत्रों को १९५३ से लगा कर सन् १९५८ तक यानी पांच वर्षों में विज्ञापनों के लिए १,७०,१८३ रुपये दिये गये जब कि अंग्रेजी के समाचार-पत्रों को इन पांच वर्षों में विज्ञापनों के लिए १०,८९,४०४ रुपये दिये गये। तो यह जो भेदभाव इस मंत्रालय में चल रहा है, मेरा अपना अनुमान यह है कि यह थोड़ा सा अपनी संविधान द्वारा स्वीकृत नीति के विपरीत है। जब हम हिन्दी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सन् १९६५ तक उसको उसके पद पर आसीन करना चाहते हैं तो इस दिशा में हमें प्रयत्नशील भी होना चाहिए।

मैं एक दो सुझाव और अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए आप को देना चाहता हूं। यह सुझाव मैं विशेष रूप से समाचार विभाग के सम्पादकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। एक तो यह कि ये रात दिन की पालियों में काम करते हैं। इनको बहुत सवेरे और रात में लाने ले जाने के लिए दफ्तर की मोटरें हैं, पर इनकी सुविधा का उपयोग करने पर कर्मचारियों को अपने वेतन में से किराया देना होता है और इस पर भी यह व्यवस्था सुविधाजनक नहीं है। इसलिए इस विभाग पर होने वाले लाखों रुपए का व्यय बचाने के लिए अगर इन कर्मचारियों को आकाशवाणी केन्द्र के पास मकान दे दिए जाएं तो ज्यादा अच्छा हो। मैं समझता हूं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए कि जो आकाशवाणी के कर्मचारी हैं उनको आकाशवाणी के आसपास रहने की व्यवस्था हो सके तो कर्मचारियों को भी सुविधा हो सकती है और उनका व्यय भी बच सकता है। यह तो इसलिए भी आवश्यक है कि उनको समय असमय काम करना पड़ता है। मुझे तो ऐसी भी जानकारी मिली है कि इस समय असमय में काम करने के कारण आकाशवाणी के दो कर्मचारियों का देहावसान भी हो गया है क्योंकि इस प्रकार काम करने से उनके स्वास्थ्य पर

बुरा प्रभाव पड़ता हैं। इसलिए यदि आकाशवाणी केन्द्र के निकट उनके रहने की व्यवस्था की जाए तो वह ज्यादा अच्छी चीज हो सकती है। इसके लिए सम्बन्धित मंत्रालय से परामर्श किया जाना चाहिए।

अन्त में मैं एक दो बात और कह कर समाप्त करता हूं। एक तो मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आकाशवाणी का प्रातःकाल का कार्यक्रम आरम्भ होता है तो एक विशेष ध्वनि के साथ आरम्भ होता है। मैं यह चाहता हूं कि इस ध्वनि के बजाय कुछ इस प्रकार की चोज सम्भव हो सके कि या तो यह कार्यक्रम वेदमंत्रों से आरम्भ हो क्योंकि वेद किसी सम्प्रदाय विशेष के नहीं हैं, वह तो मनुष्य मात्र के लिए हैं और विश्व भर की सबसे पुरानी पुस्तक है। लेकिन अगर आपको इसमें भी कोई आपत्ति हो और इसमें कुछ इस प्रकार की गन्ध आती हो कि आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो मेरा अपना अनुमान है कि प्रातःकाल का जब आपका यह कार्यक्रम आरम्भ हो तो रवीन्द्रनाथ के इस प्रकार के भजन उसके लिए ले जिए जाएं :

प्रथम प्रभात उदय तब गगने, प्रथम सामरव तब तपोवने ।
प्रथम प्रचारित तब वन भुवन, धर्म काव्य रस कथा काहिनी ।।

यदि इस प्रकार की ध्वनि प्रातःकाल के कार्यक्रम में हमारे कानों में आकर पड़ेगी तो वह हमारे लिये उत्थान की संदेश वाहक हो सकेगी। किन्तु यदि आपको इसमें भी कुछ छोटापन दिखायी देता हो तो इस प्रकार के कुछ गीत ले सकते हैं जैसे कि वह गीत है जिसको प्रातःकाल उठकर गांधी जी गाया करते थे :

उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन नहीं जो सोवत है।

यदि केवल ध्वनि के स्थान पर इस प्रकार के शब्द लोगों के कानों में पड़ेंगे तो वह उनकी विचारधारा के उत्थान में सहायक हो सकते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि ऐसा करना ज्यादा अच्छा होगा।

अन्त में मैं आपको एक विशेष बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो स्कूल ब्राडकास्ट का कार्यक्रम करते हैं उसमें मध्यम श्रेणी का कार्यक्रम मैंने सुना है। और जहां तक उसका सम्बन्ध है वह पर्याप्त संतोषजनक है। मैं यह चाहता हूं कि उच्च श्रेणियों के लिए जो कार्यक्रम आप प्रसारित करते हैं उसके लिए उनकी योग्यता के अनुरूप कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करें जिस से उस कायक्रम में भी थोड़ा बहुत परिमार्जन हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
६०	३५१	श्री प्र० के० देव	उतारी हुई सिनेमा फिल्मों पर उत्पादन शुल्क का प्रभाव	१०० रुपये

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

१	२	३	४	५
६०	४७३	श्री स० मो० बनर्जी	फिल्मों के मूल्य अधिक होने के कारण फिल्म उद्योग पर संकट	१०० रुपये
६०	४७४	श्री स० मो० बनर्जी	फिल्म निगम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	४७५	श्री स० मो० बनर्जी	रेडियो स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	१०० रुपये
६०	४७६	श्री स० मो० बनर्जी	विज्ञापन देने की प्रक्रिया	१०० रुपये
६०	४७७	श्री स० मो० बनर्जी	लोक गीतों तथा नृत्यों का प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	४७८	श्री स० मो० बनर्जी	आकाशवाणी के द्वारा कीर्तन का प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५३७	श्री मोहम्मद इलियास	आकाशवाणी पर वार्ता देने के लिए विरोधी दलों के सदस्यों को अधिक अवसर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५३८	श्री मोहम्मद इलियास	सरकारी प्रकाशनों में लेख देने के लिए विरोधी दलों के सदस्यों को अधिक अवसर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५३९	श्री मोहम्मद इलियास	कर्मचारियों को उचित वेतन आदि देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५४०	श्री मोहम्मद इलियास	मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति तथा उनको स्थायी बनाना	१०० रुपये
६०	५४२	श्री मोहम्मद इलियास	प्रादेशिक भाषाओं में फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माताओं को सुविधायें देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५४३	श्री मोहम्मद इलियास	विज्ञापन देने की प्रक्रिया	१०० रुपये
६०	५४४	श्री मोहम्मद इलियास	लोक गीतों तथा नृत्यों के प्रचार की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५४५	श्री मोहम्मद इलियास	भारतीय चित्रों का विदेशों में निर्यात करने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६०	५४६	श्री मोहम्मद इलियास	मंत्रालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	१०० रुपये
६०	५५९	श्री कोडियान	फिल्म निगम बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५६०	श्री कोडियान	समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देने का तरीका	१०० रुपये
६०	५६१	श्री कोडियान	योजना का प्रचार अधिक प्रभावोत्पांदक रूप में करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५६२	श्री कोडियान	काले बाजार से अखबारी कागज की बिक्री रोकने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६०	५६३	श्री कोडियान	फिल्मों के मूल्य अधिक होने से फिल्म उद्योग को हानि	१०० रुपये
६१	४११	श्री अरविंद घोषाल	पश्चिम बंगाल में रेडियो किसान मंडल बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४१२	श्री अरविंद घोषाल	नेताजी, गांधी जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की निधन तिथि मनाने के लिये रेडियो कार्यक्रमों में विख्यात व्यक्तियों को आमंत्रित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४१३	श्री अरविंद घोषाल	राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास के प्रचार के लिये प्रति सप्ताह विशेष कार्यक्रम करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४१४	श्री अरविंद घोषाल	संसद् का सत्र होने के समय प्रति दिन एक घंट के लिये संसद् समीक्षा करने की आवश्यकता	१०० रुपय
६१	४१५	श्री अरविंद घोषाल	रेडियो के सभी स्टेशनों पर सप्ताह में एक बार संसद् सदस्यों द्वारा वाद-विवाद किये जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता	१०० रुपये

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

१	२	३	४	५
६१	४१६	श्री अरविंद घोषाल .	स्कूलों, किसान संगठनों तथा कार्मिक संघों को मुफ्त रेडियो देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४१७	श्री अरविंद घोषाल .	रेडियो स्टेशनों के सलाहकार बोर्ड को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४१८	श्री अरविंद घोषाल .	रेडियो स्टेशनों के सलाहकार बोर्ड में संसद् सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४१९	श्री अरविंद घोषाल .	रेडियो लाइसेंस समाप्त कर देने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४२०	श्री अरविंद घोषाल .	सस्ते रेडियो का निर्माण	१०० रुपये
६१	४२२	श्री अरविंद घोषाल .	कलाकारों का चुनाव	१०० रुपये
६१	४२३	श्री अरविंद घोषाल .	कलकत्ता स्टेशन के "पल्ली मंगल" तथा 'मजदूर मंडली' कार्यक्रम	१०० रुपये
६१	४२४	श्री अरविंद घोषाल .	कलकत्ता स्टेशन के "पल्ली मंगल" कार्यक्रम के द्वारा खेती के वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४२५	श्री अरविंद घोषाल .	कलकत्ता स्टेशन के 'मजदूर मंडली' कार्यक्रम के द्वारा प्रविधिक शिक्षा का प्रचार करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४२६	श्री अरविंद घोषाल .	देहाती भाइयों के कार्यक्रम में सहकारी खेती के बारे में नियमित वार्ता लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४२७	श्री अरविंद घोषाल .	सूर्यास्त के बाद "पल्ली मंगल" कार्यक्रम रखने की आवश्यकता	१००रुपये
६१	४२८	श्री अरविंद घोषाल .	कलकत्ता स्टेशन पर "मजदूर मंडली" कार्यक्रम का समय मिलों में मध्यानान्तर के समय रखना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
६१	४२९	श्री अरविंद घोषाल .	कलकत्ता स्टेशन पर रेडियो से हिन्दी पढ़ाने का कार्यक्रम बन्द करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४३०	श्री अरविंद घोषाल .	स्कूलों में टिफिन के समय स्कूलों के प्रसारण की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४३१	श्री अरविंद घोषाल .	विश्वविद्यालयों के लिये प्रसारण बन्द करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	४३२	श्री अरविंद घोषाल .	पश्चिम बंगाल में सामुदायिक श्रवण योजना की असफलता	१०० रुपये
६१	४३३	श्री अरविंद घोषाल .	नगरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर रेडियो लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	५२२	श्री ले० अचौ सिंह .	मनीपुर के स्वतंत्रता युद्ध के सेनानी टिकेन्द्रजीत तथा पावना की निधन तिथियां मनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	५२३	श्री ले० अचौ सिंह .	मनीपुर में सामुदायिक श्रवण योजना की असफलता	१०० रुपये
६१	५२४	श्री ले० अचौ सिंह .	मनीपुर के कलाकारों के चुनाव के लिये सलाहकार समिति बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	५६४	श्री कोडियान .	सामुदायिक श्रवण योजना के लिये अधिक निधि आवंटित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
६१	५६५	श्री कोडियान .	अस्पृश्यता निवारण में आकाशवाणी का योग	१०० रुपये
६२	३५७	श्री प्र० के० देव .	उड़िया फिल्मों के उत्पादन के लिये फिल्म उद्योग को सहायता देने की वांछनीयता	१०० रुपये
६२	३५८	श्री प्र० के० देव .	बाजार में अखबारी कागज की कमी	१०० रुपये
६२	३५९	श्री प्र० के० देव .	फ़िल्म सेंसर बोर्ड का कार्य-वहन	१०० रुपये

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

१	२	३	४	५
६२	४४५	श्री अरविंद घोषाल .	फिल्म सेंसर बोर्ड में सभी प्रादेशिक भाषाओं के प्रतिनिधि रखने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	४४६	श्री अरविंद घोषाल .	कलकत्ता में आकाशवाणी के ओडोटोरियम में वृत्त चित्र दिखाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	४४७	श्री अरविंद घोषाल .	पश्चिम बंगाल में चलती फिरती गाड़ी के द्वारा प्रचार में असफलता	१०० रुपये
६२	४४८	श्री अरविंद घोषाल .	नेताजी के भाषणों के प्रकाशन में विलम्ब	१०० रुपये
६२	४४९	श्री अरविंद घोषाल .	कलकत्ता तथा बम्बई में टेलीविजन केन्द्र बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
६२	४५०	श्री अरविंद घोषाल .	काले बाजार के द्वारा अखबारी कागज की बिक्री को रोकने में असफलता	१०० रुपये
६२	५२५	श्री ले० अचौ सिंह .	भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र को अखबारी कागज का अपर्याप्त कोटा	१०० रुपये
६२	५२६	श्री ले० अचौ सिंह	काले बाजार के द्वारा अखबारी कागज की बिक्री को रोकने में असफलता	१०० रुपये
१२३	३५३	श्री प्र० के० देव .	सम्बलपुर में २ किलोवाट का एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२३	३५४	श्री प्र० के० देव .	दिल्ली टेलीविजन सेवा को प्रति दिन दिखाने की वांछनीयता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१२३	३५५	श्री प्र० के० देव	. कटक स्टेशन को और शक्तिशाली बनाने की जरूरत	१०० रुपये
१२३	५२७	श्री ले० अचौ सिंह	. इम्फाल में एक प्रसारण केन्द्र बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

सबसे पहले मैं सूचना और प्रसारण मंत्री को बधाई दूंगा कि भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों में उनका ही एक ऐसा मंत्रालय है जिसके सम्बन्ध में ज्यादा शोर गुल सुनने को नहीं मिलता । पहले पहल जब इन्होंने शास्त्रीय संगीत का प्रारम्भ आल इंडिया रेडियो में किया था तो काफी हो-हल्ला मचाया गया था लेकिन भारतीय संगीत की आत्मा शास्त्रीय संगीत में निहित है। इसलिये यदि इन्होंने अपने पुराने संगीत को फिर से उठाने के लिये आकाशवाणी में कोशिशें कीं तो यह हमारी भारतीय परम्पराओं के अनुरूप ही है । जहां आल इंडिया रेडियो ने शास्त्रीय संगीत को प्रचलन दिया वहां जनता की भावनाओं को भी ठुकराया नहीं और जब उनकी चलचित्रों के गीतों की मांग आयी तो विविध भारतीय के नाम से उसको प्रारम्भ कर दिया । साथ ही साथ आकाशवाणी में और भी अनकों प्रकार के काम हुये हैं और ऐसे कार्यक्रम सम्मिलित किये हैं जिनसे भारतवर्ष की जनता को बहुत उपयोगी सूचना मिलती है और जिसकी जनता में सराहना है । और मैं समझता हूं कि जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गयी हैं उनकी ओर मंत्री महोदय ध्यान देंगे और जो आकाशवाणी के पदाधिकारीगण हैं वह इस तारीफ में जो हो रही है भूल नहीं जायेंगे और नित्य प्रति, और साल प्रति साल, व हमेशा उन्नति के लिये और सुधारों के लिये तैयार रहेंगे और ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुत करेंगे कि अखिल भारतीय आकाशवाणी का कार्यक्रम और भी अधिक सुन्दर, सुखद और आदर्श बन सके ।

जहां तक पब्लिकेशन डिवीजन का प्रश्न है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है और ऐसी पुस्तकों को सुलभ कराया है जो दूसरे सूत्रों से छप कर तैयार नहीं हो रही थीं जैसे महात्मा गांधी के तमाम वक्तव्यों और भाषणों का संकलन । और हमारे बड़े बड़े राष्ट्र नेता जैसे श्री सुभाष चन्द्र बोस आदि के कामों का संकलन भी किया जा रहा है । यह काम सराहनीय है । मैं समझता हूं कि सूचना मंत्रालय इस ओर सदा ध्यान देता रहेगा और ऐसा साहित्य प्रकाशित कराता रहेगा जिसकी देश और विदेश में बहुत मांग है । इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न कार्य हैं, मैं उन सब की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं । साथ ही साथ दो चार सुझाव भी देना चाहता हूं क्योंकि यह वर्ष में एक अवसर आता है जब कि कुछ बातें बतलायी जा सकती हैं जिससे मंत्रालय में कुछ सुधार भी हो सके ।

इस विभाग का नाम है सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय लेकिन इस रिपोर्ट में प्रसारण का जिक्र किया गया है । अगर प्रसारण को ही अधिक महत्व देना है तो इस मंत्रालय का नाम होना चाहिये था प्रसारण तथा सूचना मंत्रालय । हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में सबसे पहले आल इंडिया

[श्री म० ला० द्विवेदी]

रेडियो को प्रमुखता दी गई है। प्रसारण को अधिक महत्व दिया गया है और सूचना को कम महत्व दिया गया है। अगर भारत सरकार एक शरीर है तो सूचना उसकी आत्मा है। सूचना का इतना महत्व है।

डा० केसकर : मंत्रालय के नाम में तो पहले "सूचना" है उसके बाद "प्रसारण" है।

श्री म० ला० द्विवेदी : लेकिन इस रिपोर्ट में तो पहले प्रसारण के बारे में ही लिखा है। इसमें सूचना को दूसरा स्थान दिया गया है और प्रसारण को प्रथम स्थान दिया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में सूचना या प्रकाशन ऐसा अच्छा होना चाहिये कि जनता को देश की बातों का पूरा पूरा ज्ञान हो सके। प्रसारण तो वैसे ही घर घर सुना जाता है। आपके विभाग में सूचना पर, प्रसारण से कम ध्यान दिया जाता है। आपकी योजनाओं का आज इतना बड़ा काम हो रहा है लेकिन इसकी सूचना गांवों में नहीं पहुंचती। मैं गावों का दौरा करता हूं तो देखता हूं कि जो आपकी पंचवर्षीय योजनाओं पर काम हो रहा है, जो आप कारखाने स्थापित कर रहे हैं, उनकी पूरी सूचना गांवों में नहीं है। यह सूचना आपकी बड़ी बड़ी किताबों में अवश्य है लेकिन गांवों तक नहीं पहुंचती है। इसके गांवों में पहुंचने की बड़ी आवश्यकता है।

सूचना केन्द्रों पर जो आप रुपया खर्च कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है। अभी तक आपने आठ दस सूचना केन्द्र खोले हैं जब कि आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक पंचायत में और अगर यह सम्भव न हो तो कम से कम दस बीस पंचायतों के बीच एक सूचना केन्द्र होना चाहिये। इससे जनता को बहुत लाभ हो सकता है और इस पर अगर आपका कुछ ज्यादा रुपया खर्च हो तो इसको आप अन्यथा न मानें। इससे बहुत लाभ होगा। मैं समझता हूं कि आप इस तरफ ध्यान देंगे। अब तक इस की उपेक्षा होती रही है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी तरफ कदम उठाएं।

लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है। वह यह कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी तरफ मंत्रालय का ध्यान कम गया है। मैं मानता हूं कि जहां दस बारह साल पहले चार छः आकाशवाणी के केन्द्र थे उनकी जगह अब २८ केन्द्र हो गये हैं, लेकिन वह सब राजधानियों और विशाल शहरों में बनाए गए हैं। राजधानियों में बनाना तो ठीक है क्योंकि राजधानी से देश के अन्य भागों में सूचना भेजी जाती है। लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में भी केन्द्र होने चाहिए। मैं ने पूछा कि पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्र कैसे दिए जाते हैं तो मंत्री जी ने बतलाया कि २०० मील के दायरे में अगर कोई रेडियो स्टेशन स्थित हो तो हम दूसरा स्टेशन नहीं देते हैं। लेकिन मैंने विचार किया कि भोपाल से इन्दौर दो सौ मील नहीं है और बम्बई से पूना दो सौ मील नहीं है। इस तरह से और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। लेकिन मुझे इस में आपत्ति नहीं है कि जहां पर सांस्कृतिक स्थान हैं, या जो अच्छे गीतों के केन्द्र हैं, या जहां पर स्टेशन देने चाहियें, वहां अवश्य दिए जायें, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कवि रहीम ने कहा है —

रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिये डार,
जहां काम आवे सूई, कहा करे तरवार।

तलवारों को आप बांधते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कपड़े तो सूई से ही सिलेंगे। आप जानते हैं कि हमारा क्षेत्र झांसी की रानी का इलाका है। बुंदेलखंड भी एक बड़ी मशहूर जगह है। वहां का अपना साहित्य है, संस्कृति है, अपनी बोली और भाषा है। बुंदेलखंड में आकाशवाणी का एक केन्द्र बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पिछड़ा हुआ उपेक्षित क्षेत्र है। अंग्रेजों ने इस की उपेक्षा इसलिये की थी क्योंकि वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था और वे चाहते थे कि

यह इलाका कुचल दिया जाये। न वहां सड़कें हैं, न पुल हैं, न रेलवे है, न शिक्षा की व्यवस्था है। वहां कुछ भी नहीं है। अब उन के पास पुराने लोक-गीत हैं, कुछ अपनी बोली और भाषा है और पुरानी यादें मौजूद हैं। यह बुंदेलखंड का गौरव है कि उस ने अपने पूर्वजों को भुलाया नहीं है। आज भी अपनी प्राचीन गौरव गरिमा उस को याद है। बुंदेलखंड में एक केन्द्र की स्थापना की जाये, यह एक बड़ी आवश्यक बात है।

श्री ब्रज राज सिंह : किस स्थान पर की जाये ?

श्री म० ला० द्विवेदी : जो स्थान उचित समझें बुंदेलखड भर में। मैं किसी एक स्थान की बात नहीं कहता। झांसी है, नौगांव है, छत्तरपुर है।

मैं भारत सरकार को इसलिए वधाई देता हूं कि पुराने काल के दो अखबारों का फिर से प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया गया है और वे हैं **इंडियन इन्फार्मेशन** और **भारतीय समाचार**। वास्तव में **भारतीय समाचार** में वे सब बातें, और सरकारी तथ्य साधिकार आ जाती हैं, जो कि जनता को अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं होते। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है कि ये समाचार बीस दिन पुराने होते हैं। पहले हफ्ते में हम को जो समाचार मिलते हैं, वे तीन हफ्ते पेश्तर के समाचार होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भारत में ऐसे बड़े बड़े दैनिक पत्र हैं, जिन के सोलह सोलह पेज कुछ घंटों में छप सकते हैं, तो क्या भारत सरकार के पास एसे साधन नहीं हैं कि वह तीस तारीख तक के समाचारों को पहली या दूसरी तक छाप कर जनता तक पहुंचा सके ? मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिये और जो इस को पाक्षिक बना रखा है, उस के बजाय इस को साप्ताहिक बना देना चाहिये। इस अखबार की बहुत मांग है और जनता ने इस को बहुत पसन्द किया है, क्योंकि इस में सब सूचनाऐ साधिकार मिल जाती हैं।

अभी हमारे मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी ने हिन्दी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं। वे अपनी जगह बहुत ठीक हैं और मैं उन का समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार हिन्दी के दूर-मुद्रक या टेलीप्रिंटर तैयार नहीं कर रही है और वे न हैं। मैं बुंदेलखंड से आता हूं। वहां पर चार दैनिक अखबार हैं, लेकिन एक भी टेलीप्रिंटर नहीं मिल रहा है और इस कारण उन को समाचार मिलने में कठिनाई है। वे किसी रेडियो से सुन कर या किसी दूसरी जगह से समाचार ले कर छापते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब अंग्रेजी के टेलीप्रिंटर सरकार को उपलब्ध हैं, तो हिन्दी के क्यों नहीं होते।

मेरी दूसरी शिकायत यह है कि सरकार की ओर से जितने समाचार या वक्तव्य जाते हैं, वे पहले अंग्रज़ी में होते हैं और फिर अंग्रेज़ी का अनुवाद हिन्दी में किया जाता है। यहां पर कुछ ऐसे व्याख्यान—भाषण होते हैं, जो हिन्दी में होते हैं, लेकिन उन हिन्दी भाषणों का भी पहले अग्रेज़ी अनुवाद होगा और फिर, सूचना कार्यालय के हिन्दी विभाग में अग्रेजी का अनुवाद कराया जाता है वापस हिन्दी में। हिन्दी से अंग्रेज़ी और अंग्रज़ी से फिर हिन्दी, यह उल्टी गंगा जो बहाई जाती है, यह सूचना मंत्रालय के लिए शोभा नहीं देती। और अनुवाद से अनुवाद की भाषा में क्या मौलिकता हो सकती है समझ में नहीं आता।

मैं इस तरफ अवश्य ध्यान दिलाऊंगा कि सूचना मंत्रालय में हिन्दी के प्रति अवश्य उपेक्षा की जा रही है। हिन्द के लोग दो भाषायें जानते हैं और यही नहीं, अंग्रेजी का सही सही अनुवाद अगर कोई हिन्दी में कर सकता है, तो उसकी अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी वेत्ताओं से भी ज्यादा अच्छी होगी, वर्ना वह सही अनुवाद नहीं होगा। इस तरह वे अंग्रेज़ीदां लोगों से ज्यादा योग्य आदमी साबित

[श्री म० ला० द्विवेदी]

हुए, लेकिन उनको कम तनख्वाहें दी जाती हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। यह ठीक है कि अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ी का झंडा गाड़ने वाले मुल्क में मौजूद हैं और वे कहते हैं कि हुकूमत हमारी है, आप हिन्दी वाले कहां से आ गए। ठीक है, अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ीदां रह गए, लेकिन अगर अंग्रेज़ी का घमंड बना रहेगा, तो मैं कहता हूं कि उनका घमंड बहुत दिन तक नहीं चल सकेगा। इस देश के निवासी हिन्दी पर जानने वाले हैं, हिन्दुस्तानी बोलने वाले हैं और अगर सरकार देश के लोगों की उपेक्षा करेगी और उनकी भाषा का बहिष्कार करेगी, तो वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। मैं नोट करा देना चाहता हूं सूचना मंत्री महोदय को कि वह सूचना मंत्रालय में शीघ्र ही ऐसा सुधार करें कि हिन्दी में जो अनुवाद करने वाले हैं, वे अंग्रेज़ीदानों से ज्यादा योग्य आदमी हैं और इसलिये उनकी तनख्वाह अंग्रेज़ी वालों से दुगुनी होनी चाहिये, इससे कम नहीं होनी चाहिये। मैं कोई हिन्दी वालों का हिमायती नहीं हूं, लेकिन जब मैं यह भेद-भाव वाला व्यवहार देखता हूं, तो महसूस करता हूं कि यह ग़लत चीज़ है। सूचना मंत्री महोदय स्वयं एक हिन्दी के ज्ञाता हैं और वह जानते हैं कि जब तक अच्छी अंग्रेज़ी न आती हो, तब तक कोई हिन्दी में अनुवाद नहीं कर सकता है। यहां पर आप के रिपोर्टर मौजूद जो हिन्दी में रिपोर्टिंग करते हैं। वे अंग्रेज़ी जानते हैं पहले। अगर अंग्रेज़ी न जानते हों, तो उनकी शार्टहैंड उतनी अच्छी न होगी। लेकिन हिन्दी का स्टेनोग्राफर अंग्रेज़ी वालों से कम तनख्वाह पाता हो, तो समझ लीजिये कि उसके प्रति अन्याय हो रहा है।

माननीय मंत्री के यहां कुछ दुरुपयोग भी होता है। एवोनाइट ब्लाक्स बनाने की मशीन आई। उसका एक पुर्जा नहीं था, इसलिये वह पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने लिखा कि आपके यहां से ब्लाक क्यों नहीं मिलते, तो वह बताती है कि हमारे यहां वह मशीन उपलब्ध नहीं है। एक तरफ तो सरकार के पास मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं और दूसरी तरफ दूसरी सरकारों को उपलब्ध नहीं हैं। माननीय मंत्री ऐसा प्रयत्न करें कि एवोनाइट ब्लाक वगैरह की जो प्रचार की सामग्री है, उस में पैसा बर्बाद न जाये।

इसी साल कुछ साल पेश्तर मैंने बताया था कि एक फ़ोटोस्टेट मशीन आई थी और वह तीन चार साल तक सड़ती रही। अब वह काम में लगाई गई है या नहीं, यह समाचार मुझे मंत्रालय की रिपोर्ट में नहीं मिला है। अब शायद वह काम में आ गई होगी। इसी प्रकार कई यंत्र और रेडियो ट्रांसमिटरों के बड़े बल्ब आदि तीन तीन साल तक पड़े रहे और बर्बाद हो गये। अगर इस प्रकार का दुरुपयोग मंत्रालय में होता है, तो वह बन्द किया जाना चाहिए।

मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि सस्ते रेडियो सेट बनने चाहिए। मुझे याद है कि तीन चार साल पेश्तर माननीय मंत्री ने सस्ता सेट देने के लिए कहा था कि सौ रुपया सेट तक बने, तो अच्छा है। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ उत्पादकों का भी माननीय मंत्री से मुकाबला कराया था, जोकि सौरुपये सेट तक के लिए तैयार थे, लेकिन मुझे कुछ मालूम पड़ता है कि मंत्रालय में कुछ ऐसे लोग हैं, जो बड़े निर्माताओं की मदद करना चाहते हैं और गरीब जनता को सस्ते सेट न पहुंच पायें, इस के लिए वे प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए माननीय मंत्री की कोशिशें कामयाब नहीं हो पातीं। यदि वह मंत्री हैं और वास्तव में अपने अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं .....

डा० केसकर : रेडियो सेट बनवाने का काम या उसके बारे में प्लानिंग करने का काम इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का है।

श्री म० ला० द्विवेदी : यह ज्वायंट रिस्पांसीबिलिटी की सरकार है और माननीय मंत्री यह नहीं कह सकते कि यह इंडस्ट्रीज मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी है और माननीय मंत्री को नहीं है। और श्री मनुभाई शाह ऐसे मित्र हैं कि अगर माननीय मंत्री कहेंगे, तो वह सहयोग देंगे और अगर मैं भी कहूंगा, तो भी वह सहयोग देंगे।

सेट के दाम पहले आपने सौ रुपये रखे थे और अब १२५ रुपये कर दिये गये हैं। मालूम होता है कि धीरे धीरे सेट के दाम बढ़ते जायेंगे। तब तक सैट समय की गति के पीछे रह जायेंगे और ट्रांज़िस्टर सैट उनकी जगह ले लेंगे। नेशनल फ़िजिकल लेबोरेटरी ने एक ट्रांज़िस्टर सैट का नमूना तैयार किया है, लेकिन वह कब तक व्यापारिक रूप में तैयार होगा, यह बात मुझे मालूम नहीं है।

अन्त में सूचना मंत्री को, आकाशवाणी केन्द्र वालों को, पब्लिकेशन्ज़ डिविज़न और सूचना मंत्रालय के अन्य विभागों में जो अन्य अन्य लोग हैं, उन को उन्होंने जो सराहनायोग्य काम किये हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूं। मंत्री महोदय को मैं यह आश्वासन देता हूं कि यदि वह इसी प्रकार उन्नतिशील काम करते जायेंगे, तो सदन की ओर से सदा उन्हें इसी प्रकार से बधाई मिलती रहेगी।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में सदन में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मैं अखिल भारतीय आकाशवाणी के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि विभिन्न केन्द्रों से जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, उनको देखने से ऐसा मालूम होता है कि वह आकाशवाणी न होकर बहुत कुछ सरकारी वाणी हो जाती है। मुख्य रूप से जो हमारे न्यज़ बुलेटिन प्रसारित होते हैं हिन्दी, अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं में, यदि हम समाचार की दृष्टि से देखें, तो उनमें बहुत कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, जो महत्व की नहीं होती हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

यह कहा जाता है कि हमारे न्यूज़ बुलेटिन में जो न्युज़ प्रसारित होती हैं, उनमें ५० प्रतिशत तो प्रधान मंत्री के वक्तव्य या उनके भाषण आ जाते हैं और करीब २० प्रतिशत उसमें मंत्रियों के भाषण आते हैं और उसके बाद अगर कुछ बचा, तो करीब १० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय वक्तव्यों के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को स्थान दिया जाता है। बाकी दस परसेंट में अपने देश के समाचार होते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस न्यूज़ बुलेटिन को हम मिनिस्टर्ज़ बुलेटिन कहें, तो अत्युक्ति नहीं होगी। मैं चाहूंगा कि कम से कम न्यज़ बुलेटिन समाचार की दृष्टि से--जो समाचार महत्व के हैं, उनके हिसाब से--प्रसारित होने चाहिएं।

अगर आप न्यूज़ रील को देखें, तो उसका भी यही हाल है। शायद ही कोई न्यूज़ रील ऐसी हो, जिसमें छविगृह में प्रधान मंत्री या अन्य मंत्रीगण की छवियों के दर्शन न होते हों।

मैं समझता हूं कि इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। जो चीज़ आवश्यक है उसको आप करें लेकिन अति सर्वत्र वर्जेत, जो अति है वह ठीक नहीं है। मैंने इसके बारे में गत वर्ष भी कहा था और इस वर्ष भी कहता हूं। मैं चाहता हूं कि आकाशवाणी के न्यूज़ बुलेटिनों का जो कार्यक्रम है उसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए और जो चीज़ समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वह अवश्य प्रसारित होनी चाहिये लेकिन किसी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिये।

[श्री जगदीश अवस्थी]

आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट कार्य करते हैं वे अस्थायी आर्टिस्टों के रूप में ही करते हैं और उनको अभी तक भी ठेके के रूप में रखा जाता है । देश आजाद हो चुका है, ठेकेदारी समाप्त हो चुकी है लेकिन आकाशवाणी के विभाग में अभी भी ठेकेदारी चलती है । अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो २०–२० और ३०–३० साल से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका जो कांट्रेक्ट है वह दो दो और तीन तीन सालों के बाद रिन्यू होता है और हमेशा ही उनकी नौकरी अस्थिर रहती हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे अच्छी तरह से , ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं । उनकी वे सुविधायें जो कि स्थायी कर्मचारियों के रूप में दूसरे सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं जैसे प्रोविडेंट फंड है, महंगाई भत्ता है या और दूसरी सुविधायें हैं नहीं मिल पाती हैं, उनसे वे वंचित रह जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे उस दक्षता, कुशलता और ईमानदारी से काम नहीं कर पाते जिससे उनको करना चाहिये । इस वास्ते यह जो अस्थिरता है यह समाप्त होनी चाहिये ।

आपने पे कमिशन एप्वाइंट किया था, पे कमिशन नियुक्त किया था और उसने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार जो उसकी अच्छी अच्छी सिफारिशें थीं उनको तो आपने यह कह कर उनके ऊपर लागू नहीं किया है कि वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं लेकिन जो अच्छी सिफारिशें नहीं थीं जैसे छुट्टियों का कम होना तथा दूसरी असुविधापूर्ण सिफारिशें थीं, उनको उन पर लागू कर दिया है । एक तरफ तो आप उनको स्थायी कर्मचारी नहीं मानते हैं दूसरी तरफ पे कमिशन के मुताबिक जो चीज़ उनको मिलने वाली थीं, जो चीज़ उनकी बढ़ने वाली थीं, जो सुविधायें उनको थीं, वे भी उनसे छीन ली गई हैं । इस तरह का जो अन्यायपूर्ण व्यवहार उनके साथ हो रहा है यह समाप्त होना चाहिये और मैं चाहता हूं कि यह जो ठेकेदारी प्रथा है इसका अन्त आप करें। मुझे पता चला है कि हैदराबाद में एक हिन्दी अनुवादक है उसका कांट्रेक्ट आप हर पन्द्रह दिन के बाद रिन्यू करते हैं । इससे उन लोगों को बहुत परेशानी होती है । इतना ही नहीं आपके आकाशवाणी के असिस्टेंट स्टेशन आफ़िसर हैं प्रोग्राम के उनका जो व्यवहार प्रोग्राम एनाउंसर्स के प्रति होता है वह बड़ा अजीबोगरीब रहता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि जो अच्छा प्रोग्राम एनाउंसर था जिसका सम्मान नहीं किया गया वह विदेश चला गया और वहां उसका सम्मान हुआ । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का जो व्यवहार है, इस तरह का जो पक्षपात होता है, इस प्रकार जो अस्थिरता का वातावरण है वह समाप्त होना चाहिये और क्यों लोग छोड़ कर जा रहे हैं, यह आपको देखना चाहिये और इसका कोई हल निकालना चाहिये ।

सरकार ने घोषणा की है कि एक न्यूज़ केडर क्रियेट किया जाएगा और वह कर दिया गया है । उसमें मंत्रालय के जो न्यूज़ डिविज़न के लोग हैं रिसर्च और रेफ़रेंस डिविज़न, प्रकाशन विभाग, पी० आई० वी०, फिलम्स डिविज़न इत्यादि जो विभाग थे उनके कर्मचारियों को आपने वर्गीकृत किया है । लेकिन इसमें अगर आप देखें तो पता चलेगा कि बड़ी धांधली हुई है । उनको सीनियरिटी के हिसाब से जो मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया है । मैंने सुना है कि भिन्न भिन्न मंत्रालयों के जो सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनकी बहुत बड़ी सेवायें हैं, उन तक के साथ अन्याय किया गया है । इसके बारे में शिकायतें मंत्री महोदय के पास आई हैं लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने उनके बारे में क्या किया है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उस ओर अवश्य ध्यान दें ।

आकाशवाणी में मैं देखता हूं कि बहुत अच्छा स्टूडियो बना हुआ है, बहुत अच्छेक कमरे बने हुए हैं लेकिन फिर भी आप प्रति वर्ष जो अलग से कार्यक्रम करते हैं उनके लिये अलग अलग ठेके दे कर करते हैं । ये कार्यक्रम बहुत सालों से चल रहे हैं । इसमें आपने लाखों रुपये खर्च कर दिये होंगे ठेके-

दारों के जरिये जो काम करवाये हैं उनमें देकर। इस तरह से जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है यह समाप्त होना चाहिये। जितना पैसा आप खर्च कर चुके हैं मैं समझता हूं उतने पैसे में आप एक अच्छा हाल बनवा सकते थे और जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है वह बच सकता था।

श्री केसकर : बन रहा है।

श्री जगदीश अवस्थी : अब मैं प्रकाशन विभाग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। प्रकाशनों के सम्बन्ध में हमारे माननीय मित्र श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी ने बहुत कुछ कहा है। यह समझ में आने लायक बात नहीं है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम अंग्रेजी के स्थान पर धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाओं को ला रहे हैं लेकिन दूसरी ओर प्रकाशनों की ओर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि १९५९ के प्रथम तीन महीनों में जो अंग्रेजी पुस्तकें प्रकाशित की गईं उनकी संख्या १९ थी लेकिन अप्रैल, से दिसम्बर, तक जो अंग्रेजी की पुस्तकें छपी उनकी संख्या बढ़ कर ३६ हो गई। इतना ही नहीं, अंग्रेजी में ऐसे ऐसे प्रकाशन किये जाते हैं जिन का सम्बन्ध हमारे ग्रामीण जीवन से होता हैं। जब ग्रामीण लोग ठीक से हिन्दी या क्षेत्रीय भाषायें भी नहीं समझते हैं तब आप अंग्रेजी में उन पुस्तकों को प्रकाशित करें तो यह आश्चर्यजनक हैं। आपने एक पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित की है जिसका नाम है लैंड रिफार्म्स इन इंडिया। यह जो पुस्तक है इसका सीधा सम्बन्ध हमारे ग्राम निवासियों से हैं और उनमें से कितने लोग अंग्रेजी समझते हैं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निश्चित रूप से अंग्रेजी में जो प्रकाशन होते हैं उनमें उत्तरोत्तर कमी करने की ओर ध्यान देना चाहिये न कि उनकी संख्या बढ़नी चाहिये। जो क्षेत्रीय भाषायें हैं तथा उनके जो प्रकाशन हैं, उनको हर सम्भव प्रोत्साहन मिलना चाहिये। अगर आप विदेशों में किसी चीज को भेजना चाहते हैं तो अवश्य आप विदेशी भाषा में उसको प्रकाशित करें लेकिन देश के अन्दर ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं देखता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो छापेखाने के रूप में काम करता है, भिन्न भिन्न मंत्रालयों से जो चीजें उसके पास आती हैं, उनको छपाता है और कुछ स्वयं भी छापता है, उसे आगे बढ़ कर दूसरों की अगवानी करनी चाहिये और देखना चाहिये कि क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों का अधिक प्रकाशन हो और कम से कम प्रकाशन अंग्रेजी की पुस्तकों का हो। अच्छा तो यह है कि यह मंत्रालय अविलम्ब अंग्रेजी में पुस्तकों को प्रकाशित करना बन्द कर दे ताकि वह एक सुन्दर आदर्श कायम कर सके लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर सकता है तो क्षेत्रीय भाषाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे।

अब मैं भारत सेवक समाज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं नहीं समझ पाया कि आप का मंत्रालय पंच वर्षीय योजनाओं इत्यादि के प्रचार के लिये भारत सेवक समाज को जो कि एक गैर-सरकारी संगठन कहा जाता है लाखों रुपये अनुदान के रूप में क्यों देता है। मैं समझता हूं कि भारत सेवक समाज का जो गठन है उसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वह देश के सार्वजनिक जीवन से निराश हुये व्यक्तियों का एक संगठन बन गया है जो कि सरकारी पैसे के बल पर किसी न किसी तरह से, येन केन प्रकारेण, अपना काम करना चाहते हैं। सब से आश्चर्यजनक बात यह है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो स्वयं प्रचार-कार्य करता है, इसके लिये उसके बहुत से विभाग बने हुये हैं। बहुत से साधन उसके पास हैं जिनके जरिये वह प्रचार कार्य करता है उसके लिये क्या आवश्यकता है कि भारत सेवक समाज को इस काम के लिये पैसा दे। भारत सेवक समाज का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है, कुछ लोग हैं जो दफ्तरों में बैठ कर सरकारी पैसे के बल पर अपना खर्चा चलाना चाहते हैं और उनको ऐसा करने के लिये आपने करीब पांच लाख रुपया देना मंजूर किया है। इस तरह से कोई कामकाज नहीं हो सकता है। यह बहुत बड़ी रकम है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। इस पर तुरन्त रोक लगनी चाहिये। मैं समझता हूं कि

[श्री जगदीश अवस्थी]

यह भारत सेवक समाज न हो कर सरकारी सेवक समाज बन रहा है। इस प्रकार पक्षपातपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं। एक तरफ तो हमारे वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि पैसे की कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए वह नए नए टैक्स लगाते जाते हैं और देखते हैं कि कहां पैसा बच सकता है, लेकिन दूसरी ओर गैर-सरकारी संगठन के नाम पर, प्रचार के नाम पर, आप कुछ व्यक्तियों को पैसा देते हैं। उनको जीवित रखने की कोशिश करते हैं जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। यह एक गम्भीर प्रश्न है जिस की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। गत वर्ष भी मैंने इसका जिक्र किया था और चाहा था कि इसको सरकारी अनुदान नहीं मिलना चाहिये। अगर भारत सेवक समाज में कोई शक्ति है, अगर वह सरकार का समर्थन करना चाहता हैं, तो उसे चाहिये कि वह स्वयं जनता से चन्दा इकट्ठा करके काम करे। भारत सेवक समाज कांग्रेस पार्टी की सेकिंड लाइन आफ डिफेंस के रूप में काम करता है जो कि नहीं होना चाहिये।

अब मैं फिल्म व्यवसाय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे कुछ मित्रों ने बहुत विस्तार के साथ इस सम्बन्ध में अपने विचार यहां रखे हैं। फिल्म व्यवसाय हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है और इसका महत्व हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस में बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं जो कि कांट्रेक्ट करके लाखों रुपया, ब्लेक मनी और ह्वाइट मनी के रूप में लेते हैं ब्लेक मनी जो है यह एक प्रकार की चोरी होती है। लेकिन दूसरी ओर उसमें कुछ ऐसे भी कलाकार हैं, दूसरे लोग हैं जिन को पैसा नहीं मिलता है, वे अपने पेट नहीं भर पाते हैं और उनके सामने हमेशा ही मुसीबत खड़ी रहती है। इस तरह से यह व्यवसाय एक तो निराशा की ओर दूसरी तरफ उस ओर बढ़ता जा रहा है जिससे कुछ लोग शोषण कर रहे हैं, और कुछ उस में शोषित हो रहे हैं। यह जो चीज़ है यह बन्द होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को गम्भीरतापूर्वक इस व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विचार प्रारम्भ कर देना चाहिये। हमारे एक माननीय सदस्य ने इसके बारे में विस्तार के साथ कहा है और मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यह निश्चित है कि इस व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बारे में आपको गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिये।

अफ़्रीका के लिये आप आकाशवाणी से कुछ कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। मैंने सुना है कि आपने कुछ छात्रों को छात्रवृत्तियां दीं ताकि वे विश्वविद्यालयों में जा कर पढ़ सकें। लेकिन जब वे पढ़ कर वापिस आ गये तब अफ़्रीका के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिये आपने अफ़्रीका से लोग क्यों बुलाये ? अगर ऐसा ही आपने करना था, अगर अफ़्रीका से ही लोगों को बुलाना था तो यह आवश्यक नहीं था कि इतना पैसा आप उन छात्रों पर खर्च करते। वे छात्र अब कहां लगे हुए हैं इसे कोई नहीं जानता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो धन का दुरुपयोग हो रहा है उस को देखना चाहिये और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जो पक्षपात होता है जो कमियां हैं उन को ठीक करने के लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं मंत्री महोदय को और सदन से भी कहना चाहूंगा कि एक संसद् के सदस्यों की समिति बननी चाहिये जो इस बात की खोज बीन करे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में जो कमियां हैं, जो शिकायतें आती हैं, उन के पीछे क्या वस्तुयें हैं। उस के बारे में समिति एक रिपोर्ट दे ताकि उस से यह मंत्रालय और सदन कुछ सीख सके और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ठीक ठीक काम कर सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की बहुत आभारी हूं ....

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब आधे घंटे की चर्चा शुरू होगी ।

कलकत्ता गोदी के मज़दूरों सम्बन्धी योजना*

श्री बजराज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह आध घंटे की चर्चा प्रश्न संख्या ६०१ के ऊपर जो कि १ मार्च, १९६० को पूछा गया था, उठती है। प्रश्न पूछा गया था "कलकत्ता डाक लेवर स्कीम" के सम्बन्ध में। इस स्कीम के सम्बन्ध में इसी साल नहीं, पिछले साल बजट में बहस के दौरान में यहां पर चर्चा की गई थी और जब उस पर यह प्रश्न उठाये गये तो डिप्टी मिनिस्टर साहब ने अपना जवाब देते हुये कहा था :

"जो आलोचना यहां पर हुई वह महत्वपूर्ण नहीं है।"

इसके बाद,

"निश्चित रूप से कलकत्ते में शांति है।"

और इसके बाद,

"कलकत्ते में भी कोई गड़बड़ नहीं है। मज़दूरों को कोई कठिनाई नहीं है।"

यह ६ अप्रैल, १९५९ को उपमंत्री महोदय ने कहा था। लेकिन बुद्धि का प्रकाश कुछ आया उन के पास और उन्होंने ९ मई, १९५९ को, जैसा कि जनता की मांग थी, वहां के मजदूरों की मांग थी, उसके मुताबिक मेहता कमेटी नियुक्त की। गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक ज्वायेंट सेक्रेटरी श्री मेहता की एक सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई और उसे यह अधिकार दिया गया कि वह कलकत्ता डाक लेबर स्कीम के सम्बन्ध में अपनी जांच पड़ताल कर के रिपोर्ट दे। उस कमेटी ने २० अक्तूबर को सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने जो ५६ सिफारिशें कीं, अब गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि उस ने उन को स्वीकार कर लिया है और जहां जिन से अमल कराया जा सकता है, वहां उन से अमल कराने की कोशिश की जा रही है। इस मेहता कमेटी की सिफारिशों में से ५३ नवम्बर की सिफारिश में कहा गया था :

"ऐडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को तुरंत निलम्बित कर देना चाहिये तथा योजना की धारा ५ (१) के अधीन उप-सभापति को वह काम संभाल लेना चाहिये।"

२० अक्तूबर को यह सिफारिश सरकार को मिल गई थी। आज उस सिफारिश को हुये १४८ दिन हो चुके हैं और इन १४८ दिनों के बीच में सरकार अभी यह तय नहीं कर पाई कि इस ऐड-मिनिस्ट्रेटिव बाडी को हटाना है। इस सारी मेहता कमेटी की रिपोर्ट को आप पढ़ जायें तो पता लगेगा कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव बाडी ने डाक लेबर बोर्ड के साथ मिल कर मजदूरों का करीब ५५ लाख रु० ऐसा इस्तेमाल किया है जो कि कानून के मुताविक नहीं है, डाक लेबर बोर्ड की जो स्कीम थी, उसके मुताविक नहीं है। उस के बाद भी मेहता कमेटी कहती है कि इमिजिएटली ऐडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को खत्म कर देना चाहिये। लेकिन अभी तक श्रम मंत्री महोदय यह बतलाने को तैयार नहीं हैं कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं। जो जवाब दिया गया था उसमें उन्होंने कहा था :

"ऐडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उसको हटा क्यों न दिया जाय उसका स्पष्टीकरण आ गया है तथा विचाराधीन हैं।"

---

*आधे घन्टे की चर्चा।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह]

इस तरह का जवाब आ गया है और अब उस पर विचार हो रहा है। आखिर कब तक विचार होता रहेगा ? आप के ही एक ज्वायंट सेक्रेटरी कमेटी मुकर्रर की गई थी, उस ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव बाडी को इमिजिएटली हटा देना चाहिये। इमिजिएटली हटाने के बाद अगर अब से यह दलील दी जाय कि जो स्कीम है उस की व्यवस्था के अनुसार हमें उन को नोटिस देना आवश्यक था, तो हम मान सकते हैं। २० अक्तूबर को आप उन को एक हफ्ते का नोटिस देते, पन्द्रह दिन का नोटिस देते, और नोटिस देने के बाद हटा देते क्योंकि आप के पास पहले से काफी मसाला मौजूद था। ऐडमिनस्ट्रेटिव बाडी जो वहां के एम्प्लायर्स हैं उन की संस्था है, उनकी बाडी हैं, उस को इस रिपोर्ट के मुताबिक हटाना आवश्यक हो गया हैं और उसे हटाया जाना चाहिये था। इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव बाडी ने ऐसी कार्रवाइयां की हैं जो कि न तो मजदूरों के हक में हैं और न किसी तरह से पोर्ट के काम में मदद देती हैं। यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव बाडी जो कुछ कर रही है उस के सम्बन्ध में मैं अपनी बात न कह कर कलकत्ते से जो स्टेट्समैन निकलता हैं उस ने जो कुछ लिखा है उसे आप की इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं।

२३ दिसम्बर को कलकत्ते के स्टट्समैन ने लिखा था कि महता समिति के प्रतिवेदन से हमें कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड के बारे में जो बातें मालूम हुई हैं उनसे पता चलता है कि देश के सबसे बड़े बन्दरगाह पर कितनी अव्यवस्था और कितना कुप्रबन्ध है। बताया गया है कि मजदूरों की मजूरी नहीं दी गई है। नियमों का दुरुपयोग किया गया है; कल्याण कार्य नहीं किए गए हैं; ७ लाख रुपये की लागत से बने अस्पताल में कोई रोगी ही नहीं है ; वित्तीय अनियमितायें हैं। यदि इन आरोपों में से कुछ आरोप भी सच हैं तो उन्हीं से स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर बड़ी गड़बड़ी हो रही है। आश्चर्य इसी बात का है कि इतने वर्षों के बाद इन गड़बड़ियों का पता लगा। आदि आदि।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेहता कमेटी इस नतीजे पर पहुंची। मेहता कमेटी ने कई सिफारिशें कीं। अब उन सिफारिशों में से जिन सिफारिशों को सरकार को मानना है, उनके बार में मैं मान सकता हूं कि थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन दूसरी सिफारिशें जो मेहता कमेटी की थीं जो कि जाकर बैठती है डाक लेबर बोर्ड और ऐडमिनिस्ट्रटिव बाडी के ऊपर, जिस ऐडमिनिस्ट्रेटिव बाडी के बारे में मैंने निवेदन किया कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट थी कि उसे भंग कर देना चाहिये और १४८ दिन होने के बावजूद उसे भंग नहीं किया गया है, और लगातार अनियमिततायें बढ़ती जा रही हैं, उनके बारे में क्या किया जा रहा है ? हजारों लाखों रुपयों के फंड जो मजदूरों के हित में आज खर्च होने चाहिए थे, स्टेवेडोर्स के हित में खर्च हो रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी है, कहती है कि हम एग्जामिन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा ही मुकर्रर की हुई कमेटी ने, आपके ही अधिकारी ने सिफारिश की है। मैं नहीं समझता कि उसके बाद आप किस बात पर विचार कर रहे हैं। इस स्कीम में कहा गया था कि अगर सरकार चाहे तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव बाडी को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो डिप्टी चेअरमैन है डाक लेबर बोर्ड के उनसे काम करा सकती है, लेकिन अब हमारे श्रम मंत्री बातचीत करने के लिये तैयार नहीं हैं।

मेहता कमेटी ने कहा कि डाक लेबर बोर्ड का जो कार्य था, उसे उसने पूरा नहीं किया, और जब उन्होंने पूरा नहीं किया तो मेहता कमेटी ने रिपोर्ट दी कि उसे सस्पेंड करने का, मअत्तिल करने का सरकार को अधिकार रहना चाहिये। उन्होंने सिफारिश की कि इस

कानून में परिवर्तन कराया जाय। जवाब में कहा गया कि सरकार इस तरह के कानून में संशोधन कराने की कोशिश करगी। लेकिन मैं समझता हूं कि कानून में संशोधन कराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ६ अक्तूबर, १९५६ को इस स्कीम के मुताबिक डाक लेबर बोर्ड का गठन किया, और डाक लेबर बोर्ड की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक कहा गया था:

> 'बोर्ड का सदस्य, उस तिथि से, जिसको उसे सदस्य नियुक्त करने की अधिसूचना दी गई हों, तीन वर्ष के लिए सदस्य बनेगा तथा उसकी पुनः नियुक्ति भी हो सकेगी।'

६ अक्तूबर, १९५९ को उनका समय खत्म होता है, उनका टर्म खत्म हो जाता है, २० अक्तूबर को मेहता कमेटी की रिपोर्ट आती है। मेहता कमेटी ने सम्भवतः पहले अपनी रिपोर्ट लिखी थी, इसलिये उन्होंने सम्भवतः यह नहीं लिखा कि ६ अक्तूबर को उसकी जिन्दगी खत्म हो जायेगी और एक दूसरा बोर्ड मुकर्रर कर दिया जाना चाहिये। अब यह दलील कि चूंकि कानून में है, इसलिये हम मुअत्तिल नहीं कर सकते। हालांकि इस बोर्ड ने अनियमितायें की है लेकिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कानून में परिवर्तन नहीं किया जाता, यह ठीक नहीं। कानून के मुताबिक आपको अधिकार हासिल है। इस बोर्ड का समय खत्म हो चुका है, उसकी जिन्दगी ६ अक्तूबर को समाप्त हो चुकी है। इस स्कीम के मुताबिक उसके बाद दूसरा बोर्ड कायम किया जाना चाहिय था। लेकिन आज १७ मार्च, १९६० में हम बैठे हुए हैं और गैर-कानूनी बोर्ड काम करता चला आ रहा है। उसी में यह व्यवस्था की गई है, जो कि मजदूरों के बारे में है। जो मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे डाक मजदूर यूनियन के, उनके प्रतिनिधि को लिया जाना चाहिये। एक ही यूनियन है डाक मजदूर यूनियन कलकत्ता। इस यूनियन में आपके ९० फीसदी आदमी हैं। लेकिन इसके प्रतिनिधि को आपने अलग किया हुआ है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप शान्ति चाहते हैं, जैसा कि शान्ति चाहने का उद्देश्य होना चाहिये, तो यह सब से बड़ा पोर्ट है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, उसमें मजदूरों का नुक्सान हो रहा है, इसलिये आपके सामने कोई चारा नहीं है। यह जनतन्त्रवादी व्यवस्था है, बैलट के द्वारा तय करा लें कि कौन सी यूनियन ऐसी है जिसे मजदूरों का विश्वास प्राप्त है, जिसको मान्यता दी जानी चाहिये। डाक लेबर बोर्ड का गठन ऐसा है जिनमें १५ आदमी हैं, ५ आदमी मजदूरों के प्रतिनिधियों में से लिये जाते हैं। इन पांच आदमियों का चुनाव वहां के मजदूरों से कराया जाय। इसस अधिक जनतन्त्रवादी व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती। लेकिन आप इसे मानने के लिये तैयार नहीं हैं। आप ऐसे आदमियों को रखना चाहते है जो बोर्ड के प्रतिनिधि स्टेवडोर के साथ मिल जाते है जिनकी अनियमितताओं का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, ५५ लाख रु० की। मैं आपकी इजाजत स इसके दो एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसमें सेंट्रल पे-कमिशन ने रिपोर्ट दी कि ५ रु० तन्ख्वाह बढ़ा दी जायगी मजदूरों की। रिपोर्ट में यह कहा गया :

> "दूसरे वेतन आयोग की अन्तरिम सिफारिशों के अनुसार ५ रुपये का अन्तरिम महंगई भत्ता मजूरी का भाग है। योजना के अधीन मजूरी मालिकों द्वारा दी जानी होती है इस राशि को मजदूरों को अस्थाई रूप में देने के लिये भी बोर्ड के लिए राजी हो जाना गलत था। बोर्ड अब भी इसको दे रहा है यद्यपि उसको ५०,००० रुपये प्रति मास खर्च करना पड़ रहा है।"

[श्री व्रज राज सिंह]

बीस अक्तूबर को सिफारिश हो गई मेहता कमटी की। उसके बाद अब तक लाखों रुपया पे किया जा चुका है जो कि एम्पलायर्स को पे करना चाहिए था लेकिन हमारा जो फंड है उसमें से पे किया जा रहा है। इस तरह से यह साढ़े ७ लाख रुपया यह लेबर वेलफेयर का जो है उसकी गड़बड़ चल रही है। एक पावर सामास मशीन एक लाख रुपये के किराये पर ली गई लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। इस तरह की अनियमितताएं हैं। वह सब सिफारिशें मौजूद है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को समय से पहले चेतना चाहिए। ६ अप्रैल १९५९ को कहतें हैं कि शान्ति है और कोई असन्तोष नहीं है। ९ मई को कमेटी मुकर्रर करते हैं और उस कमेटी की रिपोर्ट आती है तो उस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन अब जब उस पर अमल करने का सवाल आता है तो हम देखते हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट दिये हुए कितने ही महीने बीत गये लेकिन गवर्नमेंट उस रिपोर्ट पर अमल करने को तैयार नहीं है। कम से कम उन बातों पर जिनमें कि डाक लेबर बोर्ड स्कीम को नुकसान होता हो, लाखों रुपये का नुकसान होता है तो उसको तो बंद किया जाय। यह ५५ लाख रुपया जो कि स्टैवेडारों के पास चला गया है मजदूरों का है उसको वापिस करने के लिए कौनसा काम करना चाहते हैं, कौनसी व्यवस्था करना चाहते है जिससे कि उस रुपये को वापिस कर सकें। किस तरह से अपना काम करना चाहते हैं जिससे कि आगे इस तरह की कोई अनियमितताएं न हों। मैं बताना चाहता हूं कि इस ऐडमिनिस्ट्रेटिव बोडी की जिसका कि आपको जवाब मिल चुका है और जिस पर कि आप विचार कर रहे हैं उसको क्यों नहीं खत्म करना चाहते हैं? अगर वह नुकसानदेह है? कलकत्ते के डौक में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि मजदूरों को आप विश्वास में ले। मैंने जो निवेदन किया है जब तक उन बातों को आप नहीं करेंगे तब तक वहां शान्ति नहीं हो सकती। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय प्रैस्टिज पर नहीं जायेंगे और इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनायेंगे। मेहता कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनको स्वीकार करने के बाद उनको तुरन्त अमल में लाने की कोशिश करेंगे ताकि डौक में शान्ति कायम हो सके।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम): श्री मेहता द्वारा की गई सिफारिशें लगभग ५६ हैं। कुछ सिफारशें वित्तीय लेनदेन आदि से सम्बन्धित है। मैं सिफारिश संख्या ३८ आपको सुनाता हूं:—

> "मजूरी भुगतान, गलत भुगतान, आदि की शिकायतें बढ़ रही हैं। इसका मुख्य कारण मजूरी विभाग में कुप्रबन्ध है....."

सिफारिश संख्या ३९ में दिया है कि यदि कम मजूरी मिली हो तो मजदूर उसकी शिकायत तीन दिन के अन्दर प्राधिकारियों से कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक वहां पर मजूरी भुगतान अधिनियम लागू क्यों नहीं किया गया है तथा इस प्रतिवेदन को मिले इतने महीने हो गए हैं तब भी इस पर पूरे निर्णय क्यों नहीं किए गए हैं।

† **श्री खाडिलकर** (अहमदनगर): मैं जानना चाहता हूं कि सिफारिशों के पैरा ३ के अनुसार कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड का पुनर्गठन कब किया जा रहा है जिससे इसमें मजदूरों की विभिन्न यूनियनों का प्रतिनिधित्व हो जाय। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पहचान पत्रों पर स्लिप चिपकाने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए इससे बड़ी गड़बड़ हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

आधे घंटे की चर्चा

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं जानना चाहता हूं कि मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि ५५ लाख रुपयों को वापस दिलाया जाना चाहिए, उस बारे में क्या किया गया। इसके अतिरिक्त मेहता समिति के स्टेवेडोरों को धन देने के लिए मना करने पर भी ८ जनवरी १९६० को बोर्ड ने स्टेवेडोरो को धन देने का संकल्प किस प्रकार पारित किया।

पहले हमको बताया गया था कि स्लिप चिपकाने से मजूरी विवाद कम हो जायेंगे परन्तु अब मेहता समिति के प्रतिवेदन से पता चलता हैं कि इससे विवाद और बढ़ गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि स्लिप चिपकाना कब से बन्द किया जाने वाला है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कामगर प्रतिकर की धनराशि मजदूरों की मजूरी से निकालना बन्द करने वाली है या नहीं क्योंकि मेहता समिति के प्रतिवेदन के बाद से वहां पर ऐसा ही किया जा रहा है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : श्रीमान् मैं समझता हूं कि इस समिति के प्रतिवेदन से बहुत से मजदूरों को दिलचस्पी है इसलिए इसको सभी प्रकार के मजदूरों को दिया जाना चाहिए। परन्तु इसका मूल्य ३/२५ रुपये कर दिया गया है मैं चाहता हूं कि इस ६४ पृष्ठ की इस पुस्तिका का मूल्य २५ नये पैसे किया जाना चाहिए।

श्रम उपमंत्री (श्री आविद अली) : जो बातें यहां इस वक्त कही गई हैं इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में और डाक लेबर बोर्ड के बारे में, उन बातों से हमारे माननीय सदस्यों को यह लगेगा कि वर्कर्स का ५५ लाख रुपया किसी ने गबन कर लिया है और उन को बहुत तकलीफ है। जिन बातों के बारे में जिक्र किया गया है वह ज्यादतर असम्बन्धित है। मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहूंगा कि मेम्बर साहबान न कुछ बातें इधर उधर से ले लीं हैं लेकिन उन को अगर वे जरा तफसील से पढ़ कर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद जो अभी बहुत सी बातें कही गई हैं उनके कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी।

जहां तक सत्य का सम्बन्ध है ५५ लाख तो क्या एक लाख रुपया भी वर्कर्स का किसी ने नहीं लिया है।

डाक लेबर बोर्ड की स्कीम के अनुसार, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, जो खर्च होता है उसके बारे में लेवी लगायी जाती है और वह शिपर से वसूल की जाती है। अगर कम पैसा आता है और खर्च ज्यादा होता है तो लेवी बढ़ा दी जाती है, और अगर ज्यादा पैसा आता है और कम खर्च होता है तो लेवी घटा दी जाती है। तो जो पैसा स्टेवेडोर नहीं देना चाहता उतना शिपर से ज्यादा वसूल कर लिया जाता है। अगर वह पैसा खुद स्टेवेडोर दे दे वर्कर को तो उतना पैसा शिपर से कम वसूल किया जाय। माननीय मेम्बर साहिबान को स्कीम की असलियत मालूम है और ज्यादा मालूम हो जान के बाद उनको विश्वास हो जायगा कि जहां तक वर्कर्स का सम्बन्ध है। उनकी एक पाई भी किसी ने गबन नहीं की और न नाजायज तरीके से ली।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही नहीं है कि यह सिफारिशें थी कि यह स्कीम होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आबिद अली : यह तो ठीक है । मैं ने अर्ज किया अगर स्टेवेडोर नहीं देना चाहता तो शिपर से लेवी के फार्म में लिया जाता है और अगर स्टेवेडोर दे देता है तो शिपर से नहीं लिया जाता । मैंने पिछले बजट की बहस के दौरान में भी अर्ज किया था कि मामला ठीक ठाक है । वही अब भी अर्ज करना चाहता हूं । तब भी वही बात थी अब भी वही बात है । कुछ लोग गड़बड़ कराना चाहते थे वह कर नहीं सके । वह नम्बर और घाट के बारे में कुछ बातें करते थे । जैसा कि मैं ने उसके बारे में पहले भी अर्ज किया था कि उन्होंने कुछ गड़बड़ करनी चाही थी, थोड़ी बहुत कर भी ली, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए । फिर हाईकोर्ट में भी मामला गया और जो चीज क्वेश्चन अवर में और डिबेट में मैं ने अर्ज की थी वही चीज मैं आपके सामने पेश करता हूं जो कि हाई कोर्ट के जज ने कही है । खुद वह साहब जिनकी मालूमात के आधार पर दो तीन माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, वह खुद हाईकोर्ट गये और उनके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा वह मैं अर्ज कर दूं । हाईकोर्ट ने कहा :

"इस मुकदमे के दौरान में जो बात मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया हूं वह यह है कि यह आवेदन का किस कारण प्रस्तुत किया गया है । मुझे मजबूरन यह कहना पड़ रहा है कि हजारो मजदूर जो यहां पर आ कर कार्यवाही सुनते रहे हैं उनको गुमराह किया गया है ।"

यह हाईकोर्ट के जज फरमा रहे हैं :

श्री ब्रजराज सिंह : यह बात तो इर्रेलेवेंट है ।

श्री आबिद अली : तो हाईकोर्ट के जज यह फरमाते हैं :

"और यदि उनके कथनानुरूप यह धनराशि उन्हें नहीं मिली है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि किसी ने इस बारे में कोई अपराध किया है तो वह यही अपराध किया है कि सीधे साधे लोगों को भड़काया गया है ।"

कुछ चीजों के बारे में झगड़ा था जब वह झगड़ा हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया ।

श्री ब्रजराज सिंह : उसकी अपील चल रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जब जानते हैं कि इसके विरोध में अपील की गई है तो वह मामले को यहां पर क्यों लाए।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : उसका यहां पर उठाये गये मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है । वह हमारे आरोपों का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री आबिद अली : यह जो चीजें यहां पर फरमायी गयी हैं कि हमने इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या किया, वह मैं अर्ज करूं ।

श्री ब्रजराज सिंह : वही कहिये ।

श्री **आबिद अली** : इसमें जो रिकमेंडेशंस है उन में से १, २, ६, ८, ९, ११, १२, १६, ३१, ३३, ३५, ३९, ४१, ४३, ४५, ४६ और दूसरी और भी कुछ मंजूर की गयी हैं और उन पर अमल भी किया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक स्टेवेडोर से एक्स्प्लेनेशन का सवाल था, हमारे लिये यह जरुरी था कि हम उनका एक्सप्लेनेशन मांगें । इसमें यह बाकी रिपोर्ट का जिक्र कर के उनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया था जिसके लिये सिर्फ पांच सात दिन देना बहुत अनुचित होता । एक महीना उनको दिया गया । उन्होंने अपना पहला जवाब भेजा और यह भी कहा है कि पूरा जवाब देने के लिये उनको ज्यादा वक्त चाहिये, और वक्त दिया गया । अब उनका पूरा जवाब आ गया है, उस पर विचार कर रहे हैं और जो मुनासिब फैसला होगा वह जल्दी ही कर दिया जायेगा और उसके मुताबिक अमल होगा ।

माननीय सदस्य ने डाक लेबर बोर्ड के बारे में भी फरमाया है, यह एक खास संस्था है जहां पर कि वर्कर और एम्पलायर दोनों बैठ कर वहां जो काम होता है उसका इन्तिजाम करते हैं। इसको हम ज्यादा उत्तेजन देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वह कामयाब हो।

यह जरुर स्वीकार किया गया है रिपोर्ट में कि गवर्नमेंट को इस बात का अख्तियार होना चाहिये कि इस संस्था को अलाहिदा कर सकें, ससपेंड कर सकें। इस वक्त कायदे के लिहाज से हमको वह सत्ता नहीं है, जब जरुरत समझेंगे हम पार्लियामेंट के सामने आयेंगे और उसमें संशोधन किया जायेगा । लेकिन जो माननीय सदस्य ने फरमाया कि पिछले साल ही इस संस्था की जिन्दगी खत्म हो चुकी है और हमने दूसरी नहीं बनायी, उससे हम सहमत नहीं हैं ।

श्री ब्रजराज सिंह : दूसरी आपको बनानी चाहिये थी ।

श्री आबिद अली : वह तो हम बनाना चाहते हैं । लेकिन जब तक दूसरी न बने, ऐक्ट के लिहाज से पहली संस्था चालू रहेगी । जब दूसरी बन जायगी उसके बाद पहली संस्था रद्द हो सकती है ।

श्री ब्रजराज सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जब इस संस्था के खिलाफ इस तरह की शिकायतें थीं तो तीन साल की इसकी जिन्दगी खत्म होने पर दूसरी संस्था क्यों नहीं बनायी गयी ?

श्री आबिद अली : उस संस्था के खिलाफ बहुत शिकायतें नहीं हैं । शिकायतें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी के सम्बन्ध में । संस्था के बारे में भी कुछ चीजें हैं । पर वहां तो वर्कर्स के रिजर्वेजेंटेटिव बैठे हैं, एम्पलायर्स के बैठे हैं और गवर्नमेंट के भी हैं, हर एक के पांच पांच ।

जिस यूनियन के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया और बैलेट का जिक्र किया उस सम्बन्ध में नैनीताल में फैसला हुआ है जिसके अनुसार बैलट जैसी कोई चीज नहीं रहती। वहां यह फैसला हुआ था कि वर्कर्स की यूनियन की मेम्बरशिप की जांच की जाय । और उनका नम्बर क्या है यह निश्चय किया जाय । वह अमल में लाया गया और उसके अमल के लिहाज से जिस तरह कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, जिस संस्था के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया वह उसमें आ जाती है । और भी जो दूसरी यूनियन्स हैं उनकी मेम्बरशिप की जांच कर ली गयी है और फिर वह खास यूनियन जिसके बारे में माननीय सदस्य का ख्याल है, उसके प्रतिनिधि को बुलाया गया था और पूछा गया कि नैनीताल के फैसले के अनुसार हम मेम्बरशिप की जांच करना चाहते हैं, वह उनको मंजूर नहीं । उन्होंने कुछ और

[श्री आबिद अली]

बातें बतायीं । इस पर उनसे कहा गया कि जो फैसला सब की सहमति से हुआ है उसके खिलाफ जाना हमारे वश के बाहर की बात है । उस फैसले के अनुसार वह अमल चाहते नहीं थे । इसलिये वह बात नहीं की वहीं रह गयी ।

बाकी जहां तक कि कुछ प्रोवीडेंट फंड की सीक्योरिटीज थीं, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने उनको गिरवी रखा था । वह पांच लाख से कुछ ज्यादा की थीं । वह वापस ले ली गयी हैं और प्रावीडेंट फंड के बारे में ट्रस्टी बनाने का निर्णय हो चुका है । इस बीच में जो प्रावीडेंट फंड का पैसा है वह बिल्कुल अलग रहेगा । उस पर किसी का थोड़ा सा भी दखल नहीं हो सकेगा, जब ट्रस्टी बन जायेगा तो उनके सिपुर्द कर दिया जायगा । माननीय सदस्य को यह बात मालूम कर के खुशी होगी कि जितनी बातें रिपोर्ट में लिखी हुई हैं, उन पर काफी अमल किया जा चुका है और उस का एक नतीजा यह हो चुका है कि पहले जो लेवी डेफिसिट की वजह से बढ़ाई जाती थी, अब अगस्त, १९५९ से चौबीस लाख रुपया सरप्लस हो गया है । इस से उन्हें इत्मीनान होगा कि इन्तजाम काफी संतोषकारक हो गया है और जो जो चीजें सिफारिश के अनुसार की जा सकती थीं, उन पर अमल किया जा चुका है और उम्मीद है कि . . .

श्री ब्रजराज सिंह : स्लिप्स पेस्ट करने के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री आबिद अली : अगर माननीय सदस्य पैराग्राफ बतायें, तो मैं उन को बता दूं कि उसके बारे में क्या फैसला हुआ है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : प्रतिवेदन के पृष्ठ ३८ तथा ३९ पर है ।

†**श्री आबिद अली** : इसे लागू किया जा रहा है । एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी न विवाद हल करने के लिये मजूरी विवाद विभाग बनाया है । लेखा विभाग का भी पुनर्गठन किया जा रहा है । एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी ने कहा है कि मजूरी विवाद अब कम हो गये हैं । ३९ के बारे में यह बताना है कि बोर्ड अब प्रत्येक मजदूर को मजूरी के साथ साथ मजूरी स्लिप देता है जिसमें मजूरी के ब्यौरे होते हैं । इससे संतोषजनक काम हो रहा है ।

श्री ब्रजराज सिंह : उसी के खिलाफ शिकायत थी और वही इम्प्लीमेंट करायेंगे, यह कैसे हो जायगा ?

श्री आबिद अली : और उसके बारे में हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है ।

श्री ब्रजराज सिंह : माननीय मंत्री बतायें कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी के खिलाफ उस के एक्सप्लेनशन पर जो विचार हो रहा है, उसका निश्चय कब तक हो जायेगा और डाक लेबर बोर्ड की जिन्दगी खत्म हो चुकी है, इसलिये नया बोर्ड कब तक बनाया जायेगा ।

†**श्री आबिद अली** : नया बोर्ड बनाने के लिये उस की मेम्बरशिप की जांच हो रही है । जब वह जांच खत्म हो जायगी, तो नया बोर्ड बन जायगा । एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी के बारे में है मैं अर्ज कर चुका हूं कि उन का जो खुलासा आया है, उस पर विचार हो रहा है । तारीख देना तो मुश्किल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आध घंटे की चर्चा

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मजूरी के भुगतान के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री आबिद अली** : भुगतान के बारे में उन्हें पता है कि वह हो जायेगा । वह एक अर्द्ध-सरकारी संगठन है और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं माननीय सदस्यों को इसका आश्वासन देता हूं ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार १८ मार्च १९६०/२८ फाल्गुन १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मल अंग्रेजी में

गुरुवार १७ मार्च, १९६०
२७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३०३१–५४
	तारांकित प्रश्न संख्या	
९०३	दिल्ली में घरेलू नौकरों का कल्याण . . .	३०३१–३३
९०४	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	३०३३–३४
९०५	बम्बई में अलुमिनियम रोलिंग मिल . . .	३०३५
९०६	रेयन ग्रेड पल्प फैक्टरी	३०३५–३६
९०७	आयात की हुई घड़ियों की कीमत . . .	३०३६–३७
९०९	चमड़े की वस्तुओं का निर्यात	३०३७–३९
९१०	हिन्द महासागर का सर्वेक्षण . . .	३०३९-४०
९११	तिब्बत से भारतीय काश्मीरी व्यापारियों का निष्क्रमण .	३०४०–४२
९१२	लाहौल और स्पिति में रेडियो लाइसेंस शुल्क . .	३०४२-४३
९१४	चाय बागानों में कुप्रबन्ध	३०४३–४५
९१५	बेरोजगारी	३०४५–४८
९१६	विश्वकृषि प्रदर्शिनी	३०४८–५१
९१८	बरेली में कृत्रिम रबड़ का कारखाना . . .	३०५१–५३
९१९	नेफा में प्लाईवुड की फेक्टरी	३०५३-५४
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३०५४–७३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
९०८	जम्मू तथा काश्मीर में भारी उद्योग . . .	३०५४
९१३	ओखला की औद्योगिक बस्ती	३०५४-५५
९१७	उर्वरक फैक्टरी	३०५५
९२०	बर्मा में भारतीय	३०५५
९२१	जस्ते की कीमत	३०५५-५६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
६२२	आसाम में विस्थापित व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	३०५६
६२३	निर्यात संस्था	३०५६-५७
६२४	इण्डोनेशिया को कपड़े का निर्यात	३०५७
६२५	नेनीताल में विस्थापित व्यक्ति	३०५७
६२६	ग्रेफाइट का कारखाना	३०५७-५८
६२७	गोआ को नौवहन सेवा	३०५८
६२८	स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों का अखिल भारतीय स्मारक	३०५८
६२९	अमरीकन टेलीविजन विशेषज्ञ	३०५९
७१५	महात्मा गांधी सम्बन्धी फिल्म	३०५९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११८८	उड़ीसा में श्रमिक कल्याण	३०६०
११८९	अनुशासन संहिता का उल्लंघन	३०६०
११९०	सरकारी प्रयोजनों के लिये तार (केबलों) की आवश्यकता	३०६०-६१
११९१	तांबे और जस्ते का आवंटन	३०६१
११९२	पाकिस्तान के लिये पासपोर्ट	३०६१
११९३	हिन्दी बोलियों में आकाशवाणी के कार्यक्रम	३०६१—६३
११९४	दिल्ली रेस कोर्स, क्लब	३०६३
११९५	हस्तशिल्प का विकास	३०६३
११९६	दिल्ली में टेक्निकल ट्रेनिंग केन्द्र	३०६४
११९७	"पाईरो मेट्रिक कोन"	३०६४
११९८	हाइड पाउडर	३०६४-६५
११९९	"फैट लिकर"	३०६५
१२००	"सिन्टन"	३०६६
१२०१	फ्रैंकफर्ट में भारतीय व्यापार केन्द्र	३०६६-६७
१२०२	संघ राज्य-क्षेत्रों में योजना का व्यय	३०६७
१२०३	भारत आने वाले पाकिस्तानी	३०६८
१२०४	बम्बई राज्य में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	३०६८
१२०५	बम्बई राज्य में बेरोजगारी	३०६८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२०६	सरकारी मकानों का बिना बारी दिया जाना . .	३०६९
१२०७	पंजाब में औद्योगिक बस्तियां	३०६९–७०
१२०८	भारत-भूटान सड़क	३०७०
१२०९	निम्न आय तथा मध्यम आय वर्ग आवास ऋण . .	३०७०–७१
१२१०	कारखाना–इमारत का "ले आउट" . . .	३०७१
१२११	पंजाब में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति . . .	३०७१
१२१२	डी० एस० एम० सिल्क मिल्स, दिल्ली . . .	३०७१–७२
१२१३	मद्रास में हथकरघा उद्योग	३०७२
१२१४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का औद्यानिकी विभाग . .	३०७२–७३
१२१५	पुनर्वास मंत्रालय में कर्मचारियों की छंटनी . .	३०७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३०७४

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५८–५९ के लिये नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(२) खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत खान नियम,१९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २७ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २२८ की एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन–उपस्थापित		३०७५

छियत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		३०७५

श्री स० मो० बनर्जी ने २ मार्च, १९६० को मध्य प्रदेश की हिर्रो डोलोमाइट खानों में हुए विस्फोट की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाया ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें ३०७५

(१) वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगे पूरी पूरी स्वीकृत हुईं । ३०७५–३१४०

(२) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

आधे घंटे की चर्चा ३२४१–५३

श्री ब्रजराज सिंह ने कलकत्ता गोदी के मजदूरों सम्बन्धी योजना के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या ६०१ के १ मार्च, १९६० को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने वाद विवाद का उत्तर दिया ।

शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०/२८ फाल्गुन, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार तथा उनका पारित किया जाना ।